खण्ड-184, अंक-3
मंगलवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1879
(23 जुलाई, 1957 ई0)

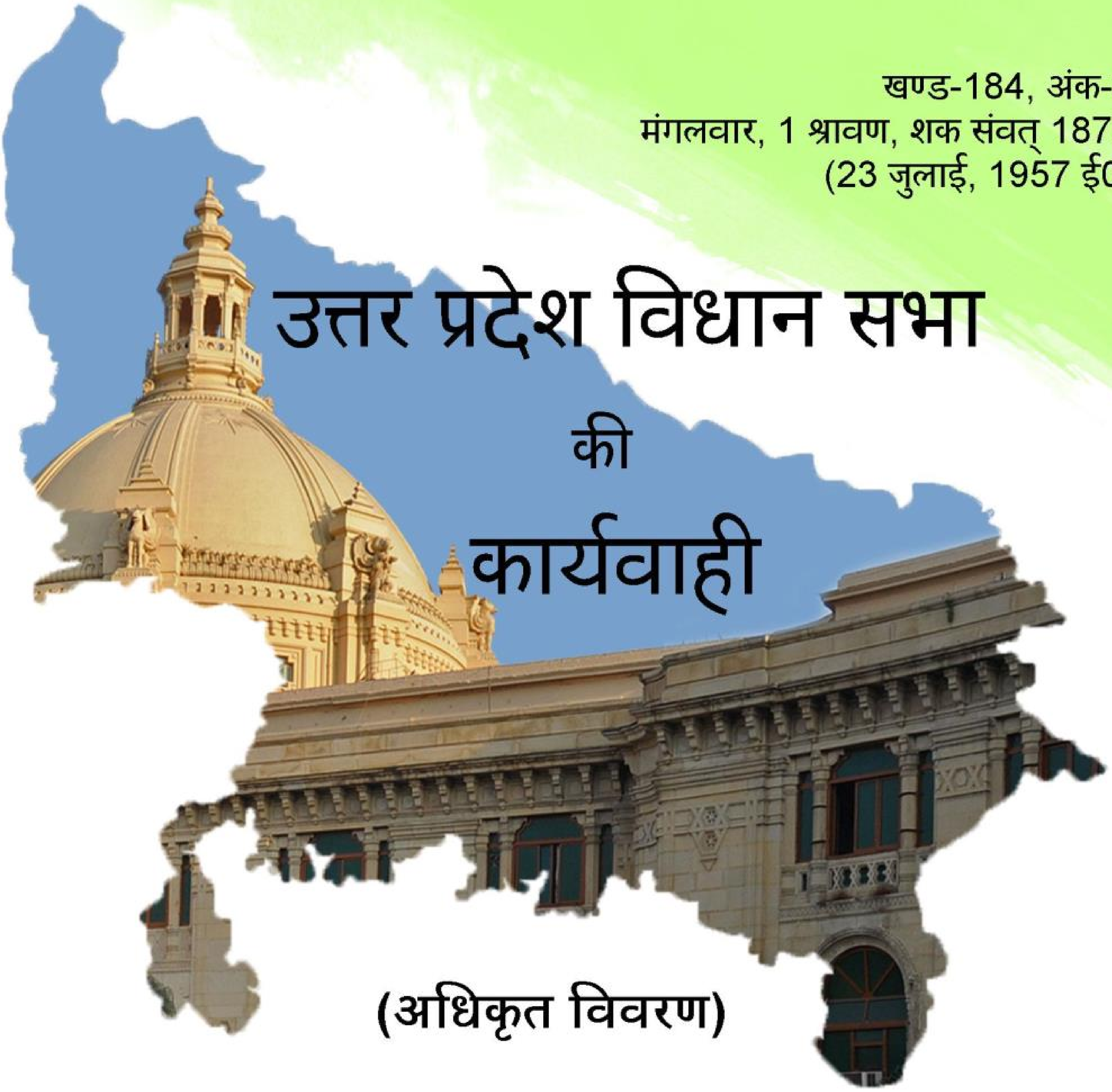

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ जुलाई, १९५७

[विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य (३५५)

अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार, जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह, भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डुगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी,
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह, यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्रविकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी,
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--श्री परमात्मानन्दसिंह, माल उप-मन्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ जुलाई, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

झांसी में इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के काम

**१--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में इन्फ्लुएंजा को रोकने तथा उसके मरीजों के उपचार के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--झांसी में इन्फ्लुएंजा को रोकने तथा मरीजों के इलाज के लिये सरकार ने निम्नलिखित प्रबन्ध किये हैं :--

(१) इन्फ्लुएंजा की बीमारी के लिये खास औषधियां सिविल सर्जन महोदय के पास भेज दी गई हैं।
(२) सिविल सर्जन को २,३०० रु० खासतौर से इस बीमारी के निमित्त औषधियों तथा अन्य खर्चों के लिये दिया गया है।
(३) स्वास्थ्य अधिकारी नगरपालिका, झांसी को भी २,००० रु० उपर्युक्त कार्य के हेतु दिया गया है।
(४) सिविल सर्जन को यह इजाजत दे दी गई है कि यदि आवश्यकता समझी जाय तो इन्फ्लुएंजा के रोगियों के लिये अस्पताल में पृथक वार्ड का प्रबन्ध कर दिया जाय। जिला मैजिस्ट्रेट को भी सूचित कर दिया गया है कि आवश्यकतानुसार वहां के सिनेमा घरों तथा जलपान गृहों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायं।
(५) जैसा कि प्रदेश के सभी स्थानों में हुआ, झांसी के भी स्कूल तथा कालेजों को २१ जुलाई तक के लिये बन्द करवा दिया गया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कितने आदमी बीमार हुए और कितनी मौतें हुईं तथा क्या हालत है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--२१ आदमी बीमार हुए और किसी के मरने की खबर अभी नहीं आयी।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हैल्थ वहां गये थे उस वक्त लोगों ने यह शिकायत की थी कि जो रिपोर्ट मरीजों की भेजी जा रही है, वह बहुत कम की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह पता मुझे नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि जो २१ संख्या सरकार के पास आयी है वह केवल उन्हीं मरीजों की है जो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए और जिन्होंने प्राइवेट क्लीनिक्स में इलाज करवाया उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह---प्राइवेट प्रेक्टीशनर्स ने भी जो संख्या नोटीफाई की है वह भी इसमें शामिल है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिये झांसी में जो सुविधायें उन्होंने दी हैं वह प्रदेश के और भागों में भी उसी प्रकार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूर।

अन्नाभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों में खोले गये टेस्ट वर्क्स

****२---श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश के अन्नाभाव ग्रस्त जिलों के मजदूरों को काम देने के लिए टेस्ट वर्क कहां-कहां खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)---उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उन सभी स्थानों पर टेस्ट वर्क्स खोले गये हैं जहां लोगों को रोजी देने के लिये उनकी आवश्यकता समझी गयी। टेस्ट वर्क्स गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद तथा देवरिया जिलों में खोले गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बतायेंगे कि टेस्ट वर्क खोलने का आदेश जिला अधिकारियों को कब दिया गया ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---आदेश तो उनके पास पहले से ही थे जहां जरूरत समझें, वह स्टार्ट कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इस वक्त बता सकेगी कि गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद और देवरिया जिलों में कितने, कितने स्थानों में टेस्ट वर्क हो रहा है ?

श्री चरणसिंह---देवरिया में तो ४ जगहों पर टैस्ट वर्क हो रहा है और साढ़े तीन, चार हजार आदमी रोजाना काम कर रहे हैं और जनाब के जिले की हर तहसील में एक या दो जगह पर १६ तारीख से हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि सामूहिक रूप से इन जिलों में कितना रुपया टेस्ट वर्क के लिये दिया गया है और अलग-अलग जिले के लिये कितना-कितना दिया गया है ?

श्री चरण सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। जिस वक्त जितनी जरूरत होती है उतनी दी जाती है।

श्री रामजीसहाय (जिल देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्नाभाव क्षेत्र में लोगों को जीविका देने के लिये सरकार ने कोई अन्य साधन भी उपलब्ध किये हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां, बहुत से साधन उपलब्ध किये गये हैं इन ४, ५ सालों के अन्दर। लेकिन उसकी तफसील के लिये नोटिस चाहिये वरना इसी टेस्ट वर्क के सिलसिले में सारी बहस हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---वह शायद मछली वगैरह ऐसी चीजें पूछना चाहते हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में टेस्ट वर्क क्यों नहीं खोला गया ?

श्री चरणसिंह---वह जवाब से जाहिर है कि अभी तक जरूरत नहीं समझी गई।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में कौन-कौन से जिले आते हैं जहां गल्ले का अभाव है ?

श्री चरणसिंह---फिलहाल तो गोरखपुर और बनारस के डिवीजन को हम ऐसा मानते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब अभी खाद्य मंत्री जी दौरे पर गये थे पूर्वी जिलों में तो इन जिलों के अलावा जिन जिलों में टेस्ट वर्क नहीं हो रहा है उन जिलों के विधायकों ने भी सरकार के मंत्रियों से निवेदन किया था कि इन जिलों में टेस्ट वर्क खोलना चाहिए ?

श्री चरणसिंह---जी हां, कहीं-कहीं, सब विधायकों ने नहीं कहा, और जिन्होंने कहा उनकी बात करने के बाद तसल्ली हो गई।

बाढ़-ग्रस्त जिलों में भूसे का प्रबन्ध

****३---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा हेतु किन-किन जिलों को कितनी और किस रूप में सहायता की व्यवस्था की है ?**

श्री परमात्मानन्दसिंह---(१) सरकार ने प्रदेश के १९ जिलों के लिये १०,००० रु० प्रति जिला स्वीकृत किया है कि वहां बाढ़ से लोगों की सुरक्षा तथा सहायता की व्यवस्था समय रहते ही कर ली जाय। ये १९ जिले प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ ग्रस्त होते हैं और इनके नाम हैं :--

इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, देवरिया, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गोंडा, हमीरपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी।

(२) उपर्युक्त जिलों को १०,००० रु० प्रति जिला अग्रिम धनराशि की स्वीकृति की गई है, जिससे १०० कच्चे घरों के लिये लकड़ी फूस वन विभाग से मंगा कर रक्खी जा सकें, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को क्रय मूल्य पर दी जा सके, भाड़ा आदि का व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी।

(३) इसके अतिरिक्त चारे की कमी को दूर करने की भी पहले से व्यवस्था की गई है। कुछ जिलों में पहले से ही भूसा का स्टाक जमा कर लेने को कहा गया है जो बाढ़ आने पर

काम आ सके। इसके अलावा बाहर से भूसा मंगाने के लिये एक कन्ट्रेक्टर नियत किया गया है और जिस कीमत पर भूसा सरकार खरीदेगी उसी कीमत पर बाढ़ पीड़ित जनता को दिया जायगा।

(४) जिलों में नावों का प्रबंध करने के लिये भी सरकार ने रुपया स्वीकृत किया है जिसकी सूची संलग्न है। यह रुपया सहायता के रूप में उन गांव सभाओं को नाव बनाने के लिये दिया जायेगा जो ४० प्रतिशत व्यय का प्रबंध करेंगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१३ पर)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूसे का ठेका जिस कंट्रेक्टर को दिया गया है किस रेट पर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---रेट का कोई सवाल नहीं है। भूसा जितने में उसको उपलब्ध होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो गवर्नमेन्ट बर्दाश्त करेगी और उसी रेट पर गवर्नमेंट उसको किसानों को बेच देगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह रेट का प्रश्न जैसा सरकार ने बताया, बाढ़ के समय जो भूसे का रेट रहेगा उस पर दिया जायगा या उससे पहले मार्च-अप्रैल में जो भूसे का रेट रहता है वह सब्सिडाइज्ड भूसा करके उनको दिया जायगा ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, सब्सिडी ट्रांसपोर्ट चार्जेज तक ही सीमित है।

श्री गेंदासिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि भूसा किस वक्त तक पहुंच जायगा ?

श्री चरणसिंह---जब जरूरत होगी तो कलेक्टर कंट्रेक्टर को आर्डर देगा और जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जायगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह सारा प्रबन्ध जिले में बाढ़ से पहले हो गया है या बाढ़ आने पर प्रयास किया जाता है ?

श्री चरणसिंह---बाढ़ आने से पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और बाढ़ आने के बाद भी किया जाता है। दो हजार मन भूसा बाढ़ से पहले स्टाक कर लेना चाहिये और हो गया होगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन इससे ज्यादा भूसे की जरूरत होगी तो कलेक्टर कंट्रेक्टर से कहेगा और वह हो जायगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह भूसा कहां पर इकट्ठा किया जायगा ?

श्री चरणसिंह---जमीन पर किसी छाये के नीचे।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको कुछ जिलों से यह सूचना मिली है कि जिलाधीशों के बार-बार लिखने पर भी समय से यह भूसा नहीं पहुंच पाता है ?

श्री चरणसिंह---जी, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली बल्कि कलेक्टरों का कहना यह है कि भूसा इकट्ठा तो करा रहे हैं, लेकिन इसको कोई लगा नहीं।

नियोजन विभाग में काम करने वाले पंचायत राज कर्मचारियों के वेतन-क्रम में कमी

**४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि नियोजन विभाग में काम करने वाले पंचायत राज कर्मचारियों का वेतन-क्रम घटाया गया है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, केवल जिलों के अस्थायी लिपिकों तथा एकाउन्ट्स लिपिकों का वेतन-क्रम घटाया गया है ।

**५—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार घटाये गये वेतन-क्रम का प्रभाव केवल नवीन नियुक्तियों पर ही पड़ेगा अथवा गत ८ वर्षों से निरन्तर कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर भी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका प्रभाव पंचायत राज विभाग से नियोजन विभाग में आने वाले जिलों के सभी अस्थायी लिपिकों और एकाउन्ट्स लिपिकों पर पड़ेगा ।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले की ग्राम सभा जोन्धौरा के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि अदालत पंचायत क्षेत्र, सिधौली (तहसील सिधौली, जिला सीतापुर) में ग्राम सभा जोन्धौरा शामिल है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां ।

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या उपमंत्री (माल) को कोई ऐसी शिकायत दिनांक १० अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हुई थी कि उक्त क्षेत्र के निकट की ग्राम सभा दूसरी अदालत पंचायत में शामिल कर दी गई है और दूर की ग्राम सभा इसमें शामिल कर दी गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ९ अक्तूबर, १९५५ को भूतपूर्व उप-मंत्री स्वशासन को दिया था । उप-मंत्री माल को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रस्ताव विचाराधीन है ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन रिवीजन्स तथा फर्स्ट अपीलें

*५—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्माल काजेज कोर्ट (Small causes court) के आर्डर या डिक्रीज (decrees) के खिलाफ कितने रिविजन्स (revisions) पड़े हुये (pending) हैं और कब से ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्माल काजेज कोर्ट (Small causes court) के आर्डर या डिक्रीज (Decrees) के खिलाफ अनिर्णित रिवीजन्स (revisions) की कुल संख्या मई, १९५७ के अन्त तक १,७०० थी। इसमें २२४ रिवीजन्स १९५१ से पड़े हुये थे।

*६—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ५,००० रु० से लेकर १०,००० रु० तक की मूल्यांकन (valuation) की कितनी फर्स्ट अपील पड़ी हुई हैं (First appeals pending) हैं और कब से ?

श्री सैयद अली जहीर—इलाहाबाद हाईकोर्ट में ५,००० रु० से लेकर १०,००० रु० तक के मूल्यांकन (valuation) की अनिर्णित फर्स्ट अपीलों की कुल संख्या मई, १९५७ के अन्त तक १७९५ थी जिसमें से ४ अपीलें १९४४ से पड़ी हुयी थीं।

पीलीभीत जिले में चमड़े व हड्डी का ठेका

*७—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि चमड़ा और हड्डी का ठेका देने का कार्य जिलों में सरकार की ओर से होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में यह ठेका कौन देता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, यह ठेके सरकार की ओर से नहीं दिये जाते हैं।

*८—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि चमड़े व हड्डी के ठेके देने के व्यापार से कितनी आमदनी जिला पीलीभीत में सरकार को पिछले तीन सालों से हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला नैनीताल में जगबड़ा पुल से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को टोल टैक्स की मुआफी

*९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनाये गये कुछ पुलों पर उदाहरणार्थ जगबड़ा पुल नैनीताल पर जनवरी, १९५७ से पैदल चलने पर भी टैक्स लिया जाने लगा है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां।

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह टैक्स किस कानून के मातहत लगाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—इंडियन टोल्स ऐक्ट १८५१ (ऐक्ट संख्या ८, १८५१) की धारा २ के अन्तर्गत।

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उस नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखेगी जिसके मातहत यह टैक्स लगाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक विज्ञप्तियां मेज पर प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१४–२२७ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस टैक्स को फिर से वापस लेने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—कोई विचार नहीं कर रही है। प्रश्न ९ जो है उसके सिलसिले में इतना मैं सदन व आपकी इत्तिला के लिये बतला देना चाहता हूं कि जो पैदल यात्री हैं उनके ऊपर टौल आगे के लिये माफ कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि जो टैक्स वसूल कर लिया गया था उसके वापस करने के सम्बन्ध में कोई विचार हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—उसके वापस करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

बलिया नगर के पूर्व में स्थित कुछ गांवों की हदबन्दी

*१२—श्री गौरीशंकर (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया शहर के पूर्व में स्थित जमुआ, सहरसपाली नगवां, अमृतपाली, आरवार, जनाड़ी आदि गांवों को किसी भी ग्राम सभा में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक २८ मई, १९५५ के अनुसार इन गांवों में गांव सभाओं की स्थापना तो घोषित कर दी गई, लेकिन इनमें पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है।

श्री गौरीशंकर—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि इन गांवों में आज भी जमींदारी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ये गांव नगरपालिकाओं के क्षेत्र में हैं इसलिये नियम के अनुसार जमींदारी होगी या नहीं होगी यह स्वयं ही माननीय सदस्य जानते होंगे।

श्री गौरीशंकर—क्या नगरपालिकाओं के चुनाव में इन गांवों के लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता समझता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये गांव नगरपालिका की हद्द से बाहर है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जवाब दिया जा चुका है, नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री जी को ज्ञात है कि ये गांव म्युनिसिपल बोर्ड को टैक्स नहीं देते हैं बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता है।

राज्य में १९५७ के विधान सभा तथा लोक सभा के आम चुनावों पर व्यय

*१३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में जो चुनाव विधान सभा तथा लोक सभा के १९५७ में हुये उसमें कुल कितना व्यय हुआ और उसमें कितना व्यय प्रदेशीय सरकार को देना पड़ा तथा कितना केन्द्रीय सरकार को ?

श्री सैयद अली जहीर--द्वितीय आम चुनावों में, वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में राज्य सरकार द्वारा कुल ५३,९८,५०० रुपया व्यय हुआ।

इस सम्बन्ध में यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में द्वितीय आम चुनावों के शेष आकस्मिक व्यय तथा मतदान से सम्बन्धित कर्मचारियों के यात्रिक भत्तों के बिलों के भुगतान में लगभग २५ लाख रुपया और व्यय होगा।

उपरोक्त धनराशियों में से केन्द्रीय सरकार का भाग ५० प्रतिशत आता है। अतः वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार से २६,९९,२५० रुपया प्राप्त हुआ तथा इन आम चुनावों में जो व्यय १९५७-५८ में होगा उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार आशा है इस वर्ष देगी।

वापसी चुंगी वाले नगर

*१४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन नगरों में चुंगी वापसी की प्रथा लागू है और अब कौन-कौन नगरों में उसे समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस प्रदेश में ५१ नगरपालिकाओं और एक नोटिफाइड एरिया में वापसी चुंगी की प्रथा लागू है इन नगरों की सूची साथ में नत्थी है। वापसी चुंगी की प्रथा को धीरे-धीरे नगरपालिकाओं से हटा कर उसके स्थान पर बिना वापसी चुंगी प्रथा को लागू करने की सरकार की नीति है। फिलहाल तो अलीगढ़ नगरपालिका से वापसी चुंगी हटा कर वहां बिना वापसी चुंगी लगाने के मसले पर सरकार गौर कर रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२८-२२९पर)

कानपुर जिले की चौबेपुर बेला रोड पर पाण्डव नदी के पुल निर्माण की योजना

*१५--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले की चौबेपुर बेला रोड के पाण्डव नदी पर पुल निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल--इस पुल के निर्माण हेतु सरकार ने संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर लिया है और टेंडरों की स्वीकृति के पश्चात् यह कार्य अगस्त, १९५७ में आरम्भ हो जायेगा।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल के निर्माण हेतु एक बार पहले ठेका दिया जा चुका था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री गिरधारीलाल--इसके पहले एक टेंडर मांगा गया था। इसकी वजह यह थी कि पुल को सीमेन्ट के खम्बे गला कर तब बनाने की मंशा थी, लेकिन उसके लिए जिस मशीनरी की जरूरत थी वह नहीं मिली। उसके बाद फिर यह तय किया गया कि कुआं गला कर फिर यह बनाया जाय, इसलिए फिर यह टेंडर मांगा गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सड़क के अलावा दूसरी मनोनीत रोड के निर्माण की योजना कोई नहीं बन पायी है ?

श्री गिरधारीलाल---इसकी इस वक्त मुझे कोई इत्तला नहीं है।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को कार्पोरेशन बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

*१६---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को कार्पोरेशन बनाने में कितना समय और लगेगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति (Jint Select Committee) को रिपोर्ट के हेतु भेजा जा चुका है। उक्त विधेयक के पास हो जाने और उसके अन्तर्गत नियम बन जाने के पश्चात् ही लखनऊ नगरपालिका को कार्पोरेशन बनाया जा सकेगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---जिन अन्य नगरों में नगरपालिकाएं हैं और वहां कार्पोरेशन बनाने का विचार हो रहा है, वहां के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वहां पर कार्पोरेशन बनाये जायंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद---इनकी स्थापना कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है, वही लागू होगा।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स की वसूली

*१७---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७-४८ में लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में हाउस टैक्स व वाटर टैक्स की वसूलयाबी कितने प्रतिशत थी और १९५५-५६ में वसूलयाबी कितने प्रतिशत थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् १९४७-४८ तथा १९५५-५६ में हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स की प्रतिशत वसूलयाबी निम्नलिखित थी--

सन्	हाउस टैक्स	वाटर टैक्स
१९४७-४८	९३	९६
१९५५-५६	७५.२	७६.३

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हाउस टैक्स में १८ फीसदी और वाटर टैक्स में २० फीसदी वसूलयाबी में कमी क्यों हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका मुख्य कारण यह है कि १९५२ और ५३ में इन टैक्सों की जो तादाद थी वह साढ़े चार लाख के करीब थी और इधर बढ़ कर के १९ लाख और २२ लाख के करीब हो गयी है और साथ ही हाउस टैक्स पहले १८० रुपये की हैसियत पर लगता था, उसके बाद वह ६० रुपये की हैसियत से लगा, जिसकी वजह से वह गरीब आदमियों पर भी थोड़ा लगना शुरू हुआ जो उसे देने में मजबूरी महसूस करने लगे। इसके अलावा थोड़ा सा रेंट लगाने के तरीके में भी अन्तर कर दिया गया।

अगर एक मकान में ज्यादा व्यक्ति रहते थे तो उन पर सम्मिलित टैक्स लगाया गया। उसका परिणाम अच्छा हुआ कि टैक्स ज्यादा हो गया और इवेजुन नहीं हो सका। लेकिन दूसरा परिणाम यह हुआ कि संयुक्त टैक्स की वसूलयाबी में दिक्कत होने लगी, यही मुख्य कारण हैं। कुछ दर्जे तक हो सकता है कि शिथिलता भी रही हो।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किस हद तक शिथिलता थी और उसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय सरकार सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह कहना कठिन है कि किस दर्जे तक शिथिलता थी क्योंकि जो कारण बतलाये गये हैं वह बहुत कुछ सही मालूम होते थे। लेकिन जिस हद तक शिथिलता थी उसके लिये उनको ताकीद की गई है और हमने यही कहा है कि उनकी शिथिलता की वजह से ही ऐसा हुआ है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या यह बात सही है कि १९४७-४८ का बोर्ड गैर सरकारी था और ५५-५६ का सरकारी था और टैक्स के वसूल न होने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी बोर्ड की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह तो साफ है कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन टैक्स वसूल न होने के कारण जो बताये गये हैं वह बहुत कुछ सही मालूम होते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूर तबका जो टैक्स देने लायक नहीं था उनकी सूची सरकार के कार्यालय में है और उसको जो माननीय सदस्य देखना चाहें, देख सकते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सरकार के यहां तो नहीं होगी, लेकिन प्रशासक के यहां जरूर है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या यह सही है कि जो टैक्स बाकी है उसमें उच्च सरकारी पदाधिकारियों के मकान तथा मंत्रियों के बंगले शामिल हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर कोई मिले तो विचार कर सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो टैक्स नहीं दे सकते हैं उनका नाम टैक्स न देने की सूची में बढ़ाकर बचत को इंफ्लेट करके कारगुजारी दिखाने का ऐडमिनिस्ट्रेटर ने प्रयास किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--बचत की जगह हानि दिखाई दे रही है और भलाई की जगह बुराई दिखाई दे रही है तो यह उद्देश्य नहीं हो सकता है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*१८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव कब कराये जायेंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) चुनाव का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विधेयक पेश करने के लिये यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, इस साल के अन्त तक दिसम्बर के महीने में हो सकेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सरकार को अभी भी करीब-करीब पूरी उम्मीद है कि हो सकेंगे लेकिन एक प्रश्न सरकार के सामने जरूर उपस्थित है, इस विषय में सरकार चाहेगी कि जो माननीय सदस्य लोग हैं उनकी राय यहां पर तो नहीं, लकिन फर्दन फर्दन अलग जरूर हासिल करना चाहेगी और हमें आशा है कि वह इस विषय में हमें अपनी सलाह देंगे। प्रश्न इस समय यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो मौजदा हालत में हैं वह सराहनीय या वांछनीय हालत में नहीं हैं और एक आध जगह उनको खत्म भी कर दिया गया है। हमारी स्टेट समझती है कि वह एक अच्छा फंक्शन पूरा कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी जिम्मेदारियां और जो शक्तियां हैं उनको बढ़ा दिया जाय। कहां तक वह किया जा सकता है इस पर हम विभागीय तौर पर विचार कर रहे हैं और हम शीघ्र से शीघ्र निर्णय करना चाहेंगे। हम इस बीच में यह जरूर चाहेंगे कि सदन के सदस्यों की अगर यह राय रही है कि चुनाव कराने में थोड़ा विलम्ब होता है तो वह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि आज ही मौजूदा ऐक्ट के मुताबिक चुनाव करा दिये जायं। सरकार का कोई आग्रह नहीं है और हमारी कोशिश चल रही है और अगर हम जल्दी निर्णय पर पहुंच सके तो हम उस पर विचार करेंगे ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्न विचाराधीन है उसके कारण विलम्ब होने की जो आशंका है उसको ध्यान में रखते हुये अगले साल मार्च, १९५८ तक तो चुनाव अवश्य हो जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरा आशय शायद ठीक से नहीं समझा गया। अगर इसमें अधिक विलम्ब का डर होगा तब तो अभी चुनाव करा लिये जायेंगे। चुनाव उसी हालत में पोस्टपोन करने की बात उठेगी जबकि दूसरी व्यवस्था हम शीघ्र ही ला सकेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या यह सही है कि दस साल से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हुये और जनता को उनके प्रबन्ध से असन्तोष है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसे समझन में तो कोई बहुत समझ की जरूरत नहीं है। यह तो हर एक आदमी समझ सकता है कि इस वजह से बड़ी असुविधा हुई और सब से ज्यादा असुविधा सरकार को हुई क्योंकि उसे बड़ी आलोचना सुननी पड़ी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विधेयक वे लाना चाहते हैं वह इस साल दिसम्बर तक ले आयेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसमें तो बहुत कुछ सारे सदन के सहयोग की जरूरत है। सब से पहले नगर निगम विधेयक है, वह पहले लाना ही चाहिये। फिर कुछ दूसरे और बिल हैं जिनका लाना भी बहुत जरूरी है। अगर यह काम हो जाता है तो शायद वह इस साल के खत्म होने से पहले ही आ जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो ये लोकल बाडीज बनायी गयी थीं ये सिर्फ एक विदेशी.....

श्री अध्यक्ष--आप कोई स्टेटमेन्ट या अपनी राय वगैरह न जाहिर करें। आप प्रश्न पूंछें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--तो उसको देखते हुये क्या यह ठीक नहीं समझा जाता कि या तो उनको खत्म कर दिया जाय....

श्री अध्यक्ष--आप फिर व्याख्यान दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--क्या उनको पंचायत आदि और कार्य दिये जायं ताकि वे ठीक तरह से कार्य कर सकें और डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर हो ?

श्री अध्यक्ष--यह सुझाव हुआ, प्रश्न नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उन्होंने स्वयं "टाइम्स आफ इंडिया" के प्रतिनिधि को नैनीताल में वक्तव्य दिया था जिसमें यह कहा था कि कैबिनेट ने अन्तिम रूप से यह तय कर लिया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पुनस्संगठन के आने के पहले ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कर दिये जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस विषय में अन्तिम निर्णय करने के बाद भी सरकार लोकमत के सामने झुक सकती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आम चुनाव होने में विलम्ब है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों की जो जगहें रिक्त पड़ी हुई हैं आठ साल से उनका उप-चुनाव कराने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस समय तो यही दिक्कत है कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव होना ही है तो क्यों उन्हें दो दिन के लिये चुनवाया जाय ।

रिक्शा चालकों की दशा सुधारने के लिए सुझाव

*१९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि रिक्शा चलाने के लाइसन्सों पर रोक लगाने अथवा रिक्शे के स्थान पर मोटर रिक्शा चलाने के सम्बन्ध में उसने कोई निर्णय किया है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*२०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार रिक्शा चालकों की दशा सुधारने के उपाय बताने के लिये कोई समिति बनाने का विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं । उपर्युक्त उत्तर में बताई गई अवस्था में अभी समिति बनाने का विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल--यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और इसके सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह प्रश्न आफिशियली तो चाहे थोड़े ही दिनों से सरकार के सामने हो किन्तु नान-आफिशियली बहुत दिनों से हम सबके सामने है और अगर इस का हल करना आसान होता तो हम २-४ दिन के अन्दर हल कर देते, लेकिन इसमें इतने प्रश्न गुथे हुये हैं कि अभी मालूम नहीं होता कि हम इस को आसानी से हल कर सकेंगे और सच बात तो यह है कि दोनों ही पक्ष इतने प्रबल मालूम होते हैं जिनमें हमेशा सर्फरिंग्स करीब-करीब ईक्वल हैं और हम किसी ठीक निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं । इस सम्बन्ध में जो सहयोग हमारे माननीय सदस्य दे सकें उसका हमेशा स्वागत किया जायेगा ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार ने रिक्शा चलाने वालों के लिये अभी तक कोई विचार किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अभी तक यही विचार हमारे मन में चल रहा है कि अगर कोई कोआपरेटिव रिक्शा चालकों की बन सके, वे खुद अपने रिक्शों के मालिक हो सकें और उनसे जो लाभ हो वह ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को प्राप्त हो सके तो अवश्य यह सबसे अधिक वांछनीय होगा ।

श्री गेंदा सिंह--इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये क्या सरकार कुछ करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जहांतक कार्यान्वित करने का सवाल है इस सम्बन्ध में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनसे मैंने प्रार्थना की है कि इस विषय में वह लोगों से मिल करके सहकारी समिति वगैरा बनवा सकें तो हम उसमें जो सरकार की तरफ से सहयोग दे सकेंगे उस पर विचार करेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिक्शा चलाने वालों के लाइसेन्स पर रोक लगाने से बेकारी फैलेगी उस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह समझते हुये ही तो उन्होंने बताया है कि उनको असमंजस इसी वास्ते हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी अपने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को इस तरह का डाइरेक्टिव भेजने की कृपा करेंगे कि वह इन रिकशा चलाने वालों का कोआपरेटिव बनाने का प्रयास करे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अभी तक जिस विभाग से इनका सीधा ताल्लुक है वह इस विषय में कोई निश्चित योजना नहीं बना सके हैं और जब तक वह न बना लें तब तक इन को वहां भेजना अधिक हितकर नहीं होगा ।

सुजातगंज क्षेत्र को कानपुर म्युनिसिपल क्षेत्र में न लेना

*२१--श्री गौरीशंकर--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सुजातगंज (कानपुर शहर पूर्वी क्षेत्र) को म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां । क्योंकि सुजातगंज नगरपालिका की सरहद से लगभग २ मील की दूरी पर है और बीच में कुल का कुल हिस्सा कैन्टोनमेंट में लगता है । इस क्षेत्र में सफाई, बिजली की रोशनी, पानी इत्यादि का प्रबन्ध करने में अत्यधिक कठिनाई और खर्चा होगा ।

*२२--श्री त्रिलोकी सिंह--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर में अल्प आय वर्ग को गृह निर्माणार्थ सरकारी समितियों द्वारा ऋण

*२३--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर शहर के कम-आय समूह के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु कानपुर सहकारी समितियों द्वारा कितना ऋण दिया गया है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—कानपुर शहर के कम आय समूह के १६० व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु कुल ९,८१,६००रु० इस समय तक ऋण दिया जा चुका है। इन व्यक्तियों में से ८८ गृह निर्माण समितियों के सदस्य हैं जिनको कुल ५,४७,७५० रु० ऋण के रूप में दिया जा चुका है, शेष ७२ व्यक्तियों ने सहकारी बैंक के सदस्य हो कर कुल ४,३३,८५०रु० ऋण के रूप में अब तक प्राप्त किया है।

*२४—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर सहकारी समितियों के पास कितने प्रार्थना-पत्र ऋण प्राप्त करने के लिये प्राप्त हुये हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों को कब तक ऋण प्राप्त हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कानपुर गृह निर्माण समितियों द्वारा कुल ११४ प्रार्थना-पत्र ७,२२,५०० रु० के ऋण के लिये प्राप्त हुये, जिनमें से उपरोक्त ८८ सदस्यों को ऋण दिया जा चुका है (इन प्रार्थना-पत्रों पर १९,७५० रु० द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में देना है) शेष २६ सदस्यों में से १८ प्रार्थना-पत्रों पर १,०७,००० रु० की ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन प्रार्थना-पत्रों पर केन्द्रीय सरकार से ऋण मिलने पर ही ऋण दिया जा सकता है। ४८,००० रु० के ८ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं आशा है कि इस महीने के अन्त तक भारत सरकार से रुपया प्राप्त हो जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रार्थना-पत्र आये हुये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, कुछ आये थे। जहां उनका उचित स्थान था भेज दिये गये थे।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर के लिये कुल कितना धन अलाट किया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई अलाटमेंट कानपुर के लिये ही किया गया हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सारी स्टेट के लिये जो रुपया आया था आवश्यकतानुसार वह धन दिया जाने को था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सारा धन जिनको दिया गया उन्होंने उस धन का सदुपयोग मकान के बनाने में किया है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह रुपया, जमीन के डेवलपमेंट के लिये जिसमें मकान बन सके या मकान बनाने के लिये कर्ज के रूप में दिया गया था। इसी गरज से यह रुपया दिया गया और इसी काम में यह इस्तेमाल हुआ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जितनी धनराशि दी गयी उसमें कितना धन जमीन को मकान बनाने योग्य की दृष्टि से दिया गया और कितना मकान बनाने के लिये दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका पूरा ब्यौरा इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड को भी इस योजना के अन्तर्गत कुछ रुपया दिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—कानपुर में एक ऐडमिनिस्ट्रेटर है जिसके चार्ज में डेवलपमेंट बोर्ड भी है और म्यूनिसिपल बोर्ड भी है। उसको यह रुपया दिया गया था।

आजमगढ़ जिले में मऊ-यूसुफपुर रोड पक्की करने की योजना

*२५--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन सी सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण विभाग द्वारा पक्की की जायंगी और कितनी मील नई सड़कें बनाई जायेंगी ?

श्री गिरधारी लाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले की ६ मील लम्बी मऊ-यूसुफपुर एम० डी० आर० के नये निर्माण के लिये ३ लाख रुपये का आयोजन किया गया है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पूरे काल में कुल १४ मील सड़क बनाने की योजना है या इसके अतिरिक्त और भी सड़क आजमगढ़ में बनाई जाने वाली है ?

श्री गिरधारी लाल--सिर्फ यही सड़क बनने वाली है इसके अलावा और कोई सड़क बननेवाली नहीं है।

*२६--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७--श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--[६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बोर्ड मथुरा का आय-व्यय

*२८--श्री रामहेत सिंह--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ से १९५६ तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मथुरा को किस-किस मद से, कितना-कितना रुपया दिया गया तथा कितनी धनराशि शेष है जो अभी तक खर्च नहीं हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर एक तालिका के रूप में रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३० पर)

मथुरा नगरपालिका का आय-व्यय

*२९--श्री रामहेत सिंह--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका को १९५२ से १९५६ तक किस किस मद में, कितना-कितना रुपया दिया गया, कितनी धनराशि शेष है जो अभी तक खर्च नहीं की जा सकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक विवरण जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३१ पर)

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में ३६,१२५ रुपया हाउसिंग के लिये जो दिया गया था उसमें अधिकतर रुपया खर्च नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसमें से २०,५२८ रुपया व्यय नहीं हो सका। इसके लिये बहुत सी दिक्कतें उस संस्था में हो सकती हैं जिसकी वजह से वह खर्च नहीं कर सके। उनको समय दिया गया है और इसमें वह कर सकेंगे।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सड़कों के निर्माण के लिये जो अनुदान सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में दिया गया था उसमें से जो रु० ९५,४०० अभी तक बाकी है वह खर्चा नहीं किया गया उसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--कारण केवल यही हो सकते हैं कि उनको सामान मिलने में कुछ असुविधायें होंगी जिनकी वजह से काम नहीं कर सके। इसलिये खर्चा नहीं हो सका।

लखनऊ जिले की नगराम-निगोहां सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*३०--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला की मोहनलालगंज तहसील में नगराम-निगोहां कच्ची रोड को पक्की रोड बनाने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है ? यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में मुन्सफी अदालत न बैठने से असुविधा

*३१--**श्री गयूर अली खां** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुजफ्फरनगर जिले की तहसील कैराना की मुन्सिफी अदालत कैराना में न बैठकर १ अगस्त, १९५६ से मुजफ्फरनगर में ही बैठ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--उपयुक्त अफसरों की कमी के कारण १९५६ में कुछ महीने कैराना में कोई मुन्सिफ नहीं रहा। परन्तु उक्त अदालत के पुराने तथा आवश्यक मामलों को सुनने का इन्तजाम मुजफ्फरनगर में कर दिया गया था। जनवरी, १९५७ में कैराना में मुंसिफ की नियुक्ति की गयी पर वह बीमार हो गये और मार्च, १९५७ में छुट्टी पर चले गये। तब से कैराना मुंसिफ का स्थान रिक्त है। अब उम्मीद है कि जुलाई में दीवानी अदालत के खुलने के समय तक कैराना के मुंसिफ की नियुक्ति हो जायेगी।

*३२--**श्री गयूर अली खां** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त मुंसफी अदालत के कैराना में न बैठने के कारण जनता को अत्यन्त कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार कैराने में पहले ही की तरह मुंसिफी अदालत चालू करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--उपयुक्त अफसरों के अभाव के कारण कैराना मुंसिफी अदालत के मुंसिफ का पद रिक्त है। परन्तु अब नये प्रत्याशी (candidate) मुंसिफों की नियुक्ति शीघ्र ही होने वाली है और उम्मीद है कि जुलाई, १९५७ के आरम्भ में नये मुंसिफ उक्त अदालत का कार्यभार संभाल लेंगे।

झांसी में बिना वापसी चुंगी का नियम लागू करने की प्रार्थना

*३३--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार मेरठ की तरह बिना वापसी चुंगी का तरीका झांसी में भी अमल में लाने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जहां तक सरकार को मालूम है झांसी नगरपालिका इस सम्बन्ध में स्वयं क्रियाशील है। बोर्ड ने नगरपालिका में बिना वापसी चुंगी लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव (resolutoin) पास किया है और चुंगी लगाने के प्रस्ताव (proposals) भी बनाये हैं जिनको उसने नगर में जनता की आपत्तियों और सुझावों के लिये प्रकाशित किया है। बोर्ड के यथा नियम (formal) प्रस्ताव (proposals) जब सरकार को प्राप्त होंगे तब वह उनको स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार करेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--बिना वापसी की चुंगी के सम्बन्ध में सरकार की जनरल पालिसी क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव--जो नगरपालिकायें ऐसा प्रस्ताव भेजती हैं, सरकार की नीति है कि वह उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करती हैं।

आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील में बकाया पंचायत कर

*३४--**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में कितना पंचायत टैक्स कितने साल का किसानों पर शेष है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--तहसील फतेहाबाद में गत आठ साल का २,८४,१२४, रु० ४८ नया पैसा पंचायत कर अवशेष है।

*३५-३७--**श्री केशव पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)--[इन प्रश्नों का उत्तर २२ जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या ६९-७१ के अन्तर्गत दिया गया।]

मुजफ्फरनगर तथा जानसठ तहसीलों में सड़कें बनाने की योजना

*३८--**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जानसठ और तहसील मुजफ्फरनगर के पूर्वीय भाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां से कहां तक कितनी लम्बी सड़कें बनाने की योजना बनाई गई है?

श्री गिरधारी लाल--जानसठ तथा मुजफ्फरनगर तहसीलों के पूर्वीय भाग में निम्नलिखित सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई जायेंगी--

			मी०	फ०	फी०
जानसठ तहसील					
(१) मोरना-ककरौली	..	..	५	०	०
(२) ककरौली-जानसठ	..	..	६	०	०
(३) सुखताल के पास मंदिर एप्रोच रोड	..	..	०	१	४९५
मुजफ्फरनगर तहसील					
(१) पुरकाजी-गोरधनपुर	..	..	८	०	०
(२) मुजफ्फरनगर-जानसठ	..	..	१३	०	०

फैजाबाद जिले के सहकारी बैंक

*३९--**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कितने सहकारी बैंक चल रहे हैं और प्रत्येक की गत ३ वर्षों में लाभ-हानि की दृष्टि से क्या स्थिति रही?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--फैजाबाद जिले में ३ सहकारी बैंक चल रहे हैं। उनमें से दो-दो हानि पर और एक लाभ पर चल रहा है।

*४०--श्री मदनगोपाल वैद्य (अनुपस्थित)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

नैनीताल जिले में गौला नदी पर दो पुलों की आवश्यकता

*४१--श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार निकट भविष्य में गौला नदी हल्द्वानी (नैनीताल) व गौला नदी खंस्यूं (नैनीताल) पर पुलों का निर्माण करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

ड्रेनेज स्कीम के लिए बरेली नगरपालिका का प्रार्थना-पत्र

*४२--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार के पास बरेली नगरपालिका द्वारा ड्रेनेज स्कीम के लिये अनुदान देने की प्रार्थना आई है?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

*४३--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--सरकार चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन नगरपालिकाओं को कितना-कितना अनुदान ड्रेनेज स्कीम के लिये दे रही है?

श्री रामस्वरूप यादव--कुछ नहीं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका का अनुमानित व्यय ड्रेनेज का क्या है और क्या उनकी राय में वह इतना बड़ा व्यय अपने साधनों से कर सकती है?

श्री रामस्वरूप यादव--व्यय को जानने के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*४४--श्री गुप्तार सिंह--(जिला रायबरेली)--[२५ जुलाई, १९५७ के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

पाकिस्तान निवासी श्री खलील को जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय से वेतन का मिलना

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री खलील नामक जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय का लिपिक जो पाकिस्तान चला गया उसे बुला कर शेष वेतन दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव--श्री खलील को पाकिस्तान से बुला कर वेतन नहीं दिया गया, बल्कि वह स्वयं जनवरी, १९५७ ई० में अपने घर आये थे और उनकी मांग पर उनका अवकाशकालीन वेतन उन्हें दे दिया गया। क्योंकि उनको याचित अवकाश प्राप्य था और स्वीकृत कर दिया गया था, इसलिये स्वीकृत अवकाश की अवधि का वेतन देना वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश उनका किस महीने का था और वेतन किस महीने का दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय के हिसाब-किताब में घपला

*४६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या यह सही है कि ३ अप्रैल, सन् १९५७ को जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ कार्यालय के हिसाब-किताब की जांच की गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट का खुलासा क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। २१ मार्च से ३ अप्रैल, १९५७ तक जिला पंचायत अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय के हिसाब की जांच विकास आयुक्त कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी द्वारा की गई थी।

जांच रिपोर्ट से पता लगता है कि लेखा के सिद्धान्तों का समुचित पालन नहीं किया गया। एक जाई रोकड़खाता (consolidated cash book) नहीं रखा गया है तथा विभिन्न सहायकों की कैश बुक अव्यवस्थित पाई गयी। रसीद बुकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों का प्रयोग नहीं किया गया तथा कार्यालय को प्राप्त होने वाले धन की रसीद नहीं दी गई। यदि दी भी गई हो तो उसकी कार्यालय प्रति नहीं उपलब्ध है। जिलों के भुगतान करने पर ठेकेदारों से रसीद उचित ढंग से नहीं ली गई। प्रायः सादे कागज पर रसीद ले ली गई है। पंचायत मंत्रियों आदि का वेतन सम्बन्धी पंचायत निरीक्षकों एवं तहसीलदारों के माध्यम से भुगतान किया गया परन्तु वस्तुतः वेतन पाने वाले व्यक्ति से रसीद नहीं प्राप्त की गई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि कितने रुपये का इस हिसाब की जांच से गोलमाल निकला और वे अधिकारी जो इसके जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कदम उठाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--उस हिसाब की जांच करायी जा रही है, जांच के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस २१ मार्च और ३ अप्रैल की जांच जो पंचायत कार्यालय की हुई थी उससे पहले और कोई जांच नहीं हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसका तो मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि इस मामले में सहायक लेखा अधिकारी द्वारा जांच की गयी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इस जांच के बाद ४, ५, ६, ७ अप्रैल को क्या यह सही है कि इस कार्यालय की जांच नहीं हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसे रूटीन से जो कार्य होता है वह हो सकता है, बाकी के बारे में नोटिस की आवश्यकता है।

आजमगढ़ जिले में सीमेंट का वितरण

*४७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सीमेंट सन् १९५७ के मार्च एवं अप्रैल मास में कितनी-कितनी बोरी प्रदान की गई तथा वितरण तहसीलवार कितनी-कितनी बोरी का है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आजमगढ़ जिले में मार्च सन् १९५७ में ९,६६० बोरी और अप्रैल सन् १९५७ में ९,९८४ बोरी सीमेंट प्राप्त हुई। तहसीलों में जिन मात्राओं में यह सीमेंट जनता को दी गई उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २३२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् ५७ और अप्रैल, सन् ५७ के सीमेंट की तादाद में जो कमीवेशी है, इसका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो इस हिसाब से है कि केन्द्रीय सरकार से जो हमको मिलता है उसी हिसाब से बांट दिया जाता है, जब ज्यादा मिलता है तो ज्यादा बांट दिया जाता है।

शाहजहांपुर जिले में पंचायती अदालतों का निर्माण

*४८—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि शाहजहांपुर जिले में अब तक पंचायती अदालतों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शाहजहांपुर जिले में पंचायती अदालतों का निर्माण हो चुका है।

इटावा में यमुना नदी पर पुल की आवश्यकता

*४९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा में यमुना नदी का पुल बनाने की योजना इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा के इस क्षेत्र में यमुना के पार जाने आने के लिये और कोई पक्का मार्ग नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—बरसात के दिनों में किश्ती के जरिये लोग आ-जा सकते हैं और आते रहते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस इटावा पुल के अतिरिक्त और कोई पुल इस मार्ग पर बनने को है ?

श्री गिरधारीलाल—नहीं, और कोई पुल नहीं बनने को है।

एटा जिले में काली नदी पर पुल का निर्माण

*५०—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में काली नदी का पुल जो भूमरी घाट पर बन रहा है कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—आशा की जाती है कि यह पुल १९५८ की वर्षा ऋतु के पूर्व ही बन जायगा।

श्री भूपकिशोर—क्या यह सत्य है कि ठेकेदार ने अपने ठेके की दर बढ़ाने के लिये इस पुल का निर्माण कार्य कुछ समय के लिये रोक रखा था ?

श्री गिरधारीलाल—नहीं, यह बात सत्य नहीं है ।

राज्य में कोयले की अभि कथित कमी

*५१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या रसद मंत्री इस बात पर रोशनी डालेंगे कि कोयले की कमी के कारण प्रदेश के ईंट के भट्ठों को जो नुकसान हो रहा है उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—राज्य में भट्ठों के लिये कोयले की प्राप्ति १९५६ और १९५७ की पहली छमाही में पिछले वर्षों की प्राप्ति की तुलना में कोई विशेष कमी नहीं है । इसलिये व्यापार को किसी नुकसान का प्रश्न नहीं उठता ।

*५२-५४—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५५-५६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[१ अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फीरोजाबाद नगर उपभोक्ता भंडार का प्रबंध

*५७—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या फिरोजाबाद नगर के सहकारी उपभोक्ता भंडार (उत्तर) लि० का प्रबन्ध सरकार ने २ जून, १९५२ को अपने हाथ में ले लिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां । फिरोजाबाद नगर उपभोक्ता भंडार का संचालन जून २, १९५२ से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एक ऐडमिनिस्ट्रेटर को सौंप दिया गया है । ऐसा करने का कारण यह था कि उक्त उपभोक्ता भंडार के संचालकों के निर्वाचन के विरुद्ध उसके एक सदस्य की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संचालक मंडल को ता फैसला अदालत कार्य करने से रोक दिया ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय के संचालक मंडल को काम करने से रोक दिया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह बात तो हाई कोर्ट का फैसला देखने पर ही बतलाई जा सकती है ।

*५८—श्री जगन्नाथ लहरी—[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कोआपरेटिव सोसाइटी टूंडला में गबन

*५९—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी टूंडला में कितना गबन हुआ है और अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--२,७७३ रु० ३ आ० ९ पा० का गबन हुआ । मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई थी, परन्तु वह दण्ड अभियोग स्थापित न कर सकी और मामला समाप्त कर दिया गया ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी इस पर जांच चल रही है ।

एक सौ पचास रुपया तक वार्षिक किराये के मकानों का हाउस टैक्स मुआफ करने के लिए बरेली नगरपालिका की प्रार्थना

*६०--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या बरेली नगरपालिका ने सरकार के पास ऐसी प्रार्थना की है कि कम से कम १२ रु० मासिक तक की हैसियत के मकानों को हाउस टैक्स से मुक्त कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, बरेली नगरपालिका से १९५३ में सरकार के पास एक प्रस्ताव इस आशय का आया था जिसमें बोर्ड ने १५० रुपये तक के वार्षिक किराये के मकानों को गृह-कर से मुक्त करने की प्रार्थना की थी ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का इस विषय में क्या फैसला रहा ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, लेकिन अभी मई मास में माननीय सदस्य द्वारा एक सुझाव आया है कि १२ रुपया मासिक किराये के जो मकान हैं वे मुक्त कर दिये जायं, अभी उन का यह सुझाव विचाराधीन है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सुझाव पर कब तक निश्चय होने की आशा की जा सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस विषय में डी० एम० से पूछा गया है, उनका जवाब आने पर निश्चय हो जायगा ।

*६१-६२--श्री भजनलाल (जिला इटावा)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में डुमरियागंज खास पर राप्ती के पुल की योजना

*६३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में डुमरियागंज खास पर राप्ती के पुल की योजना कब तक कार्यान्वित होने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जिला बस्ती में डुमरियागंज खास पर राप्ती पर पीपे के पुल का निर्माण-कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में ही आरम्भ कर दिया जायगा ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में डुमरियागंज खास पर राप्ती के पुल की योजना कब तक कार्यान्वित हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल--इसी पंचवर्षीय योजना के मातहत यह है और इसी समय के अन्दर यह पूरी की जायगी। दूसरी बात यह है कि यह इस वर्ष नहीं है।

हरदोई जिले में नवीन सड़कों के निर्माण की योजना

*६४--श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि हरदोई जिले में बिलग्राम, सांडी, हरपालपुर, सवायजपुर से राजेपुर, जिला शाहजहांपुर तक की कच्ची सड़क को पक्की करने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है ?

श्री गिरधारीलाल--हरदोई जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिवायजपुर-राजेपुर, ७ मील लम्बी सड़क, जिले की सीमा तक का नव निर्माण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त बिलग्राम-सांडी-हरपालपुर-सिवायजपुर २५ मील ४ फर्लांग लम्बी सड़क को पक्का करने का कार्य भी योजना में सम्मिलित है।

*६५--श्री चन्द्रहास मिश्र--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसको बनाने का काम कब से आरम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल--सिवायजपुर-राजेपुर सड़क के निर्माण का कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में ही प्रारम्भ हो जायेगा। विधान सभा द्वारा १९५७-५८ के बजट की स्वीकृति के पश्चात् बिलग्राम-सांडी-हरपालपुर सड़क का कार्य प्रारम्भ करने का विचार है।

*६६--श्री चन्द्रहास मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसी सड़क पर ग्राम लमकन के समीप लिलमई नदी पर एक पक्का पुल बनाने की योजना भी उपर्युक्त प्रोग्राम में सम्मिलित है ? यदि हां, तो इसको बनाने का काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--उस पर कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रारम्भ होगा।

श्री चन्द्रहास मिश्र--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस बिलग्राम-राजेपुर सड़क का टेंडर मांगा जा चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--इस की मुझे कोई इत्तला नहीं है।

गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर पुल निर्माण योजना

*६७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ) में गंगा नदी का पुल कब तक बनकर तैयार होगा और उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--केन्द्रीय सरकार ने पुल के टेन्डर अभी तक स्वीकृत नहीं किये हैं, अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि पुल कब तक तैयार होगा। पुल निर्माण में लगभग ११४.१७७ लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेंडर स्वीकृत होने की उन्हें कब तक आशा है ?

श्री गिरधारीलाल--मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही यह टेंडर मंजूर हो जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पर क्या व्यय होगा ? इसमें प्रदेशीय सरकार का भी कुछ भाग होगा या केन्द्रीय सरकार ही सब व्यय देगी ?

श्री गिरधारीलाल--प्रदेशीय सरकार का कोई भाग नहीं होगा। नैशनल हाईवेज और ग्रांट ट्रंक रोड पर केन्द्रीय सरकार का ही धन लगा करता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस पुल के प्राथमिक एस्टीमेट्स क्या थे, यह उनके पास कुछ फीगर्स हैं ?

श्री गिरधारीलाल--यह जो फीगर्स मैंने दिये हैं, यही थे ।

*६८--**श्री रामचन्द्र विकल**--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९--**श्री श्रीनाथ** (जिला आजमगढ़)--[२९ जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आदर्श उपनियमों को पास करने के लिये बस्ती सहकारी बैंक की बैठक

*७०--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बस्ती सहकारी बैंक की कोई बैठक मार्च, १९५७ के आखिरी सप्ताह में आदर्श उपनियमों को पास करने के लिये की गई ? यदि हां, तो किस तारीख में और उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे और सम्पूर्ण कोरम था अथवा नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। बस्ती सहकारी बैंक की बैठक २९ मार्च, १९५७ को आदर्श उपनियमों को पारित करने के लिये की गई। इसमें ३०९ सदस्य उपस्थित थे और कोरम सम्पूर्ण था ।

*७१--**श्री मोहनलाल वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती सहकारी बैंक की कार्यवाही पुस्तिका नई बनाकर रजिस्ट्रार महोदय के पास उपनियम रजिस्टर्ड करने के लिये भेजी गई जब कि पुरानी कार्यवाही पुस्तिका उपप्रधान के पास अब भी मौजूद है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और किस के आदेश से ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं ।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसकी रजिस्ट्री हो गई आदर्श उपनियम की या नहीं हुई ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा अदालत में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर के खिलाफ दायर किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*७२--**श्री राजेन्द्रसिंह**--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट--तारांकित प्रश्न ७१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*७३--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७४-७५--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) ---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थिगित किये गये ।]

फैजाबाद जिले में अकबरपुर सड़क का कट जाना

*७६--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार को ज्ञात है कि दो वर्ष पहले बाढ़ के कारण अकबरपुर (फैजाबाद) की सड़क का एक हिस्सा बह गया जिसके कारण अकबरपुर कस्बे के दोनों भागों का सीधा सम्बन्ध टूट गया और जनता की लगातार मांग होने पर भी यह सड़क नहीं बन सकी ?

श्री गिरधारीलाल---१९५५ की बाढ़ के कारण अकबरपुर-जौनपुर सड़क का एक हिस्सा कट गया था। किन्तु कटा हुआ हिस्सा १९५६ की बरसात के पूर्व ही पूरा किया जा चुका है ।

*७७-७८---श्री देवीप्रसाद मिश्र---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७९--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)---[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८०--श्री मुक्तिनाथराय--[२६ अगस्त , १९५७ के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ जिले में मऊ गांव पंचायत तथा गांव समाज के धन का दुरुपयोग

*८१--श्री रामशरण यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की गांव पंचायत व गांव समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग की शिकायत सरकार के पास आई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, गांव पंचायत तथा गांव समाज मऊ के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जिला पंचायत अधिकारी को शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इनकी जांच जिला स्तर पर की गई जिससे १,३०५ रु० का दुरुपयोग मालूम हुआ । सम्बन्धित प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है और धन की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

*८२--श्री इन्द्रभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---[६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

श्री राजनारायण, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध श्री परिपूर्णानन्द द्वारा मानहानि का मुकदमा

*८३--श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्य, विधान सभा सदस्य, श्री राजनारायण के विरुद्ध जो मानहानि का मुकदमा श्री परिपूर्णानन्द द्वारा चलाया जा रहा है वह किसी आनरेरी मैजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां ।

*८४--श्री मोतीलाल अवस्थी--कथित आनरेरी मजिस्ट्रेट की शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस आनरेरी मैजिस्ट्रेट को हिन्दी व संस्कृत का अच्छा ज्ञान है तथा कुछ अंग्रेजी का भी ज्ञान है ।

हमीरपुर जिले में मौदहा तहसील की कच्ची सड़कें

*८५--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर में कितनी सड़कें निर्माण विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में पक्की की जा रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल--हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में कोई भी सड़क निर्माण विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में पक्की नहीं की जा रही है ।

*८६-८७--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--[१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ८९-९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

खीरी जिले में पलिया टाउन एरिया को जब्त करने के लिये रिपोर्ट

*८८--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या यह सत्य है कि जिला मैजिस्ट्रेट, खीरी ने पलिया टाउन एरिया, जिला खीरी को Supersede करने के लिये कोई रिपोर्ट भेजी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं ।

*८९--श्री जगन्नाथप्रसाद--यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता ।

*९०--श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या चेयरमैन, टाउन एरिया, पलिया, जिला खेरी ने भी उक्त टाउन एरिया को जब्त करने के लिये कोई रिपोर्ट की थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां ।

*९१--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९२-९३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--[६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले में ईशन नदी पर से गुजरने वाली सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*९४--श्रीमती बृजरानी मिश्र (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया कानपुर जिले की बिल्हौर तहसील में स्थित ईशन नदी के पुल पर की सड़क को जो बहुत जीर्ण अवस्था में है शीघ्र मरम्मत करवाने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों के पास सिफारिश करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल--यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

खीरी जिले में गोला-मुहम्मदी सड़क पर गोमती का पुल कमजोर होने से असुविधा

*९५—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में गोला-मुहम्मदी सड़क पर बने हुये गोमती नदी के पुल पर ३ टन से अधिक बोझा ले जाने वाली ट्रकों का निकलना बन्द कर दिया गया है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*९६—श्री छेदीलाल—क्या निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि ट्रकों का निकलना बन्द करने के कारण बीरपुर केन्द्र का गन्ना रोजा फैक्टरी, शाहजहांपुर ले जाने में कठिनाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। ३ टन तक बोझ ले जाने वाली ट्रकें बिना किसी रोक-टोक के पुल को पार कर रही हैं। अधिक बोझ उतार कर अन्य ट्रकें भी पुल को पार करती हैं, अतः कोई विशेष कठिनाई का प्रश्न नहीं उठता।

इसी जगह पर सरकार ने एक पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है जो आर० सी० सी० टी० बीम का बनेगा और वर्षा के बाद यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

हरदोई जिले में सांडी-हरपालपुर सड़क को पक्की करने की योजना

*९७—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिला में सांडी-हरपालपुर सड़क पक्की करवाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो इस दशा में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—१९५७-५८ की नई मांगों की अनुसूची द्वारा इस कार्य के लिये प्राविधान किया जा रहा है।

*९८—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

टेहरी नगर पेय जल योजना

*९९—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि टेहरी नगर पेय जल योजना की जांच सरकार द्वारा पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी द्वितीय वर्ष में उक्त योजना को कार्य रूप में परिणत करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। ६,४४,००० रुपये की लागत की एक अनुमानित योजना तैयार हो चुकी है परन्तु इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जिले में कोयले का अभाव

*१००—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये कितना कोयला और कितना सीमेन्ट एलाट किया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—कोयला .. .. .. ८८ वैगन
सीमन्ट .. .. .. ६७ वैगन

*१०१—श्री रामकिंकर—क्या यह सही है कि उक्त जिले में कोयले के अभाव के कारण जनता और सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित ईंट के भट्ठों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुछ कोयला बरसात प्रारम्भ होने के पहले भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—सम्भव है कि कठिनाई हो । मांग के अनुपात में कोयले की प्राप्ति की कमी है। बरसात के महीनों में बैगनों की प्राप्ति अधिक होने की सम्भावना है और इस समय जितनी अधिक मात्रा में कोयला सभी जिलों के लिए प्राप्त हो सकेगा, उसके सम्बन्ध में प्रयास किया जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद में हिंडन नदी का पुल

१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि गाजियाबाद में हिंडन नदी पर चौड़ा किये जाने वाला पुल कब तक बन कर तैयार होगा ?

श्री गिरधारी लाल—गाजियाबाद में हिंडन नदी पर पुल चौड़ा करने का कार्य समाप्त हो गया है, और पुल ११ जून, १९५७ को तीसरे पहर से यातायात के लिये खोल दिया गया है।

मुरादाबाद जिले की संभल व चन्दौसी नगरपालिकाओं को अनुदान

२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिकायें संभल व चन्दौसी, जिला मुरादाबाद को वित्तीय वर्ष १९५५–५६ व १९५६–५७ में कितनी-कितनी धनराशि, किन-किन निर्माण कार्यों के लिये, किस-किस शर्त पर दी गई थीं ?

श्री त्रिचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिकायें संभल व चन्दौसी को वित्तीय वर्ष १९५५–५६ व १९५६–५७ में निम्नलिखित धनराशियां अनुदान के रूप में दी गयी थीं :—

नगरपालिका का नाम	अनुदान का विवरण	वित्तीय वर्ष	अनुदान
नगरपालिका संभल ..	सड़कों के निर्माण कार्य हेतु	१९५५–५६	५६,८००
,, ,, ..	,, ,, ,,	१९५६–५७	५२,२००
नगरपालिका चन्दौसी ..	खुरजा गेट गर्ल्स स्कूल बनाने के लिये	१९५५–५६	..
,, ,, ..	,, ,, ,,	१९५६–५७	१,०००

सड़क निर्माण हेतु दिये गये अनुदान का उपयोग करने के लिये जो शर्त सरकार द्वारा लगाई गई थी वह सूची "छ" में दिखाई गई है ।

चन्दौसी नगरपालिका को गर्ल्स स्कूल बनाने के लिये उपर्युक्त धनराशि का अनुदान इस शर्त पर दिया गया था कि वह स्वयं अपनी निधि से कम से कम उस अनुदान की धनराशि के जो उसे प्राप्त हुई है बराबर अंशदान देगा ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २३३–२३४ पर)

३—श्री महीलाल—क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त धनराशि में से कितनी-कितनी धनराशि दी हुई शर्तों को पूरा करके व्यय की गई हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका संभल ने उक्त धनराशि में से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक ५०,४५६ रुपये २ आने व्यय किये हैं और इस धनराशि का उपयोग करने में नगरपालिका ने उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है ।

चन्दौसी नगरपालिका ने यह धनराशि अभी तक व्यय नहीं की है क्योंकि बोर्ड का वर्ष १९५७–५८ का बजट अभी पास नहीं हुआ है ।

४—श्री महीलाल—क्या स्वशासन मंत्री बतायेंगे कि उक्त नगरपालिकाओं के मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिये भी सहायतायें दी गई थीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिये नगरपालिकाओं को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई।

५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[३१ जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहसवान म्युनिसिपैलिटी में टोल टैक्स तथा हाउस टैक्स

६—श्री टीकाराम—क्या सरकार ने सहसवान म्यूनिसिपैलिटी में टोल-टैक्स और हाउस टैक्स लगाने की इजाजत दे दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टोल टैक्स सहसवान नगरपालिका पिछले कई वर्षों से लगा रही है। हाउस टैक्स न नगरपालिका लगाती है और न इसको लगाने का उसने कोई प्रस्ताव ही सरकार को प्रेषित किया है। अतएव इन टैक्सों को लगाने की इस समय सरकार द्वारा इजाजत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों को वेतन का न मिलना

७—श्री टीकाराम—क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों का वेतन कई मास से नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, बोर्ड की आर्थिक दशा संतोषजनक न होने के कारण।

प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा विधान सभा सचिवालय को विलम्ब से भेजने की शिकायत

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर, हमको जहां तक ज्ञात हुआ है, आपके कार्यालय में ९, १० बजे रात तक आते हैं, इसलिए आपके सचिवालय के कर्मचारी हम लोगों के पास दस बजे तक हमारे कमरे में उत्तर नहीं पहुंचा पाते हैं। हाउस में जब हम ११ बजे, पौने ग्यारह बजे आये हैं तो आपके सचिवालय के कर्मचारी ने उनको बांटने की कोशिश की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को ताकीद करें कि आपके कार्यालय में कम से कम वह एक दिन पहले, अगर एक दिन पहले नहीं तो सचिवालय में काम बन्द होने तक तो उत्तर मिल जायं जिससे प्रातः हम लोगों को उत्तर मिल जाया करें। नौ बजे आपके सचिवालय में उत्तर आते हैं और उसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह रोजाना तो होता नहीं, कभी एक आध दफा छपने में देर हो जाय तो ऐसे वक्त में यह हो जाता है। खैर, जब आपने शिकायत की है तो मैं इसकी जांच करूंगा कि आज यह क्यों हुआ ऐसा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह तो सरकार की गलती है।

सदन में अधिक माइक्रोफोन लगाने के लिए प्रार्थना

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--मुझे एक प्रार्थना करनी है आपसे। आपने पहले यह कहा था कि सदन में ध्वनि वर्द्धक यंत्र सुसज्जित हो जायगा परन्तु वह अभी तक नहीं हुआ। जब तक यह न हो तब तक इधर भी लाउड स्पीकर लगवा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--मैं आपका आशय नहीं समझा।

श्री गंगाप्रसाद--माइक इधर नहीं हैं और उसी के लिये आप से प्रार्थना करता हूं कि इधर भी अगर आप लगवादें तो बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि ठेकेदार तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वह कहता है कि सब बदल जायेंगे तो मैं अब इसके लिये और खर्च क्यों करूं। थोड़े से दिनों की और मुसीबत है, उसे बर्दाश्त करलें फिर अच्छे माइक लग जायेंगे।

कार्य-सूची में कम प्रश्न रखने के लिए प्रार्थना

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है प्रश्नों के सिलसिले में। आज के प्रश्न १०६ या १०७ की संख्या में हैं और देखा यह जाता है कि सब प्रश्न एक ही दिन में समाप्त नहीं हो पाते, मुश्किल से ६० या ७० ही हो पाते हैं कुछ स्थगित भी हो जाते हैं। इस लिये मेरा यह निवेदन है कि अगर ६० या हद से हद ७० प्रश्नों की तादाद एक दिन के लिये रख दी जाय तो अच्छा रहे। इतनी अधिक संख्या न रखी जाया करे।

श्री अध्यक्ष--यह नहीं हो सकता। कारण यह है कि मैं किसके प्रश्नों को कहूं कि उनके प्रश्न आज इस में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग गैरहाजिर रहते हैं, मालूम नहीं कौन किस वक्त गैरहाजिर रहे। तो जितने प्रश्न आयेंगे उतने ही रख दिये जायेंगे। वे विभागों के हिसाब से बांट दिये जाते हैं। एक सप्ताह में ५ दिन ही प्रश्नों के लिये रहते हैं तो उसी हिसाब से हर विभाग के प्रश्न भी आयेंगे। लेकिन यह माना जाता है कि जो प्रश्न बाकी रह गये उनका जबाब मिल गया। किसी को उन उत्तरों के बारे में कुछ पूछना हो तो स्वतंत्र प्रश्न पूछ सकते हैं, उस में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिये लाचारी है, तादाद की वजह से थोड़ी सी मुसीबत भी झेलने के लिये तैयार रहना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २३५-२३८ पर)

१९५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिए एक दिन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी रहेगा।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सामान्य विवाद के लिये जो तीन दिन का समय रखा गया है उसे एक दिन के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्वीकार हो चुका है। आप की जो मंशा है मैं उसे समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मुझे सूचना मिल चुकी है कि चार रोज सामान्य विवाद होगा।

नियम १५२ में यह दिया हुआ है कि "not more than three days" तो शायद इस वास्ते आप यह चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि नियम १५२ निलम्बित किया जाय और आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिये एक दिन का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—मेरे पास सूचना यह है कि झारखंडेराय जी पहले बोलेंगे। शायद यह तय हुआ था कि आध-आध घंटे का समय नेता पार्टियों के लिये दिया जाय और एक-एक नेता एक-एक रोज बोले। तो आज पहले श्री झारखंडेराय जी बोलेंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले ६ वर्षों से माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में बजट पेश होने की बात प्रति वर्ष देखता आ रहा हूं। उस दृष्टिकोण से मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के इस साल के बजट में पिछले साल के बजट से कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार की नीति की चर्चा उन्होंने पिछले सालों में की उसी प्रकार की नीति इस साल भी हमें दिखाई देती है। जब कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ की स्थापना था, जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की चर्चा हुई थी उस समय जिस प्रकार का बजट और जिस प्रकार की नीति इस सदन में व्यक्त की गई, उसी प्रकार की नीति जब समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की चर्चा हुई है और उस प्रकार के उद्देश्य को स्वीकार कर लिया है अब भी जारी है। इसलिये पुराने बजट से और पुरानी नीति से इस बजट में और इस नीति में कोई भी अन्तर नहीं है। इस बजट भाषण को हम एक नीति भाषण भी नहीं कह सकते यद्यपि इसमें नीति की चर्चा की गई है।

समाजवादी प्रकार के समाज की रचना की बात भी कही गई है। यह भी दावा किया गया है कि पिछले दस वर्षों में हमारे प्रदेश की माली हालत सुधरी है, हमने जन-साधारण के स्तर को ऊंचा उठाया है और हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ी है। लेकिन तथ्यों से जो वस्तुतः तथ्य हैं हमें इसमें कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। समाजवादी समाज की स्थापना की चर्चा तो की गई है, लेकिन विडम्बना और दुर्भाग्य इस बात का है कि समाजवाद की स्थापना पूंजीवाद के अन्दर की जा रही है। पूंजीवादी चौकठे को तोड़ने का कोई प्रयास न पिछले सालों में हुआ और न इस साल किया गया और उस समाजवाद की स्थापना उस नौकरशाही के संचालन में की जा रही है जो नौकरशाही विदेशी साम्राज्यवाद ने हमारे देश और प्रदेश में स्थापित की थी, एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिये। नौकरशाही के संचालन में पूंजीवाद के चौकठे को कायम रखते हुये समाजवाद की स्थापना की चेष्टा का दावा किया जा रहा है और प्रयास हो रहा है, यही विडम्बना और यही दुर्भाग्य हमारे प्रदेश और यहां की जनता का है।

आज परकैपिटा आमदनी के बढ़ने की बात की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और इस सदन में इस प्रकार के विचार अनेक बार प्रकट किये जा चुके हैं कि यह एक भ्रामक वस्तु हुआ करती है। मिसाल के रूप में अगर हम एक गांव को लें और ऐसे गांव हमारे देहात में बहुत होते हैं जहां पर एक या दो व्यक्ति ठेकेदारी या किसी अन्य प्रकार का कोई कार्य करके कुछ धन अर्जन कर लेते हैं। उसकी आमदनी बढ़ गई, उस गांव की टोटल आमदनी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। लेकिन उस गांव के दस परिवारों में ९ परिवारों को उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यही बात प्रादेशिक और राष्ट्रीय पैमाने पर भी हम देखते हैं। जितने

[श्री झारखंडेराय]

भी आंकड़े माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में प्रस्तुत किये हैं इस बात को दिखाते हुये कि यहां की उपज बढ़ी है, खेती में भी और औद्योगिक धंधों के क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने दिखलाया है कि निर्यात हमारा बढ़ा है, हर प्रकार से सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि हमारी माली हालत और खुशहाली बढ़ी है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इस खुशहाली का कितना हिस्सा करोड़ों को प्राप्त हुआ है और कितना हिस्सा मुट्ठी भर लोगों को मिला है। जब तक इस बात का निर्णय नहीं होगा, जब तक इस बात की सफाई नहीं होगी तब तक यह भ्रामक आंकड़े हमारे सामने प्रदेश की वस्तुस्थिति का चित्रण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि जो हालत है उससे ठीक उल्टी रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों से और सरकार के भाषणों से यहां मिला करती है।

आज भ्रष्टाचार की और अपव्यय की बात जोरदार तरीके से सदन में और सदन के बाहर पिछले दो महीनों से उठाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप इसको जानते हैं कि आज के पूंजीवादी समाज के ढांचे को कायम रखते हुये जहां पर संचय की प्रवृत्ति है, जहां मनाफाखोरी की भावनायें हैं, जहां शोषण है और जहां हर व्यक्ति अपने भविष्य की गारण्टी चाहता है तथा समाज और राज्य उस गारण्टी को देने में असमर्थ है, यह कैसे सम्भव है ? इस समाज में हर व्यक्ति अपने भविष्य की गारण्टी के लिये धन संचय करता है चाहे चौकीदार और लेखपाल हो, चाहे ऊंचे से ऊंचा नौकरशाही का अफसर हो, हर व्यक्ति आज संचय की प्रवृत्ति से काम कर रहा है। कल माननीय गोविंद सहाय जी ने एक बहुत ही उचित प्रश्न उठाया कि समाज के जो रोग हैं उनको तो हमें दिखाया जा रहा है लेकिन उनके कारण क्या हैं और उनका समाधान क्या है इसकी चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लक्षण व रोग हैं उनको बतलाने में इधर से या उधर से कोई विशेष बुनियादी अन्तर नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनके कारण ढूंढने और समाधान करने में अन्तर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो समाजवाद पर पुस्तकों के लेखक रहे हैं और किसी समय में समाजवाद के नेता रहे हैं और आज भी मुझे विश्वास है वे समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों पर अविश्वास नहीं करते होंगे, उनके इस स्थान पर रहते हुये समाजवाद की स्थापना की तरफ कोई एक कदम इस तरह का सचमुच नहीं बढ़ा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में समाजवाद की स्थापना दुनिया के किसी भी मुल्क की तरह की नहीं होगी। हमारे यहां समाजवाद की स्थापना सोवियत रूस के रूप व प्रकार की नहीं होगी और न लाल चीन के रूप व प्रकार की होगी और न पूर्वी योरोपीय रूप व प्रकार की होगी। इसमें भारतीय विशेषतायें होंगी। इसमें हमारे देश की संस्कृति व सभ्यता, ऐतिहासिक विकास व परम्पराओं, आर्थिक दशा एवं मानसिक सम्मान की छाप कदम-कदम पर पड़ेगी, लेकिन यह नहीं होगा कि समाजवाद की स्थापना में संचय प्रवृत्ति जारी रहेगी, पूंजीवाद कायम रहेगा जिससे अनेकों की लूट कुछ के जरिये निरन्तर जारी रहेगा। इस प्रकार की समाजवाद की जो बुनियादी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है, माननीय मुख्य मंत्री को अब भी इससे कोई मतभेद नहीं होगा।

ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ठोस कदम यही हो सकता है कि हम व्यक्तिगत सम्पत्ति की सीमाओं को बांधें। जब तक यह नहीं होगा तब तक हर आदमी को भविष्य की चिन्ता रहेगी और हर आदमी संचय की प्रवृत्ति से चिपका रहेगा। घूस खोरी करेगा और काफी से काफी माल इकट्ठा करेगा, अपने बाल-बच्चों व परिवार की सुरक्षा के लिये। राज्य की तरफ से हर व्यक्ति की पूरी गारन्टी ली जाय, मरने के बाद उसके बच्चों की गारन्टी ली जाय। इस प्रकार कदम बढ़ा कर और व्यक्तिगत पूंजी को सीमित करके समाजीकरण किया जाय तो ये प्रवृत्तियां कम होंगी, घूसखोरी और लूट-खसोट कम होगी और तब यह सरकार समाजवाद की स्थापना की ओर कदम बढ़ाने का दावा कर सकती है।

माननीय वित्त मंत्री को मैं इस बात के लिये बधाई देना चाहताहूं कि कभी-कभी वे वास्तविकता को स्वीकार कर लिया करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस बात को माना है कि

पूर्वी यू० पी० में कहत के हालात पैदा होने से कुछ हमारा विशेष खर्चा बढ़ गया। पारसाल जब हम लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि कहत के हालत पैदा हो गये हैं तब उसको नहीं माना गया, लेकिन आज इस बात को मान लिया गया। इस बात के लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इस साल पूर्वी यू०पी० में जो हालात पैदा हो गये हैं उनकी कोई तुलना पिछले साल के मुकाबिले में नहीं हो सकती। इस बात को माननीय चरण सिंह व अन्य मंत्री गण स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन एक साल के बाद, सम्भव है १९५८–५९ के बजट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री खुदा करे व उस समय तक हमारे बीच में जरूर रहें, इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे। बेकारी के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को हम से कहा है कि बेकारी घटी है, जबकि हम समझते हैं कि असलियत इसके खिलाफ है। बेकारी पिछले दिनों में बढ़ी है। सन् १९५६ में उत्तर प्रदेश में बेकारों की संख्या ३,४३,३२३ थी, जबकि काम केवल ३३,९३७ व्यक्तियों को मिला। १९५५ की अपेक्षा १९५६ में २२,४९३ रजिस्टर्ड बेकारों की संख्या में वृद्धि हुई और १९५५ की अपेक्षा १९५६ में ४,५४८ व्यक्तियों को ही काम मिला। पढ़े लिखे क्लर्क और टेक्नीशियंस की बेकारी और तेजी से बढ़ी है। १९५५ में ऐसे लोगों की संख्या ८२, ४२४ थी, जबकि १९५६ में उनकी संख्या बढ़ कर १,०६,३८७ हो गयी। इस तरह से बेकारी के विषय में जो बात माननीय वित्त मंत्री जी ने भाषण में कही है वह असलियत से दूर मालूम होती है।

मुझे तो आशा थी, जबकि हमारे भारत के एक प्रदेश ने बैलेंस्ड बजट ही नहीं, बल्कि सरप्लस बजट पेश करके एक नमूना पेश किया था—मेरा मतलब केरल से है, कि हमारा प्रदेश उसका अनुकरण करेगा। अच्छी बात किसी की हो, उसका अनुकरण करने में कोई हानि या अपमान नहीं होता, लेकिन उस पर कदम नहीं बढ़ाया गया और जो टैक्स नीति अख्तियार की गयी है उसमें गरीबों को कोई राहत नहीं दी गयी है।

जो इंटरटेनमेंट टैक्स की बात कही गयी है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन उसमें एक इस तरह का क्रम रखा जा सकता था जिससे उस इंटरटेनमेंट टैक्स का बोझा भी, मान लीजिये सिनेमा है, उसके छोटे क्लास में जा कर कम पड़ता। रजिस्ट्रेशन की बात जब की जाती है तो रजिस्ट्रशन में भी एक सीमा तक कि इतनी रकम के विषय में रजिस्ट्री कराने वालों की मुक्ति रहेगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, और उतन धन की सीमा क ऊपर टैक्स लग जायंग, इस तरह से जो हमारे समाज का गरीब अंश है उसको हम इन टैक्सों से मुक्त कर सकत थे, या उन पर कम कर सकते थे।

सिंचाई रेट के बारे में भी अगर हम देखें तो शोर-शराबा और बड़े आंदोलन के बाद एक सीमा तक सिंचाई रेट में कमी की गयी, जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है कि २ करोड़ से ऊपर उनको घाटा हुआ, लेकिन आज भी जो सिंचाई रेट है पूर्वी जिलों में, माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि हजारों लोग इसलिए पानी नहीं लेते कि बढ़ी सिंचाई का रेट अदा करना उनकी शक्ति से बाहर है। उसमें जो छोटे खेत वाले हैं, अनइकोनामिक होल्डिंग वाले हैं, जिनके खेत कम हैं उनके सिंचाई रेट बहुत कम हो सकते थे या माफ भी हो सकते थे। इस तरह से हम गरीब जनता के ऊपर टैक्स का बोझा कम कर सकते हैं और जो ऊपरी हमारे धनी किसान वर्ग हैं उन पर अधिक बढ़ा सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि ऐग्रीकल्चरल वेल्थ के ऊपर हम टैक्स न लगावें। कोई वजह नहीं है कि सुपर-टैक्स आन कम्पनीज हम न चालू करें।

(इस समय १२ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

सेल्स टैक्स को हम बढ़ावें, लेकिन इस बात की गारन्टी होनी चाहिये कि उसका असर कंज्यूमर्स के ऊपर न पड़े। प्रोफेशन टैक्स भी लगा सकते हैं और एक सीमा तक लग्जरी ड्रिंक्स के ऊपर हैवी से हैवी टैक्स लगा कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। एक

[श्री झारखंडे राय]

गरीब हिस्सा ऐसा है, जो सचमुच दुखी है, जिनको अंग्रेजों के राज्य में भी दुख था और आज भी दुख है और जिनके दुख में कोई कमी १० वर्षों में नहीं हुई है उनको ऐसे बोझों से मुक्त कर सकते हैं या कम से कम बोझा लगा सकते हैं।

अब मैं कुछ बुनियादी बातों की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। कोई वजह नहीं है कि केरल की सरकार जब केन्द्रीय सरकार से मांग कर सकती है कि चाय के बगीचों का राष्ट्रीयकरण उन्हें करने दिया जाय, क्योंकि विधान के अनुसार वह ऐसा स्वयं नहीं कर सकते थे, तो वह जब लड़-झगड़ सकते हैं तो माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार यह आवाज क्यों न उठाये? और केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार इस बात की मांग करे, और इस तरह की मांगें यदि अन्य राज्य सरकारें भी करना शुरू कर दें तो केन्द्रीय सरकार को मजबूर होकर संविधान में ऐसे परिवर्तन लाने होंगे, कि गवर्नर का पद तोड़ दिया जाय और यू० पी० की तरह से जो कौंसिलें हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है और उनके बगैर भी काम चल सकता है। हम इस तरह की मांग केन्द्रीय सरकार से कर सकते हैं कि हमारे यहां जो ब्रिटिश पूंजी लगी हुई है वह हमारे हाथ में रहे और उसे समाप्त किया जाय और अगर समाप्त न किया जाय तो जो मुनाफा हमारे यहां से बाहर जाता है, वह हमारे राज्य में ही मजबूर होकर नये-नये कल कारखानों में लगाया जाय। हम इस बात की भी मांग केन्द्रीय सरकार से कर सकते हैं कि हमारे यहां से जो अंग्रेजों को पेंशनें जाती हैं उनको रोका जाय, और जो ३ भूतपूर्व देशी नरेश हमारे प्रदेश में हैं उनके प्रिवी पर्स के खर्चे को खत्म किया जाय। इसके अलावा मैं यह जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सर्विसेज हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय। क्योंकि इस प्रदेश में जब प्रादेशिक सर्विसेज की तनख्वाह कम करने की बात कही जायगी तो हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात को जरूर कहा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार की सर्विसेज की तनख्वाह कम करना हमारे हाथ में नहीं है और एक ही कार्य के लिये दो तरह की तनख्वाह देना ठीक नहीं है। इससे निपुणता में कमी आ जायगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम ऐसी मांग केन्द्रीय सरकार से कर सकते हैं और हमारा प्रदेश यदि उसमें अगुवा बनेगा तो सारे देश पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के इस पद पर होने के कारण और उनकी समाजवादी विचारधारा मानने वाला होने के नाते हम उम्मीद करते थे कि इस काम में वे अगुवाई करेंगे, लेकिन हमें बड़ी निराशा हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि परिमाण और गुण दोनों में गिरावट है। १९५५ में जहां २,००,५०६ विद्यार्थी हाई स्कूल में थे वहां १९५६ में १,७८,५८६ विद्यार्थी ही रह गये। विद्यार्थियों की संख्या हाई स्कूल स्टेज में कम है। इसी तरह १९५५ में इंटरमीडियेट में विद्यार्थियों की संख्या ७८,४६२ थी जो १९५६ में ७८,४३९ ही रह गई। इससे स्पष्ट है कि परिमाण में कमी हुई है और यह शिक्षा में प्रगति की हालत नहीं है। इसी तरह से गुण में भी हम देखते हैं कि १९५६ में हाई स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पिछले ६ वर्षों में कम रहा है। वह ४४.१ प्रतिशत था। इन्टर में १९५५ में ५४.५ प्रतिशत था जो १९५६ में घट कर के केवल ५१.६ प्रतिशत ही रह गया। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा के हायर सेकेंडरी स्टेज में परिमाण और गुण दोनों में गिरावट आई है और बजट बराबर बढ़ता जा रहा है। इसका भेद कि ऐसा क्यों हो रहा है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ही बतायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज की बहुत बात कही गई, लेकिन मुझे एक शिकायत है कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो इसके लिये रुपया रखा गया है वह बहुत ही कम है और इस बात की पूरी उम्मीद थी कि ऐग्रीकल्चर की उन्नति के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज पर जोर दिया जायगा। लेकिन धीरे-धीरे उद्योग पर जोर कम होता

गया। आज वह फिर से ऐग्रीकल्चर पर जोर की बात कर रहे हैं और इसलिये उनको ऐसा करना पड़ रहा है कि पिछले साल खाद्यान्न बढ़ती का जो दावा किया गया था वह झूठा किया गया था। मौसम के अनुकूल होने के कारण जो ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस में वृद्धि हुई थी, उसके लिए सिंचाई तथा अन्य साधनों का दावा किया गया था, इसलिये आज फिर से ऐग्रीकल्चर के विकास की बात ही की जा रही है। हैंडलूम प्रदेश की एक मुख्य इंडस्ट्री है। इसमें ८ लाख को रोजगार मिलता है। सरकार ने बहुत हैन्डलूम कोआपरेटिव्ज बना रखी हैं और लाखों रुपया उनको दे रही है और उनमें कितना गबन है, भ्रष्टाचार है, लेकिन वह अलग विषय है, वह विषय जब आयेगा तो उसकी चर्चा की जायगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने मिलों के कम्पिटीशन से उन बुनकरों को बचाने का क्या उपाय किया है ? मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ प्रकार का कपड़ा एलाट कर देना चाहिये कि उस प्रकार का कपड़ा किसी भी मिल में नहीं बनेगा और केन्द्रीय सरकार से इस बात की मांग की जाय कि इस प्रकार के कपड़े अलग कर दिये जायं जो केवल बुनकरों के बनाने के लिये ही निश्चित रहें। इस प्रकार मिलों के कम्पिटीशन से बच कर वे अपनी रोजी चला सकते हैं वरना कुछ लाख रुपये का दान और शिक्षा देने से बुनकरों का बुनियादी विकास नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात को क्या कहूं, उस पर यहां बहुत कुछ कहा जायगा और विशेष कर जब इधर बैठने वाले भी बोलने लगे हैं, उनके मुंह भी वर्षों के बाद खुल गये। 'प्लन्डर विदाउट डेन्जर' तो कल गोविन्द सहाय जी ने कहा पी० डब्ल्यू० डी० के लिये, लेकिन सिंचाई और प्लानिंग विभाग अब सब विभागों को मात कर गये। क्योंकि इनमें काफी रुपया दिया जा रहा है इसलिये इनमें भ्रष्टाचार का भी उसी क्रम से विकास हो रहा है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश और देश का ही नहीं बल्कि एशिया का एक गौरव, एशिया की सब से बड़ी पम्प कैनाल हमारी कांस्टीट्युएंसी में बनायी जा रही है। मैंने सिंचाई मंत्री से खुद मिल करके कहा कि नम्बर २ की लाखों ईंटें उस पम्प कैनाल में नम्बर १ ईंट के नाम पर लगाई गई हैं और उसमें इंजीनियर, ओवरसियर, ठेकेदार और भट्ठेवाले सब ने हिस्सा लिया है। इससे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति जिसका हम सबको गर्व है और होना चाहिये कमजोर हो जायगी। सीमेंट और बालू गलत अनुपात में वहां मिलायी गयी है आज वह हमारे गौरव की वस्तु है, लेकिन जिस दिन वह पम्प कैनाल पानी के धक्के से गिर जायगी उस दिन हम सब के सिर पर कलंक लग जायगा। कोई वजह नहीं है कि जब बड़े-बड़े षडयंत्रों का पता हमारी सेन्ट्रल सी० आई० डी० लगा लेती है तो वह इस बात का पता न लगा सके कि वहां किस अनुपात में सीमेन्ट और बालू मिलायी गयी है। दारुलशफ़ा ४५ लाख रुपये में बनाया गया है। इसके एक कोने को तोड़ कर क्या कोई एक्सपर्ट यह पता नहीं लगा सकता है कि इसमें किस अनुपात में सीमेंट और बालू मिलाई गयी है और उसके बाद ऐसे ठेकेदार और अफसर को शूट कर दिया जाय यहीं कौंसिल हाउस के सामने तो यह गौरव की बात होगी। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी एक दिन कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों को सब से नजदीक के एलेक्ट्रिक पोल पर हम लटका देंगे। मैं उसी स्ट्रेन में बोल रहा हूं। जो अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिये राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करते हैं उनको जो भी दंड दिया जाय वह कम है। लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी से इस बात की अकेले में शिकायत करने के बाद भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हो सकी जिससे वहां कुछ रोकथाम हुई हो। इंजीनियरों के रिश्तेदार ठेकेदार बने हुये हैं। वे हजारों रुपये गरीबों के मार करके भाग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज पूर्व का गरीब जो एक-एक दाने के लिये मर रहा है और दिन रात मेहनत करके काम करता है उसका रुपया ले कर के ये ठेकेदार लोग भाग जाते हैं। अभी दो हफ्ते की बात है कि एक दोहरीघाट पम्प नहर के 'हेड' पर का ठेकेदार १२,००० रुपया गरीबों की मजदूरी का लेकर भाग गया। उस पर जब इंजीनियर और सहायक इंजीनियर से बात की गयी तो वे कानन की बात करते हैं जैसे बड़े भारी कानून की पाबन्दी करने वाले हैं।

[श्री झारखंडे राय]

मैंने उनसे कहा था कि आप पकड़कर वसूल कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया सिर्फ कानून कायदे में मुझको जवाब दे दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार अन्य विभागों में भी था और है लेकिन सिंचाई और प्लानिंग विभाग ने सबको मात कर दिया है।

रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की बाबत कहूंगा। उनसे ४ करोड़ रुपये राजस्व में प्राप्त हुये हैं लेकिन कंडक्टरों और ड्राइवरों के ठहरने, रहने, खाने-पीने और उनके आराम का कोई प्रबंध किसी भी रोडवेज के स्टेशन पर नहीं है। वे मारे-मारे फिरते हैं और रोडवेज की मोटरों पर सोते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मिलिटरी में हुआ करता है कि किस शकल और सूरत में फायरिंग होती है उसी शक्ल और सूरत में उनको खाना-पीना और सब कुछ करना पड़ता है। मैं आग्रह करता हूं कि सरकार का ध्यान इधर अवश्य जाना चाहिये।

टैक्स नीति के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। अगर जनता का जीवनस्तर ऊंचा उठता हो तो टैक्स बढ़े इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन जनता का जीवनस्तर नीचा होता जाय अथवा करीब-करीब जहां का तहां ही रहे. लेकिन टैक्स बढ़ते जायं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की शोषक प्रवृत्ति है जो खत्म होनी चाहिये। केवल हर साल अपनी आमदनी को बढ़ाकर दिखाते जाना ही कोई अच्छी बात तो नहीं है। जो आमदनी हमारी बढ़े वह 'बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय हो' यही मापदंड किसी राज्य की उन्नति का होता है और वही होना चाहिये।

अब मैं कम्युनिटी प्रोजक्ट्स की बात कहना चाहूंगा। उसने २३,००० गांवों को कवर किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सरकार का दावा है कि प्रदेश के हर गांव तक उसका क्षेत्र पहुंच जायगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी सहायता बन्द हो जायगी तब उनका क्या होगा और वहां जो सामान पड़े हैं उनका क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा, जैसा आज है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का लाभ केवल मुट्ठी भर ऊपर के खेतिहर को मिलता है, जितने मुख्य-मुख्य साधन हैं या नाना प्रकार की सहायता जो प्राप्त हो पाती है, सब लेते हैं उसी प्रकार से धनी वर्ग वाले कि वे उस सामान को भी ले लेंगे? उनका उस वक्त क्या होगा जब सरकारी सहायता बन्द हो जायगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

मैं सहकारी समितियों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि अवश्य ही उनकी संख्या बढ़ी है लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। हमारे यहां जो मिडिल और स्माल इंडस्ट्रीज हैं इनको कोआपरेटिव बेसिस पर संगठित किया जाय। अब व्यक्तिगत तौर पर उनका संगठन करना समाप्त किया जाय और इस ओर बढ़ा जाय। जो हमारे मिडिल और स्माल इंडस्ट्रीज का रुपया कुछ लोगों ने और उनमें कुछ पोलिटिकल सफरर्स भी हैं ले लिया है और जिस तरीके से वह रुपया गबन हुआ है वह सब इस सदन को विदित है। वह चीजें खत्म होनी चाहिये और अब इन इंडस्ट्रीज को कोआपरेटिव बेसिस पर संगठित किया जाना चाहिये।

अन्त में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि दृढ़ कृषि नीति पर दृढ़ औद्योगिक नीति किसी राज्य की संचालित होती है। लेकिन हमारी सरकार की दृढ़ कृषि नीति है नहीं। चकबंदी बिना हदबन्दी के की गयी है, बिना जमीन के बटवारे के की गई और बिना इनके आज चकबंदी का जो हश्र हो रहा है वह माननीय चरण सिंह जी जानते हैं। चकबंदी के विषय में विचार व्यक्त किये जायेंगे और किये जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी जमीन के बटवारे की बात को माना है, उसको स्वीकार किया है लेकिन उसकी अवहेलना करके मार-मार कर सरकार और माननीय माल मंत्री अपनी नीति चला रहे हैं उससे काम बनेगा नहीं और सरकारी कृषि नीति की असफलता ही रहेगी। इसलिये कृषि नीति को दृढ़ता से स्थापित करके दृढ़ औद्योगिक नीति को चलाइये और इन्हीं की बिना पर, इनके ही आधार पर हम अपने प्रदेश की उन्नति और विकास की मजबूत नींव डाल सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैंने कल से आज तक जो आय–व्ययक पर विवाद सुना उससे मुझे अमेरिकन दार्शनिक इमर्सन की यह बात याद आयी कि "Trifles make perfection but perfection is no trifle" बजट के पहले पन्ने में वित्त मंत्री महोदय ने लिखा है कि "जो सरकार उत्तर प्रदेश में पिछली अप्रैल में बनी है उसकी नीति का रंग, इस बजट में नजर आता है। वह नीति यह है कि उत्तर प्रदेश एक समाजवादी कल्याण-कारी राज्य हो और इस राज्य में जो दौलत पैदा की जाय उसका वितरण न्यायसंगत हो।" वितरण का सिद्धांत हमारे सर्वोदय समाज में आया है, उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से हम वितरण करना चाहते हैं। एक गृहस्वामी के पास अपरिमित धन है और उसके कार्य बहुत से हैं। घर बनाना है, ऋण देना है, विवाह करना है और भी अन्य बहुत सी व्यवस्था करनी है। तो वह कई वर्षों में धीरे-धीरे उस व्यवस्था को कर सकेगा। कुछ पैसा वह घर के लिये रखेगा, कुछ पैसा वह विवाह के लिये रखेगा और कुछ पैसा वह दूसरे जरूरी कामों में लगायेगा। इस तरह से वह भिन्न प्रकार से अच्छी व्यवस्था कर सकेगा। तभी लोग इसका अनुमान कर सकते हैं कि गृह स्वामी चतुर है। इसी प्रकार से इस बजट में प्रत्येक काम में कुछ न कुछ बातें रखी गयी हैं जो कि इसके आगे के पन्नों में रखी गयी हैं उनको मैं बताऊंगा कि कहां-कहां हैं। जो व्यवस्था इस बजट के अन्दर रखी गयी है वह इस सदन को स्पष्ट है।

यहां पर जब इसकी टीका-टिप्पणी होती है तो बड़ी-बड़ी बातें उन बड़े-बड़े भाषणों में घुमाफिरा कर कही जाती हैं। विरोधी पक्ष से कुछ सदस्य बोले तो वही बातें भिन्न शब्दों में आयी हैं। मुझे ऐसा लगा कि विरोधी पक्ष की टीका टिप्पणी जो हुई है वह बहुत न्यायपूर्ण नहीं है। मैंने कचहरी में एक बार कोर्ट इन्सपेक्टर से पूछा कि तुम सभी जमानतों में क्यों विरोध करते हो कि जमानत न की जाय। उसने जवाब दिया कि यह एक परम्परा है कि हम सभी में कहतें हैं कि जमानत न दी जाय। मुझे ऐसा लगा कि कभी-कभी अच्छे बजट को भी परम्परागत बुरा कह दिया जाता है। क्या ऐसा होता है कि सभी बातें खराब हैं कोई अच्छी बात उसमें है ही नहीं। अगर कोई बात अच्छी है तो उसको अच्छा जरूर कहा जाय। मैं सदन के उस पक्ष से निवेदन करूंगा कि जिस व्यवस्था की स्थापना के लिए जिस समाजवाद की आप बात करते हैं उस समाजवाद को दृढ़ करने के लिये आप अपनी इस परम्परा में सुधार करें, तो सदन का ज्यादा लाभ होगा। जब कोई नया विधान यहां पर हम बनाते हैं तो उसमें आपसे सहयोग चाहते हैं। जब आप विशेषकर यह कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो उस समाजवाद की व्यवस्था की स्थापना के लिये आप हमें अपना सहयोग दें तो अधिक उत्तम होगा। मुझे अपने देहात की एक कहावत याद आती है कि अगर कोई कोढ़ी एकादशी का एक व्रत करे तो वह उस व्रत से अच्छा नहीं होता है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सैकड़ों वर्षों से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है और इस कांग्रेस सरकार को मुश्किल से १० वर्ष हुये हैं। इन दस वर्षों में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जायें, कोई भी बाकी न रहे, जो भी बजट रखा जाय उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो, यह सम्भव नहीं है। कोई भी बजट आयेगा उसमें कुछ न कुछ कमी रहेगी। हमारे साधन परिमित हैं और हमारा खर्चा अपरिमित है तो उस दृष्टि से पहले हम इस बजट पर विचार करना चाहते हैं।

पहली बात जो बजट के सम्बन्ध में कही गयी वह यह है कि यह बजट डेफिसिट है। कई हालतों में डेफिसिट बजट अच्छा होता है। यह डेफिसिट बजट खराब है ऐसी बात नहीं है। बनाने वाले का यह रुख मालूम होता है कि निर्माण के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करें जिससे और अधिक अच्छा काम हो सके।

दूसरी बात यह है कि डेफिसिट बजट में ३ वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। सन् १९५५–५६ में ८५ करोड़ का आय का अन्दाजा था और ९० करोड़ खर्च हुआ। १९५६–५७ में ८५ करोड़ आयका अन्दाजा रक्खा गया था और ९५ करोड़ खर्च हुआ। इसी तरीके से १९५७–५८ में ९७ करोड़ का अन्दाजा किया गया है और १०८ करोड़

[श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी]

का खर्च रखा गया है। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि वैसे तो बजट देखने से डेफिसिट मालूम होता है, लेकिन घुमा फिरा कर बराबर पर ही आयेगा। इस वर्ष ११ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। परन्तु पिछले अनुभव के आधार पर यही अनुमान होता है कि यह घाटा ५–६ करोड़ पर आ जायगा। अगर हमने ऐसी व्यवस्था रखी है जिससे यह मालूम होता है कि इस मद में यह चीज नहीं है तो इसके मायने यह हैं कि वह व्यवस्था अभी अधूरी है जितना रुपया है उसी में सारी व्यवस्था करनी है। पंचवर्षीय योजना भी चलानी है। हम न्याय की दृष्टि से देखते हैं तो समझ सकते हैं कि जितना किसी व्यक्ति से सम्भव है वह सब इस बजट में है।

कहा गया कि भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है और मिनिस्टर्स सरकारी कर्मचारियों के वश में हैं। सत्याग्रह भी किया जाता है। Earnest Barker एक बड़ा अच्छा लिखने वाला हुआ है। उसने भी लिखा है कि 'सिविल डिसओबीडियेन्स' बहुत कम अंश में होनी चाहिये। जब कोई और चारा न रह जाय तब सिविल डिसओबीडियेन्स होनी चाहिये। बापू ने भी कहा था कि प्रह्लाद भी सत्याग्रही थे और उनसे हमने यह भावना ली है। उन्होंने सत्य के ऊपर आग्रह किया था। लेकिन आज कल तो हर बात में सत्याग्रह होने लगा है। हमारा लक्ष्य समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है। हम यहां बैठ कर कोई विधान बनाते हैं, उस समय दोनों पक्ष की बातें आती हैं और बहुमत से बातें तय होती हैं ? परन्तु बाहर जाकर हम उनकी टीका-टिप्पणी करते हैं, माना कि उनको पास करने में हमारा कोई हाथ नहीं था। इसका जनता पर क्या असर पड़ता है, श्रीमन् स्वयं ही सोच लें। मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह प्रजातंत्र हमारे लिये अभिशाप तो नहीं होगा ? बाहर जाकर लोग इस तरह से बातें करते हैं कि जैसे वे यहां के निर्णयों में शामिल ही नहीं थे। "British Parliament is the mother of all Parliaments" वहां के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में सुनिये। जब विन्सटन चर्चिल अमेरिका में गये तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारे यहां कैसी गवर्नमेंट चलती है। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट का लीडर आफ अपोजीशन हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारे यहां फलां गड़बड़ी है। लेकिन हमारे यहां ऐसी परम्परा हो गई है कि हम यहां बैठ कर टीका-टिप्पणी भी कर लेते हैं और संशोधन भी पेश कर लेते हैं और बाहर ऐसी टीका-टिप्पणी करते हैं जिससे समझ में नहीं आता कि उनका भी यहां के काम में कोई हाथ था। शिक्षा के लिये हम १० बजे से ४ बजे तक स्कूलों और कालेजों में पढ़ाते हैं और सारी जिम्मेदारी टीचर्स पर ही समझते हैं। जो भी हमारे विरोधी पक्ष के लोग करते हैं वह भी शिक्षा ह, लकिन वह ऐसी है जिससे समाज में असन्तोष फैलता है। सन् १९५३ का देवरिया जिले का किस्सा खुद मुझे मालूम है। कागजों के दुरुस्त करने की बात विरोध पक्ष से कही गयी है। Special परताल आया। अगर १० आदमी खेत वाले हैं और ९० आदमी बिना खेत हैं तो ९० ने तय किया कि चलो फलां खेत पर दखल करेंगे। ऐसे बहुत से मसले हमारे सामने आये। उस समय मैंने पत्रों में कई लेख लिख कर जिलाधीश का भी ध्यान उधर दिलाया। अगर कोई सही बात करनी है तो उसमें सबका सहयोग होना चाहिये, यह ठीक है। जो प्लेटफार्म से हम पब्लिक को एजूकेशन देते हैं, जो बातें करते हैं उन बातों का प्रभाव जनता पर पड़ता है। जो पंचवर्षीय योजना बनी है उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या कठिनाइयां हैं यह आप नहीं बतलाते। जो योजना बनी ह उसमें लाखों, करोड़ों रुपया जनता का खर्च किया गया है और जो इस वक्त की योजना है वह ४८ अरब की है और इसमें आपको हमको ही तो खर्च करना है, लेकिन आप उस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं देंगे। यहां तो आप कुछ सुझाव देते भी हैं लेकिन फिर बाहर जाकर उसी की टीका-टिप्पणी करते हैं और सही रूप में उसको हल करने की कोई बात नहीं करते हैं।

दूसरी दिक्कत यह होती है कि यहां से जाकर सत्याग्रह के नाम पर आप उसी कलेक्टर और थानेदार आदि की टीका-टिप्पणी करते हैं जिनको हम अपने स्टेट से पे करते हैं। आखिर कलेक्टर या थानेदार जो भी होते हैं वे भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाकर ही नौकरी करने आते हैं, फिर ऐसे लोगों की प्लेटफार्म पर आकर तरह-तरह की निन्दा करना व टीका-टिप्पणी करना कहां तक उचित है, क्योंकि उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। आखिर वे भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी कुछ कंट्रिब्यूशन होता है, देश को बनाने में, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर उनकी टीका-टिप्पणी करना किसी तरह से भी उचित नहीं है। श्रीमन्, मुझे स्मरण है कि हाल ही में २९ तारीख को सत्याग्रह के नाम पर देवरिया में सत्याग्रही दल और थानेदार में पटका-पटकी सड़क के ऊपर हो रही थी जिसे देख कर मैं मूक रह गया और वहां से चला आया। इस तरह से सत्याग्रह के नाम पर थानेदारों से पटका-पटकी हो तो फिर हमारी डेमोक्रेसी कैसे पनपेगी? कैसे हमारी योजना सफल होगी? इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत, तभी सफलता मिल सकती है।

अब मैं कृषि के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रदेश में ८० प्रतिशत खेतिहर हैं और २० प्रतिशत बाकी लोग रोजगार व तरह-तरह का कार्य करते हैं। यहां ऐसा आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता है जैसा कि पश्चिम के यूरोप व अमेरिका आदि देशों में चलाया जाता है। वहां के मजदूर दल जो बंधे हुए हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन यहां के खेती करने वाले स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। उनकी समस्यायें और दिक्कतें उन दलों से अलग हैं। दूसरी बात यह है कि वहां के लोग श्रम का मूल्य समझते हैं और वे ज्यादा काम करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ दूसरी ही स्थिति है। यहां तो मन में यह सोचते हैं कि ज्यादा श्रम करने की क्या आवश्यकता है, पैसा तो हमको उतना ही मिलेगा, इस तरह से वे उस तरफ से अपने मन को हटाते जाते हैं। अभी माननीय माल मंत्री जी का एक लेख मैंने अखबारों में पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि पूर्वी जिले, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर आदि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा है कि ये अंडमन चले जायं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, जरा एक बात मैं कह दूं। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि १० लाख आदमियों के चले जाने से या ५० लाख आदमियों के चले जाने से वह समस्या हल होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर की बात नहीं थी। इसको आप बाद में अपने जवाब में भी कह सकते थे।

श्री चरण सिंह—मैंने प्वाइंट आफ आर्डर नहीं कहा था, मैंने परसनल एक्सप्लेनेशन कहा था।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—खैर, मैंने पत्र में पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वी जिले के लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उसको बन्द करें। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इंटेंसिव कल्टिवेशन होना चाहिये। आप किसी भी मेडिकल शास्त्री से पूछें तो यही मालूम होगा कि ज्यादा बच्चे वही पैदा करते हैं जिनको खाना कम मिलता है। कमजोरी की वजह से ही ज्यादा बच्चे होते हैं। आप उनके लिये खाने की व्यवस्था करें, वहां के लैंड की सर्वे करावें। सर्वे से आपको पता लगेगा कि जो शक्तिशाली होते हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके बच्चे कम पैदा होते हैं। यह एक इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। पूर्वी जिलों में यह मसला बहुत ही व्यापक है। उसकी आर्थिक रीढ़ को सुदृढ़ रखने के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये और इसके लिये वहां औद्योगीकरण की व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

जहां तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात है उस के लिये श्रीमन, जब आप कभी मौका देंगे तो मैं अलग से उस पर विस्तृत रूप से बात करूंगा लेकिन एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान अवश्य दिला देना चाहता हूं। वैसे तो गन्ना रिसर्च का काम देहरादून में होता है जब कि १८-२० गन्ना मिलें गोरखपुर में हैं, और यहां यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। तो ऐसी शिक्षा संस्थायें होनी चाहिये, जहां इस तरह की शिक्षा चालू हो सके।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में जो बजट पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उस के लिये उन को बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं इसका स्वागत इसलिये करता हूं कि मैंने उनके इस वार्षिक बजट में जो एक झलक देखी है वह यह है कि उनके हृदय में यह बात मौजूद है कि वह हमारे प्रदेश को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन के बजट में यह इच्छा मौजूद है और वह चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भूखा, नंगा, बेमकान और बेरोजगार न रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। यदि आप उनकी बजट स्पीच के पहले पन्ने को देखें तो उस में उन्होंने अपनी सरकार की नीति की घोषणा की है और उसमें उन्होंने दो मुख्य बातें कही हैं। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य हो और दूसरे यह कि इस राज्य में जो दौलत पैदा की जाय उस का न्यायसंगत वितरण किया जाय। इसमें दो तीन शब्द बड़े महत्व के हैं। उन्होंने इसको फोर सी किया है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे यहां जो दौलत पैदा हो रही है वह कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह जाय, यह उन की दूरदर्शिता और सजगता है और इसके लिये वह और भी अधिक बधाई के पात्र हैं। वह सजग हैं कि जब हमारे यहां राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो कहीं ऐसा न हो कि वह कुछ आदमियों के हाथ में रह जाय।

हमारा यह बजट उस समय पेश हुआ है जब हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम डेढ़ वर्ष समाप्त कर चुके हैं। हमारी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४ मुख्य आबजेक्टिव्ज हैं, पहला तो यह था कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े, व रहन-सहन का स्तर बढ़े, दूसरे यह कि हम अधिक से अधिक एम्पलायमेंट की व्यवस्था करें, उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो। तीसरे हम अपने यहां उद्योग-धन्धे और हैवी तथा हैन्डी इंडस्ट्रीज की स्थापना करें और हमारा चौथा आबजेक्टिव यह भी था कि हमारे यहां आय या धन की जो असमानता है उसको हम कम करें और एकनामिक पावर और धन का न्यायसंगत वितरण हो। इस बजट में हमें यह देखना है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इन चारों आबजेक्टिव्ज का कहां तक समावेश किया है।

जहां तक राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध है हम निश्चय ही कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि हुई है और वह वृद्धि जितने काम डेवलपमेंट के हुये हैं जैसे प्रोजेक्ट बने, डैम बने, ट्यूबवेल बने, बिजली पैदा हुई इन्ही तमाम कामों का यह फल है। इस समय में जो कुछ सरकार ने किया है उसके लिये हम उसके आभारी हैं और हमें गर्व है कि इतने समय में ही सरकार ने इतनी उन्नति यहां की है, परन्तु फिर भी इस सरकार ने कभी यह दावा नहीं किया कि जो कुछ भी उसे करना बाकी था उसने या वह सब कर लिया जो उसका आबजेक्टिव था वह उसने प्राप्त कर लिया या जो समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो कल्पना थी वह पूरी करली। अभी तो हमें बड़ी मंजिल तय करना है, उस ओर अभी हम कुछ कदम बढ़ा पाये हैं बाकी अभी चलना है। हमारे सामने पूज्य बापू जी का कितना मनोहर चित्र है। इसके बनाने में कितने साधन और समय लगा होगा। इसी प्रकार हमने एक समाज-वादी समाज की स्थापना की बात का निर्णय किया है, उसके लिये अभी समय हमें कम मिला है और हमें करना काफी है। शिकायत हो सकती है कि हमारी जो चाल है उसमें तेजी नहीं है, गति नहीं है। मैं मानता हूं कि हमें तेजी से चलना चाहिये, अभी तेजी नहीं हुई। हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है। हमारे माननीय मंत्री जी बड़े सजग हैं, लेकिन सतर्क नहीं हैं। उन्हें इस तरफ काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि यह राष्ट्रीय आय कहां जा रही है। ठेकेदार, इंजीनियर्स, ओवरसीयर्स, आफिसर्स, धनिक आदि की जेबों में चली जा रही है।

रिसर्च कमेटी में, प्लानिंग कमीशन ने हमारे उत्तर प्रदेश में पांच जिलों---लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा में सर्वे कराया कि जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है, देखा तो जाय कि उसका वितरण कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि वह चन्द व्यक्तियों के हाथ में चली गयी। श्रीमन्, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अर्थ प्रोफेसर डा० बलजीत सिंह जी ने लखनऊ और गोरखपुर का सर्वे किया और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि लखनऊ शहर में ५२ प्रतिशत ऐसी फेमिली हैं जो पावर्टी की जो लाइन है उसके नीचे रह रही हैं। यह सत्य है कि हमने समृद्धि की, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय आय है वह चन्द आदमियों के हाथ में इकट्ठी होती चली जा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से वह सजग हैं उसी तरह से उनको अधिक सतर्क रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रीय आय का ठीक वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। श्रीमन्, एक गृहस्थी के लिए कम से कम ७५ रुपये महीना चाहिए ताकि वह मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फेमिली पांच व्यक्तियों की मानी जाती है। लेकिन हम अभी तक ५२ फीसदी फेमिलीज को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं, भोजन, कपड़ा और मकान नहीं दे पाये हैं।

श्रीमन्, हमने जमींदारी खत्म कर दी। हम सरकार के बहुत आभारी हैं। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया, इतनी बड़ी क्रान्ति बिना खून बहाये दुनिया के किसी देश में नहीं हुई। लेकिन आज हम क्यों चुप रहें। शहरों में बड़े-बड़े मकान मालिकों को हजारों रुपये किराये से आ रहे हैं और वह अपने मकानों की लागत किराये में ले चुके हैं। मान लीजिये मैं एक मकान का ३०, ४० रुपये महीना किराया ३०, ४० साल से दे रहा हूं और मकान की लागत किराये से अदा कर चुका हूं तो क्यों न मकान किरायेदार का हो जाय? क्योंकि उस ओर हम एक कदम उठा कर जिन मकानों के मालिक मकान की लागत पा चुके हैं वे मकान किरायेदार के हो जावें।

हमारे वित्त मंत्री जी ने समाजवादी समाज की व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन हम यह देखते हैं कि समाजवाद की व्यवस्था करने की उनकी ईमानदारी और सच्चाई से इच्छा है। तो सरकार को पुरानी व्यवस्था की समाप्ति का कदम उठाना चाहिये। समाजवाद लाने के लिए इन असमानताओं और नई व्यवस्थाओं को अपनाना पड़ेगा विरोधाभास नहीं चल सकता। इसी प्रकार हमारे देहात में तीन तरह के किसान मौजूद हैं, भूमिधर---सीरदार और अधिवासी। एक का लगान तीन रुपये, दूसरे का सात रुपये और तीसरे का दस रुपये है, अगर मैं गलती पर नहीं हूं। फिर जमींन इतनी नहीं कि अपनी गृहस्थी का भरण-पोषण कर सकें और उसको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना धनवान को। श्रीमन्, हमारे प्लानिंग कमीशन ने हमारी पंचवर्षीय योजना में घोषणा की है कि कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक अनसरटैंटी का एटमास्फीयर फैला हुआ है कि हमारी जमींन १५ एकड़ रहेगी या ५० एकड़। कोआपरेटिव फार्मिग होगी या नहीं होगी। क्या होगा? अगर कोआपरेटिव फार्मिग नहीं चलानी है तो सामने आइये और घोषणा कर दीजिये कि प्रदेश में कोआपरेटिव फार्मिग नहीं होगी। तो श्रीमन्, जो एक यह अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है उसे शीघ्र दूर करना चाहिए। अगर हमको समाजवाद की रचना करनी है तो एक तरह के सब किसान हों और एक लगान हो यह करना पड़ेगा। यह नहीं कि तीन रुपये, सात रुपये और दस रुपये लगान एक ही गांव में एक जमींन पर लागू रहे। यही नहीं जो किसान अधिवासी है वह लगान देता है, आंकड़ों को देखने से मालूम पड़ेगा कि उस गरीब तबके के किसान को ज्यादा देना पड़ता है। डाक्टर सरीन ने फाइनेंस पर थीसिस सबमिट की है और वह प्लानिंग कमीशन के किसी विभाग में थे उन्होंने बताया कि अर्बन एरिया में टैक्स का बर्डन ५.३ है और रूरल एरिया में टैक्स का बर्डन १०.३ है। और यही नहीं ५०० रुपये तक पाने वाले पर टैक्स का भार ७.८ है। जिसकी २ हजार या तीन हजार आय है उस पर ३.९ है। समाजवाद की व्यवस्था

[श्री नेकराम शर्मा]

कायम करने वाली सरकार के जमाने में गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स हो और अमीर पर कम हो तो उसको समाजवाद बनाने वाली स्टेट नहीं कहा जा सकता। यही नहीं सेल्स टैक्स का असर जितना गरीब तबके पर पड़ता है उतना अमीर पर नहीं पड़ता है। इस टैक्स के बजाय दूसरा टैक्स लगाना चाहिये जिससे जो अमीर हैं वह ज्यादा टैक्स दें। सेल्स टैक्स का तो यह हाल है कि एक मजदूर या मिडिल क्लास का आदमी सारी अपनी आय खर्च कर देता है खरीदने में तो उस पर ज्यादा टैक्स का भार पड़ता है और अमीर अपनी पूरी आय खरीदने में नहीं खर्च करता, वह बचा सकता है इसलिये उस पर कम भार पड़ता है।

सरकार को यह भी घोषणा कर देनी चाहिये कि अनइकोनामिक होल्डिंग्ज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके स्थान पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा दें। किसान आज बहुत बुरी हालत में है। आवश्यकता इस बात की है कि सेल्स टैक्स जो आप लगावें, लग्जरी गुड्स पर लगावें जैसे मोटर, सिगरेट, रेडियो वगैरह उन पर लगायें और उसके साथ प्रोफेशनल टैक्स सरकार को लगाना चाहिये। मैं इसलिये सुझाव दे रहा हूं कि वित्त मंत्री जी अक्सर यह कह देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जिनकी इन्कम एक हजार से ऊपर है उन पर आपको प्रोफेशनल टैक्स लगा देना चाहिये।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि १० साल से जिस ब्रिटिश पैटर्न को आप फालो कर रहे हैं उसको समाप्त कर देना चाहिये। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इंटर मीडियेट कोर्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है, उसको प्रदेश की सरकार ने अभी तक नहीं माना जबकि उसका ७५ फीसदी खर्चा केन्द्रीय सरकार जनरल शिक्षा पर मीट करेगी। क्यों नहीं हम उसको अडाप्ट करते। कश्मीर में यूनिवर्सिटी स्टेज तक एजूकेशन फ्री है। यहां छठी क्लास तक फ्री है, लेकिन यह नहीं मालूम कि उसके बाद उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो दर्जा ६ पास कर लेंगे, कहां से पढ़ेंगे ? आपको फ्री एजूकेशन करनी चाहिये विश्वविद्यालय तक और उसके लिये रुपया जो मैंने सुझाव दिये हैं उनके जरिये लेना चाहिये।

हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जो बजट में न्यू आइटम्स हैं अगर आप उनको देखें तो नांन प्लान आइटम्स पर ज्यादा एक्सपेंडीचर है और प्लान आइटम्स पर नहीं। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडीचर पर खर्चा होना चाहिये उसे रेवेन्यू खर्चे में तथा रेवेन्यू खर्चे को केपिटल एक्सपेंडीचर में दिखा देते हैं। यह बजट ऐसे आंकड़ों का जाल होता है कि हम मुश्किल में समझ सकते हैं उनके आंकड़ों को समझने में भी कठिनाई होती है। हमारी तो सीधी बात है और वह यह कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और उसी के अनुकूल सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के आबजेक्टिव को बजट में कार्यान्वित करें। श्रीमन्, एक मिनट और लूंगा। प्लान में जो चार आब्जेक्ट्स थे लास्ट आबजेक्ट रह गया है इम्प्लायमेंट का। गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है कि १९६१ तक १५ मिलियन बेकार हो जायेंगे और हम काम दें पायेंगे कुल ११ मिलियन को। तो चार मिलियन बेकार बच रहेंगे उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। मन्त्री जी कहते हैं कि बेरोजगारी को घटाकर ११ परसेंट से ७ परसेंट कर दिया। कोई नयी इंडस्ट्रीज खोली नहीं, नये जोब्स पैदा नहीं किये तो यह जो इम्प्लायमेंट हुआ है मैं उनसे चाहूंगा कि वह बतायें कि यह इम्प्लायमेंट कहां हुआ ? प्राइवेट सेक्टर में या स्टेट में ? तो यह बातें ऐसी हैं जो संशय पैदा करती हैं। हम चाहते हैं कि वित्त मन्त्री जी इस शंका को दूर करें। समय समाप्त हो गया श्रीमन्, मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन फिर कभी अब मैं आपसे समय मांगूंगा।

(इसके बाद श्री उपाध्यक्ष ने श्री गोविन्दसिंह का नाम पुकारा)

श्री रामस्वरूप वर्मा (ज़िला कानपुर)—श्रीमान् जी, दो बार हम खड़े हुए लेकिन..

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का खड़ा होना कोई प्रश्न नहीं है। जिस समय जिसको मैं आवश्यक समझता हूं उसको पुकारता हूं। इसलिए आपकी पार्टी के कोई सदस्य दो मर्तबे खड़े हुए और उनको मौका नहीं मिला तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उनके अलावा और भी बहुत से माननीय सदस्य दो बार खड़े हुए ह और उनको भी मौका नहीं मिला।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पहले अर्ज कर दूं। जिस तरह पहले टाइम टेबिल निर्धारित हुआ था, उस वक्त मेरा नाम पहले आया था, वह रह गया। मैं जब से इस हाउस में आया हूं तब से जब-जब मेरे बोलने का अवसर आया हर बार आधा इधर और आधा उधर समय मिला। तीन बार मुझे बोलने का अवसर मिला और तीनों बार ऐसा ही हुआ। तो यह आधा इधर और आधा उधर कुछ ठीक नहीं पड़ता। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि कम से कम इसमें कुछ रियायत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो इस बजट को शुरू से लेकर आखीर तक कंडेम करने के लिए खड़ा हुआ हूं, बल्कि इसमें जो अच्छी बातें हैं उनकी तारीफ करने के लिए और जो खराब बातें हैं उनकी खराबी दूर करने के लिए मांग पेश करने आया हूं। जहां तक हमारे उधर के बैठने वाले कुछ भाइयों ने कहा कि बजट सिर्फ एक लेखा नहीं होता है, सरकार के आय और व्यय का और यह कि बजट सरकार की नीति, रीति और आगामी कार्यक्रम क्या होगा उसके ऊपर प्रकाश डालता है, उससे मैं सहमत हूं। हमारी इस सरकार की जो समाजवाद लाने की घोषणा रही है (इस सरकार की मैं इसलिये कह रहा हूं कि इससे पहले जो सरकार थी वह भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी) तो देखना यह है कि क्या उस घोषणा को यह सरकार पूरा करती है? इसको देखने के लिए हमें पूरा बजट देखना पड़ेगा। जो बुनियाद पहली पंचवर्षीय योजना में रखी गयी थी उसी के ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना का महल खड़ा करने का स्वप्न हम देख रहे हैं और वह उसी की पूर्ति पर निर्भर है। इसलिये उसकी जांच करना जरूरी है।

सरकार की यह घोषणा है कि अगले साल जिनकी तनख्वाह ९५ रुपये तक है उनके लिये ५ रु० और बढ़ा दिया जायगा, इसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह काफी नहीं है। इनके अलावा हमारे लोअर डिवीजन के बहुत से क्लर्क ऐसे हैं जो यहीं लखनऊ में भी रहते हैं लेकिन जिनके यहां महीने में पूरे ३० दिन चूल्हा नहीं जलता है। महीने के आखीर में कुछ दिन ऐसे बचते हैं जब कि उन्हें फाका भी करना पड़ता है। उनकी तरफ भी तवज्जह होनी चाहिये। इसके अलावा हमारे ये चपरासी हैं और-और दूसरे कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं जिनकी कि उतने में गुजर नहीं होती है, उनकी तरफ भी तवज्जह करनी चाहिए।

सरकार ने कम खर्चे के सम्बन्ध में एक घोषणा की है। शायद केरल की बात से जिसकी चकाचौंध में वह चौंधिया गये हैं, लगता है उसके कारण से ऐसा किया हो। उन्होंने तनख्वाहें कम कर के ५ सौ रुपये रख दीं। सिद्धान्त तो था गांधी जी का, लेकिन गांधी जी के चेले कर नहीं पाये और हमारे कम्यूनिस्ट भाई उसे कर ले गए। मैं कम्यूनिस्ट भाइयों का कोई हामी नहीं हूं, लेकिन अच्छा काम कोई भी करे हर शख्स का यह फर्ज होता है कि उसकी तारीफ की जाय। तभी तो अच्छा करने वाला अच्छा करेगा और बुरा करने वाले की जब हम भर्त्सना नहीं करेंगे तो वह बुराई से बाज नहीं आयेगा। कम्युनिस्टों ने ५ सौ रुपया तनख्वाह रखी और लेने लगे साढ़े तीन सौ रुपये। तो शायद उनकी ग्लेमर को कम करने के लिये यहां भी यह सोचा गया कि कुछ काटा जाय। लेकिन जैसा कि विरोधी दल के नेता ने फर्माया कि इससे तो कुछ होता नहीं। टेन परसेंट काटने से तो मुश्किल से १०० रुपया या १२० रुपया कम होता है जब कि कुल खर्च ६, ७ लाख आता है। तो जैसे समुद्र में से चार पांच चम्मच पानी कम करने से पानी कम नहीं होता, उसी तरह से छः सात लाख में से कुछ हजार कम करने से वह कम नहीं होता। जैसा एक माननीय सदस्य ने एक फ्रेज इस्तेमाल

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

किया था "एक विंडो ड्रेसिंग है" तो यह विंडो ड्रेसिंग न की जाय। सही मानी में सरकार को खर्च कम करना है तो त्याग, तपस्या और बलिदान करना होगा। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि एक मंत्री का ५०० रुपये में खर्चा नहीं हो सकता है, तो दो हजार, ढाई हजार लीजिये, लेकिन यह ऊपर का खर्चा जैसे कार, हवाई जहाज का भत्ता, बिजली व पानी का खर्चा खत्म किया जाय। एक मंत्री महोदय के पास एक कार थी, वह बदल दी गई। ४०० रुपये में बेच दी गई। मैं इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का मकसद यही है कि दिखावे के लिये कम लिया जाय और ऊपरी खर्चा जिसको कोई जान न सके उसको छिपा कर किया जाय, यह चीज नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक प्लानिंग का सवाल है सबकी राय है कि देश की तरक्की के लिये प्लानिंग होनी चाहिये। लेकिन क्या प्लानिंग हमारी सफल हुई है? संक्षेप में मैं कहूंगा कि आम लोग इसे अपना प्लान नहीं समझते हैं जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने स्वीकार भी किया। आज गरीबों पर ज्यादा टैक्स लगाये जा रहे हैं, एक माननीय सदस्य ने ऐसा फरमाया। मैं उनको उनकी सच्चाई के लिये धन्यवाद देता हूं, कि पार्टी के नकाब को उतार कर उन्होंने सही बात सदन के सामने रक्खी। प्लान इसलिये हमारा फेल हुआ कि जनता ने कोआपरेशन नहीं किया।

प्लानिंग से सम्बन्धित जितने मंत्री व उपमंत्री थे जो बड़े प्रभावशाली थे, वे चुनाव में हार गये। विलायत में "मेनचेस्टर गार्जियन" में उनकी हार की खबर जीत छपी थी। उनके खिलाफ मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहता लेकिन उन्होंने मिसप्लान किया था, उनका प्लान 'ए' से लेकर 'जेड' तक गलत था और उनकी पार्टी खुद दबी जबान में इसको मानने लगी है और प्लानिंग फेल होने से बेकारी भी बढ़ी।

खाद्यान्न का सवाल भी हल नहीं हो सका। उन्होंने जो डींगें मारी थीं उनको हम पूरा नहीं कर सके। यहां खाद्यान्न की कीमत पर ही बजट का सारा स्ट्रक्चर निर्भर करता है। अन्न की कीमत में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती है तो सारी की सारी बजटिंग खत्म हो जाती है। कीमतें बढ़ती गईं और खाना कम होता गया और उसके लिये कहा जाता है कि दैवी प्रकोप हो गया। दुनिया की तवारीख में साफ लिखा है कि प्रकृति पर विजय पाना ही मनुष्य की प्रगति का एक रहस्य है। चीन को लीजिये। सन् ५० में स्वतंत्र हुआ था। उसने अपने यहां ह्वांग हो (शोक की नदी) पर काबू पा लिया। आप क्या हमारे लिये तब स्वर्ग लायेंगे जब हम मर जायंगे?

श्री उपाध्यक्ष--आप को शिकायत थी कि आपको दो टुकड़ों में बोलना पड़ता है। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। हम मध्यान्तर बाद में ले लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--चीज यह है कि सवा बज गया है।

श्री उपाध्यक्ष--सवा का खयाल न कीजिये उसके लिये व्यवस्था कर दी गई है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--बड़ी कृपा होगी। मेरा कहना है कि प्लान अनैतिक है इस मानी में कि इसमें भविष्य का काल्पनिक स्वर्ग दिखाया गया है, जिसमें सन्देह है कि वह स्वर्ग कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। झूठी आशा की झलक दिखला कर कहा जाता है कि इस पीढ़ी को भूखा मरना होगा और अगली पीढ़ी यानी तुम्हारे नाती व पोते मौज उड़ायेंगे। हम मर जायंगे तो मुमकिन है कि हमारे बेटों से भी यही कहा जायगा कि तुम भूखे मरो और तुम्हारे नाती व पोते मौज उड़ायेंगे। तो कब तक यह चलता रहेगा? मौजूदा पीढ़ी को भूखों मार कर भविष्य के झूठे स्वप्न दिखा कर इस तरह का प्लान करना मेरी समझ में तो मिसप्लान ही है। इस तरह से क्या आप देश को भूखा मारेंगे?

इसके बाद मैं आप से अर्ज करूं कि शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा बढ़ी, और चिकित्सा के बारे में कहा गया कि अस्पताल बढ़े। तो यह आंकड़ों का बड़ा-बड़ा माया-जाल फैलाया जाता है और इससे दोतरफा बातें साथ-साथ सिद्ध हो जाती हैं। आंकड़े देने वाली तो सरकार है, सही गलत वह जाने। मैं इस माया जाल में न पड़ कर उसके नतीजे की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। श्री त्रिलोकीसिंह ने प्राइमरी एजूकेशन के बारे में बहुत कुछ बतला दिया और हाई स्कूल एजूकेशन के बारे में दूसरे वक्ता ने जिक्र कर दिया। अब रह गयी यूनिवर्सिटी एजूकेशन। वहां के स्नातकों की हालत यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टों में, जहां उन्होंने कम्पिटीशन में भाग लिया है, उसमें एक बार लिखा था कि जवाहर लाल नेहरू एक ऐक्टर का नाम है। यह स्तर बढ़ रहा है शिक्षा का। आस्ट्रेलिया में हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ यह रिपोर्ट आई थी कि जो यहां से भेजे गये थे वह कुछ जानते नहीं हैं। अब क्या आप यह कहते हैं कि हमारी शिक्षा बढ़ रही है। अगर इसी को आप तरक्की कहते हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं।

इसी तरह से यह कहा गया कि अस्पताल बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस्ट्रो एंट्राइटिस भी बढ़ रहा है, बीमारी भी बढ़ रही है। कहा गया कि यह कोई ज्यादा संक्रामक रोग नहीं है, पेट के मर्ज से होता है। पेट में खराबी तभी आती है कि जब खाना खराब मिले, अच्छा न मिले, आतें कमजोर हों। लेकिन हमारी तरक्की हो रही है और हमें उन्नत खाना मिल रहा है, यह हम मान लें तो कैसे ?

हमेशा घाटे का बजट दिखलाया जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि हम केन्द्र से रुपया मांग लेंगे। इतनी सारी कांग्रेसी सरकारें हैं वह अपना-अपना खप्पर लेकर केन्द्र के दरवाजे पर खड़ी हैं कि दे डालो हमें भीख ! केन्द्र किस-किस को भीख देगा ? यह तो शौक हो गया है डेफिसिट बजट बनाने का। पिछले साल भी डेफिसिट बजट बनाया, वह बाद को सरप्लस हो गया। अच्छा मदारी का खेल है, हाथ पर आम आपने खूब उगा दिया ! इस में रहस्य क्या है ? चीज यह है कि जितनी मदें प्लानिंग के ऊपर रखी गयीं, जैसे कि वह आय-व्ययक में लिखी गयीं उन पर काम कम हुआ, व्यय कम हुआ. लेकिन तिस पर भी तमाशा यह है कि पुलिस पर जो रकम रखी गयी थी, वह बढ़ गयी। अब यह पुलिस स्टेट होगी या वेलफेयर स्टेट होगी ? पुलिस पर खर्च हमारे बजट से ज्यादा बढ़ रहा है और प्लान में जितना बजट में रखा गया था उससे घट रहा है, तो साफ सी बात है कि पुलिस स्टेट हमारी बनने जा रही है, वेलफेयर स्टेट नहीं बनने जा रही है।

दुःख की बात है कि अंग्रेजों के जमाने में यह रिवाज था कि पोलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ वह रिपोर्ट लिखवाते थे, लेकिन आज भी सी० आई० डी० विरोधी पक्ष के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखती है और उनके पीछे साये की तरह लग जाती है। आज भी उसी प्रकार हमारी रिपोर्टें लिखी जाती हैं जैसी कि देश की आजादी के लिए लड़ने वालों की लिखी जाती थीं। यहां की सरकार गेस्टापो को फालो कर रही है।

इसके बाद मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कम खर्चे की बात कही। इस सिलसिले में यह कह दूं कि मिनिस्टर साहबान जो तूफानी दौरा करते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं, लेकिन कई मर्तबा चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्लोकेट हो जाता है। नीचे के पटवारी से लेकर कमिश्नर तक आपके पीछे लगे रहते हैं। कचहरियों के अन्दर देखिये फर्द अहकाम में लिखा मिलेगा कि अदालत कार सरकार से मशगूल है, लिहाजा मुकदमा मुल्तवी कर दिया गया।

अब मैं ज्यादा न कह करके यह कहूंगा कि सूचना विभाग को खत्म कर देना चाहिये। अभी कुछ दिन हुए "स्वतंत्र भारत" में पढ़ा था कि कितनी ही फाइलें गोमती में बहती हुई पायी गयीं और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही भी नहीं हुई। तो

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

यह हालत है। इस प्रकार से जनता को कोई फायदा नहीं होता, खर्चा अवश्य बढ़ा हुआ है। मंत्री महोदयों के चित्र अलबत्ता हमें रोज देखने को मिलते हैं।

इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, लेकिन उन अफसरान के खिलाफ आप बेकार की बातें करते हैं जो आपके खिलाफ डिस्पिलिन की वजह से, सरकारी अनुशासन की वजह से आपका जवाब नहीं दे सकते। वह तो जवाब नहीं दे सकते, आपकी एकतरफा चाल रहती है। सन् ३७ में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तब कहा गया कि बड़ा अच्छा काम हुआ क्योंकि सरकार चलाने वाले भी बड़ा अच्छा काम करते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भ्रष्टाचार चला, क्योंकि जैसे-जैसे हाथ में शक्ति आयी, "जंह जंह पांव पड़े संतन के तंह तंह बंटाधार" वहां नेपोटिज्म और जौबरी बढ़ी। सबने अपने रिश्तेदार भर दिये अगर इसका अनुकरण थोड़ा सा सरकारी अफसर भी करने लगे तो क्या हुआ ? मैं सरकारी अफसरों का वकील नहीं हूं, लेकिन याद दिलाता हूं कि इस सब की शुरूआत आपने की।

एक चीज और है, ये जो लोकल बोर्ड भंग कर दिये वृन्दाबन में और अल्मोड़ा में, ये उन्हीं जगहों पर किये गये जहां कांग्रेसी बहुमत नहीं था। इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार उन आदमियों को जो पब्लिक ओपीनियम से उनके खिलाफ जीतकर आये थे, उन्हें भगाती है। लेकिन उसे किसी न किसी तरह से मार-मार कर मुसलमान बनाया जाता है और लोगों के दिलों से जम्हूरियत से विश्वास हटाया जाता है, फिर भी वे कहते हैं कि हम प्रजातंत्र राज्य या कल्याणकारी राज्य के लिये आये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जब तक विरोधी दल से आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल सकता है। श्री गोविन्द सहाय जी ने फरमाया था कि कांग्रेस के नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई जीती है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वह आर्थिक लड़ाई क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ? आज वह हार इसलिये रहे हैं कि जनता उनके साथ नहीं है और विरोधी दल की बात पर गौर नहीं किया जाता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। जब तक विरोधी दल की बात पर ठंडे दिल से सोचकर गौर नहीं किया जायगा तब तक इस राज्य की भलाई नहीं हो सकती है।

(इस समय १ बज कर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आय-व्यय के लेखे के लिये जो माननीय वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उन्हें बधाई देता हूं। माननीय सदस्यों ने इस बात पर काफी प्रकाश डाला है कि बजट में क्या-क्या होना चाहिये और माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में उन बातों को जो एक बजट में या बजट के पढ़ने के बाद मालूम होनी चाहिये, जिक्र किया है।

मान्यवर, जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है और उस नीति का प्रभाव कहां तक इस बजट पर पड़ा है इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। मैं भी अपने उन माननीय सदस्यों के मत से सहमत हूं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जिस नीति के बारे में कहा उसका पालन इसमें नहीं मिलता और वह इसलिये कि हमारी और हमारी सरकार की कई वर्षों पहले की यह घोषित नीति है कि हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है जिसमें मानव को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता का स्थान मिले। जहां तक पहली पंच-वर्षीय योजना का प्रश्न है, जिसमें १ अरब, ९३ करोड़ रुपया इस प्रादेशिक सरकार का व्यय हुआ और उसका फल भी अच्छा निकला उसे हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि उस सफलता का प्रभाव मानव के जीवन पर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या पड़ा। या यों कहिये कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानवता में जो समानता आनी चाहिये थी उस दृष्टिकोण से उस सफलता का क्या प्रभाव पड़ा। मैं अपने माननीय वित्त मंत्री के इस मत से सहमत हूं कि देश में खुशहाली भी बढ़ी, अन्न का उत्पादन भी बढ़ा, औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नति हुई। लेकिन देखना हमें यह है कि उसका प्रभाव हमारे समस्त मानव समाज पर क्या पड़ा।

हम कृषि के उत्थान को लें तो बंजर जमीनें तोड़ी गयीं, बड़े-बड़े फार्म बने, सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई, समाज में ट्रैक्टर आये, ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन पर इस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च की, लेकिन क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से इन्कार करेंगे कि उन ट्रैक्टरों के आने से जो खेतिहर मजदूर थे, जो हलों पर लगे हुये थे उनका जो रोजगार छिन गया उसके लिये इस सरकार ने अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की? इतने सिंचाई के साधन वैज्ञानिक ढंग से हमारे बीच में आये। उससे हमारे देश की पैदावार जरूर बढ़ी, लेकिन वह मजदूर, गांवों में रहनेवाला वह भूमिहीन किसान, जिसको इस वैज्ञानिक युग के आने के पहले सिंचाई के साधनों में काम मिलता था उसके लिये अब सरकार की ओर से क्या व्यवस्था हुई? हमारे माल मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं। वे कभी कभी कहा करते हैं कि हमारे प्रान्त में खेतिहर मजदूरों की कोई समस्या नहीं है। मैं उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी यह मानते हैं कि उनकी संख्या करीब पौने ६ प्रतिशत है। मैं यह समझता हूं कि उनको इस बात से भी इन्कार नहीं होगा कि वह अलाभकर जोत वाले किसान जिनके पास दो दो, तीन-तीन, एक या आधा एकड़ भूमि है वे भी हमारे खेतिहर मजदूरों में आते हैं। तो हमारे गांवों में बसनेवाला यह समाज जिसकी संख्या कोई साधारण नहीं है उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जहां एक ओर हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रभाव हमारे समाज के कुछ लोगों पर अच्छा पड़ा वहीं दूसरी ओर हमारे इन छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों का रोजगार छिना है और इनकी बेरोजगारी बढ़ी है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि सन् १९५५ में हमारे यहां नगरों में जहां ११ प्रतिशत बेरोजगारी थी वह सन् ५६ में घटकर ७ प्रतिशत रह गई और देहातों की जहां सन् ५५ में ५ से ७ प्रतिशत थी वह अब २ से ३ प्रतिशत रह गई। म इन आंकड़ों को वास्तविकता से बहुत दूर समझता हूं और आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करने का साहस करूंगा कि वे प्रदेश के किसी क्षेत्र के १० जिलों का सर्वे करायें तो उनको ज्ञात हो जायगा कि उनके ये आंकड़े कहां खड़े रहते हैं। मेरे कहने का सीधा सादा मतलब यह है कि हमारी सरकार का ध्यान इस निर्धन, कृषिहीन, उद्योगहीन, साधनहीन, दलित और पीड़ित समाज के लिये विशेष रूप से इस बजट में जाना चाहिये था जो नहीं हुआ। केवल एक जगह पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के नाम से एक धनराशि करीब ३ लाख कुछ हजार के रखी गयी है जिसके द्वारा सरकार ने अपना लक्ष्य निश्चित किया है कि वह करीब १० हजार एकड़ भूमि तोड़ेगी और उसमें कुछ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आश्रय देगी और मैं समझता हूं कि करीब ६ सौ परिवारों के लिये उसमें आपने गुंजायश रखी है लेकिन मुझे इसमें संदेह है। कितनी बार यहां भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के मसले को उठाया गया है और कितनी बार उनकी परेशानियां और कठिनाइयां इस सरकार के सामने रखीं गयी हैं लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज सरकार ने पहाड़ी प्रदेश से आने वाले लोगों को पांच पांच और छः छः साल से भूमि मांगने के बाद भी उनके परिवार की उदर पूर्ति के लिये दो दो एक एक और आधा आधा एकड़ जमीन दी और दूसरी तरफ इस शासन के जिम्मेदार अधिकारी बड़े बड़े फार्म्स बना लेते हैं और इस सरकार से जमीन लेते हैं, और इसी सरकार के सोर्स से धन ले कर वे अपने बड़े बड़े फार्म्स बनाते हैं और अपनी इन्कम को बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ यह सरकार उन भूमिहीन मजदूरों को जमीन देने के लिये असमर्थ रही है।

[श्री महीलाल]

इतना ही नहीं बल्कि मैं यह समझता हूं कि इससे इस सदन के सभी माननीय सदस्य भली प्रकार से अवगत होंगे कि आज देहात में जाकर देखिये कि उनकी झोपड़ियों की क्या दशा है। और उनका रहन-सहन किस प्रकार का है और उनका जीवन किस प्रकार से बीत रहा है। आज उनके पास पशुओं के बांधने के लिये स्थान नहीं है। उनके पास चारपाई बिछाने के लिये जगह नहीं है। ६,७ आदमियों का परिवार एक छोटी सी झोंपड़ी में अपना जीवन यापन करता है। उनकी आबादी का कोई मसला हल नहीं हो पाता। जमींदारी विनाश अधिनियम के द्वारा गांव समाज की भूमि पर उनको कुछ अधिकार दिया गया है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन बेचारों को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। तो मैं इस सरकार से यह आशा करता हूं कि वह अपनी इस घोषित नीति के द्वारा जो समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की नीति है, जिसमें दौलत के बटवारे की बात एक न्यायसंगत बात कही गयी है और यह भी जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि दौलत मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा नहीं होने दी जायगी, उस नीति के आधार पर इस सरकार का कर्त्तव्य है कि यह सरकार इस तरह की व्यवस्था करे जिससे समाज के सभी पीड़ित और दलित लोगों को समान अधिकार मिले और समानता के आधार पर लोगों को जीवन बिताने का मौका मिले।

मैं आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि राज्य कर्मचारियों के वेतन में ५ रुपये की वृद्धि उन्होंने की और इसके साथ सरकार को इसके लिये भी बधाई देता हूं कि उसने कक्षा नवीं में १०० रुपये से कम वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये आधी फीस कर दी है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने लोग भी हमारे समाज में उनकी हैसियत के आते हैं उन सभी को यह सुविधा मिलनी चाहिये। हम अगर राज्य कर्मचारियों को ही यह विशेष सुविधा देते हैं और समाज के दूसरे लोगों को हम सुविधा नहीं देते हैं तो हम समाज में वर्ग-भेद पैदा करने जा रहे हैं। एक तरफ तो उन लोगों को विशेष सुविधा देते हैं जो किसी प्रकार से सम्बन्धित हैं तो यह हमारी वर्तमान नीति के प्रतिकूल पड़ता है। हमारे संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें वर्ग-विहीन, जाति विहीन और सम्प्रदाय विहीन समाज की रचना करना है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि हमारे बीच में कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष अधिकार है तो हम अपनी इस नीति से दूर चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी एक गरीब के लिये कुछ रियायत करना चाहते हैं तो दूसरे गरीबों को क्यों छोड़ देते हैं। इससे एक भेद पैदा होता है। अगर आप के पास खाने को कम है तो सब को जिन्दा रहने के लिये थोड़ा-थोड़ा दीजिये।

दूसरी बात शिक्षा के सम्बन्ध में कही गयी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्कूलों की संख्या बढ़ी। डिगरी कालेजों की संख्या बढ़ी और इसके लिये सरकार ने जो प्रयत्न किया उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो जातीयता बढ़ी, जो साम्प्रदायिकता बढ़ी इसको अगर हमने न रोका तो शिक्षा की नीति उस आधार पर ठीक रूप से स्थापित नहीं होगी। आज जाति विशेष के नाम पर स्कूलों की भरमार है। आज वैश्य पाठशाला या अग्रवाल पाठशाला या दूसरी जातियों के नाम पर बराबर इन संस्थाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। उन संस्थाओं के लिये हमारी सरकार को चाहिये तो यह था कि बजाय इसके कि इनको मान्यता प्रदान की जाती इस प्रकार की संस्थाओं से मान्यता छीन ली जाती। वह चाहे हिन्दू के नाम पर हो, चाहे मुसलमान के नाम पर हो या सिख के नाम पर हो। आज समाज में एक होड़ लगी है कि क्यों न ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ आदि के नाम से स्कूल खोले जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी बहुत सी बातें कहनी हैं इसलिये १ मिनट और देने की कृपा करें। भविष्य में सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि जैसे टैक्स की नीति वह बनाये है कि ज्यादा आमदनी वालों से ज्यादा और कम वालों से कम टैक्स और बहुत कम आमदनी वालों से कुछ नहीं लेती है, उसी तरह से छोटे काश्तकारों को मालगुजारी से मुक्त करना चाहिये

और बड़ों से अधिक मालगुजारी लेनी चाहिये । सरकारी नौकरियों में से ऐसे लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिये जिनके पास और कोई साधन नहीं है । गांव में एक आदमी के पास २ हल की खेती है, वह वहां हाली रख कर उन्हें १०, १२ रुपया देता है और सरकारी नौकरी में ५०, ६० रुपया पाता है ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट जैसे सर्वव्यापी और महत्वपूर्ण विषय के मुख्य-मुख्य पहलुओं पर भी आधे घंटे में न्याय नहीं किया जा सकता है । इसलिये मैं इस बात के लिए विवश हूं कि उसकी चन्द मोटी-मोटी बातों की ओर ही सदन का ध्यान दिलाऊं । मैं बजट को इस कसौटी पर और केवल इस कसौटी पर कसना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की लगभग साढ़े छः करोड़ जनता की उम्मीदों को और उसके जीवन की बेसिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश का सबूत इस बजट में कहां तक है । संविधान के डाइरैक्ट प्रिन्सिपल्स के अनुसार इनईक्वेलिटी को यह बजट कहां तक दूर करता है, जिसके सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा है कि दौलत का न्याय संगत बटवारा होना चाहिये । यह हो सकता है टैक्स की पालिसी से और टैक्स स्ट्रक्चर से और दूसरे पब्लिक एक्सपेंडीचर की पालिसी से ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला कि यह बजट अच्छा है या बुरा, मैं माननीय विरोधी दल के नेता की राय पर नहीं करूंगा, बल्कि सरकारी रिपोर्टों और उनके आंकड़ों के आधार पर इस बात का फैसला करूंगा, सीधे सवाल के जवाब पर करूंगा, जो कि माननीय मंत्री या मंत्रिमंडल के कोई सदस्य या सरकार की ओर से कोई सज्जन मुझे देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके बजटिन्ग और एकाउन्टिंग का वही पुराना तरीका है जो अंग्रेजों के जमाने में था या कोई तब्दीली हुई है ? अगर हुई है तो वह क्या है ? कैपिटल एक्सपेंडीचर जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके मुताबिक बम्बई में बजट की तरह से हमारे सूबे में तरीका बदला गया है या नहीं ? बदल गया है तो वह क्या है ? अगर नहीं बदला गया है तो क्यों नहीं बदला गया है ? मैं यह जानता चाहता हूं कि आपका जो टैक्स सिस्टम, टैक्स पालिसी और टैक्स स्ट्रक्चर है, वह एग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि--

"Government taxation policy is growing on *ad hoc* lines. It is not planned or not based on scientific plans".

यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की राय है । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस क्रिटिसिज्म का उनके पास क्या जवाब है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अंग्रेज शहनशाहियत के जमाने के बजट में और आपके बजट में सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है ? आप जो खर्च करते हैं वह सोशल सर्विस पर खर्च करते हैं और अगर वह काइंड में डिफरेंस है तो वह क्या है, इसको मेहरबानी करके बतलायेंगे । आपकी जो टैक्स पालिसी है वह क्या है ? टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि--

"Taxation structure needs rationalization. It must be instrumental to gain economic objectives and directive principles of State policy embodied in the Constitution."

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी से कि यह बात कहां तक पूरी हो रही है । टैक्स पालिसी और टैक्स स्ट्रक्चर के बारे टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में बहुत साफ है । उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेसी सरकार जिसमें यह सरकार भी शामिल है, पूंजीपतियों के लिये हितकर है और मध्यमवर्ग तथा गरीबों के लिए अहितकर है । यह इल्जाम मेरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

नहीं है, यह इल्जाम विरोधी दल के नेता का नहीं है बल्कि यह इल्जाम टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का है। उस रिपोर्ट के पेज ८० में जो लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"In urban areas business classes both in commerce and industry specially in high income group have gained, in rural sector comparatively large landholders raising cash crops have improved their position.

while in urban areas middle classes and those with fixed incomes have lost in real terms, in rural areas position of some landless agriculturists including some artisans and non-occupancy tenants as particularly vulerable and appears to have suffered further deterioration."

टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि आपकी जो टैक्स की नीति है उससे दोनों जगह को, देहातों को भी और शहरों को भी फायदा हुआ है और वह फायदा पूंजीपतियों और बड़े-बड़े लोगों को हुआ है। गरीबों को, देहातियों को, गांव वालों को, कारीगरों को और छोटे-छोटे किसानों को तथा खेतिहर मजदूरों को सबको नुकसान हुआ है। यह टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की राय है। इस इल्जाम का सरकार के पास क्या जवाब है?

फिर टैक्स पालिसी की बात आती है। टैक्स पालिसी की बात जो उन्होंने स्टेट के लिये रखी है वही सब स्टेट के लिये सही है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी जानते होंगे कि अब स्टेट रेवेन्यू की स्थिति चेंज हो गयी है। इस देश में पहले लैंड रेवेन्यू का मुख्य स्थान था उसकी जगह को अब सेल्स टैक्स ने ले लिया है। यह टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की राय है।

"Sales tax and other state taxes show but little progression."

जैसा मैंने कहा कि सेल्स टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। बाकी और स्टेट टैक्स भी प्रोग्रेसिव नहीं है बल्कि इसके अलावा साफ-साफ यह भी कहा गया है कि यह जो इनडायरेक्ट टैक्सेज का बोझ बढ़ रहा है उसका नतीजा यह हो रहा है कि इस टैक्सेशन पालिसी से इनइक्वेलिटी बढ़ रही है। यह उसका दूसरा चार्ज है।

अब पब्लिक एक्सपेंडीचर की बात आती है कि हमारे देश में विभिन्न वर्गों में अनएकोनामिक इनइक्वेलिटी का ट्रेन्ड बढ़ता जाता है। मैं समझता हूं यह चीज देश के लिये बहुत बुरी है। इस विषय में टेक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की राय है कि टैक्सेशन का जो बर्डन है, जो बोझ है, वह छोटे और मध्यम, ग्रुप्स पर अधिक है यानी यहां की जो टैक्सेशन पालिसी है वह गरीब जनता के हितों को हानि पहुंचाने वाली है और केपिटलिस्ट और दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है। यह कोई मेरी या माननीय नेता विरोधी दल के नेता के कहने की बात नहीं है और न यह वोट कैच करने की बात है बल्कि यह टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की राय है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने राज्य में इस बात की कोशिश की है कि यहां इनसीडेंस आफ टैक्सेज एफेक्टिव, रीयल एण्ड फाइनल हो, जनता के किस किस वर्ग पर कितना टैक्स का बोझ है मैं समझता हूं अभी तक सरकार की ओर से इस तरह की कोई जांच नहीं की गई है और मैं यह जानता हूं कि यह मामला इतना काम्पलेक्स है कि टैक्सेशन इन्कवायरी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम भी इस तरह की जांच को करने की अभी हिम्मत नहीं कर सकते। जब तक हमें यह न मालूम हो कि जनता के किस ग्रुप पर इन्सीडेंस आफ टैक्सेशन कितना है और जब तक यह न मालूम हो जाय कि पबलिक एक्सपेंडिचर का कितना लाभ जनता के किस वर्ग को हो रहा है, निम्न वर्ग को कितना हो रहा है, मध्यमवर्ग को कितना हो रहा है, मजदूरवर्ग को कितना हो रहा है, खेतिहर लोगों को कितना हो रहा है, शहरों में किस वर्ग को कितान लाभ हो रहा है। जब तक यह सब मालूम न हो, तब तक

टैक्सेशन के बारे में कोई फैसला सही नहीं हो सकता है। जैसा कि सब तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वतोन्मुखी उन्नति हो रही है और सब ओर खुशहाली है--जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है "आल इज बेस्ट इन दि बेस्ट आफ वर्ल्ड" मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इस बजट को पढ़कर बता सकता है कि किस वर्ग का इसके द्वारा भला हो रहा है और किसका बुरा हो रहा है।

इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत से एसर्शन्स किये हैं कि यह हो रहा नो आर्गूमेन्ट्स" तो कुछ चीजों के अंग्रेजी कहावत के अनुसार कि "एसर्शन एण्ड डिनायल्स आर है, वह हो रहा है लेकिन गिनाने से क्या होता है, इस तरह से केवल कह देना कि खुशहाली बढ़ रही है या आय बढ़ रही है काफी नहीं है। आज जो लोग सरकार की कुर्सियों पर आसीन हो कर कहते हैं कि खुशहाली बढ़ रही है वह अपनी बजट स्पीच से साबित करें, आंकड़े देकर कि क्या वाकई जो उन्नति हो रही है वह उन्हें दिखलाई देती है या नहीं। जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनके इस तरह के दावों को मानने के लिये कोई तैयार नहीं होगा। सभी स्टेट्स के बारे में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का यह कहना है कि नान-डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के मुकाबले में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से कितना बढ़ा है। अगर सोशल सर्विसेज का व्यय दस करोड़ से २० करोड़ बढ़ गया है। तो उसके मुकाबले में ऐडमिनिस्ट्रेटिव कितना बढ़ा है, दोनों को कम्पेयर कर के बतलाइये कि वृद्धि प्रतिशत किसमें ज्यादा हुआ है। जब तक यह मुकाबला करके न बताया जाय तब तक आप यह नहीं कह सकते कि हमने रियल टर्म्स में डेवलपमेंट, विकास और निर्माण के खर्च को बढ़ाया है। अगर आपने उसको खर्चा ज्यादा बढ़ा दिया है और उसका नहीं बढ़ा है तो आप का यह दावा सच्चा दावा नहीं कहा जा सकता। यह भी पेज ३९ पर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने कहा है, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन आफ नान डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर यू० पी० और पंजाब में होता है। यह श्रेय आप की गवर्नमेंट को है जोकि कल्याणकारी समाजवाद का दावा करती है। सब से बड़ा नान डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर आप के यहां है। सोशल सर्विसेज में भी यू० पी० सिर्फ बिहार और उड़ीसा को छोड़ कर बाकी सब से पीछे है। प्रतिशत में मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि समय कम है।

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने खुद यह कहा है कि यह जो फूड सब्सिडी और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स पर जो खर्च किया जाता है वह टेम्पोरेरी है। इसलिये उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिये। उसको छोड़ कर जितना ऐसा खर्च हो रहा है जो गरीब को फायदा पहुंचाने के लिये डायरेक्टली डिस्ट्रिब्युटेड एक्सपेंडीचर है, मजदूरों के लिए और हरिजनों के लिये जो मकान बन रहे हैं, वह है और थोड़ा सा जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये वर्ग के लिये कर रहे हैं। आप ने ९५ और ९६ करोड़ के बीच में रखा है। वह कुल का एक फीसदी है। एक फीसदी में आप जनता के बहुमत की भलाई कर देना चाहते हैं और सारे संसार से यह वर्डिक्ट लेना चाहते हैं कि उनका भला कर रहे हैं। तो आप ही तय कर लें कि आप का दावा कहां तक ठीक है।

अब माननीय मंत्री महोदय से मैं एक बात और पूछूंगा कि जनता की जिन्दगी की जो खास-खास समस्याएं हैं उनमें आप ने कौन सी हल कीं। क्या आप दावा करते हैं कि आपने खाद्य समस्या हल कर दी? तो पूर्वी जिलों में भुखमरी का सवाल क्यों पैदा हो रहा है? भुखमरी शब्द पर आप को एतराज हो तो उसे मैं वापस ले लूं। और जैसा कि मैंने कहा, माननीय गेंदा सिंह, माननीय झारखंडे राय, दूबे जी और मिश्र जी की राय पर नहीं जाऊंगा। माल मंत्री महोदय ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वी जिलों की समस्या रेन्स एंड ग्रेन्स की समस्या है। इन्होंने एक ऐलीटरेशन इस्तेमाल किया। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप के जरिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्रेन की समस्या क्या पेय, लेह या चोष्य समस्या है? जहां तक मैं समझता हूं ग्रेन की समस्या खाद्य समस्या है। अगर ग्रेंस की प्राबलम है तो आप खाद्य समस्या को हल करने का दावा किस

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बुनियाद पर करते हैं ? आप के जरिये माननीय वित्त मंत्री से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या खाद्य समस्या के हल करने में और मंहगाई बढ़ने में कोई कार्य कारण सम्बन्ध है, कोई काजियल कनेक्शन है कि अगर पैदावार बढ़ेगी तो मंहगाई कम होगी या बढ़ेगी ? अगर ऐसा नहीं है, इसको आप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो मंहगाई के होते हुए आप किस बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि आप ने खाद्य समस्या को हल किया है।

बेकारी के बारे में ज्यादा कहना बेकार है क्योंकि केन्द्र के मंत्री महोदय यह मानते हैं कि पिछली पंचवर्षीय योजना के बाद बेकारी घटने के बजाय ५० फीसदी बढ़ी है।

मकानों की समस्या के बारे में मैं पहले शहरों के बारे में यह बताऊं कि जो आल इंडिया असेसमेंट किया गया है उसके मुताबिक ८०, ९० लाख मकान शहरों के लिये चाहिये। आप ने कभी बताया कि अपने सूबे में शहरों में कितने मकानों की जरूरत है ? इस बात की कभी आपने जांच की और जितने मकानों की जरूरत है उनमें से आपने कितने बनाये, कितनी जरूरत पूरी की, इस बात के भी कभी आपने आंकड़े दिये कि आपके १० वर्ष के राज्य में कितनी आबादी बढ़ी है शहरों की और जितनी आबादी बढ़ी है उसके लिये आपने मकानों का इंतजाम किया है अब तक ? या आप ने कुछ हजार मकान बना लिये तो आंकड़ों से साबित कर दिया कि समस्या हल हो गई। सही बात यह है कि शहरों में मकानों की समस्या ऐक्यूट हुई है।

यही हालत गरीबी की है। मैं जानना चाहता हूं कि यह वृद्धि क्या रीयल है ? आंकड़ों से नहीं। जब आप कहते हैं कि आमदनी बढ़ी है तो कास्ट आफ इंडेक्स का भी हिसाब लगाया है। अगर आमदनी साढ़े ८ फीसदी बढ़ी है और कास्ट आफ इंडेक्स साढ़े १२ फ़ीसदी बढ़ा है तो रीयल टर्म्स में जनता की गरीबी की हालत बेहतर हुई है या बदतर हुई है ? मैं इस बात का जवाब माननीय वित्त मंत्री जी से चाहता हूं। इसके अलावा फेमिली बजट्स को जो इंक्वायरी करते हैं तो किस बुनियाद पर करते हैं ? रिश्वतखोरी में फेमिली बजट्स का कितना हिस्सा चला जाता है ? खाद्य पदार्थों के मूल्य में कितना चला जाता है ? इन बातों का हिसाब लगायें और तब बतायें कि इतनी वृद्धि हुई है, नहीं तो सब बेकार है। सही सही आंकड़े रखने चाहिये। we should not taek at each other हमें जनता के सामने कोई बात रखनी है तो ऐसी रखनी है कि जिससे विरोधी भी कनविन्स हो जायं कि सही बात है। अन्यथा बेकार है सब।

जनता एक बेग शब्द है। जनता में जो निम्नतम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है ? मैं गहराई में तो समय की कमी के कारण न जा सकूंगा, इसलिये मैं मोटे सवालों को लेता हूं। और वह यह कि ७५ फीसदी जनता गांवों में रहती है। ५ करोड़ जनता गांवों में रहती है उसकी भलाई इन १० वर्षों में हुई है या नुक्सान हुआ है ? मैं वित्त मंत्री जी से इस सिलसिले में दो, एक बातें पूछना चाहूंगा और वह यह कि जो हमारे गांवों की उपेक्षा सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है और वहां के लोग दुख सहते आ रहे हैं और सह रहे हैं। उनकी समस्याओं की ओर ध्यान हमारे देश में सब से पहले महात्मा गांधी ने दिलाया और उन्होंने यह कहा कि शहर शोषक हैं गांव पोषक हैं। शहरों को गांवों की सेवा कर के प्रायश्चित करना चाहिये। यह उनके शब्द हैं जो उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखे और उनकी राइटिंग्स में हैं। अगर वित्त मंत्री जी चाहेंगे तो पढ़ कर सुना दूंगा। और एक प्रोफेसर फ़ैरवल जो पारसी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी "सोशल ऐफ़ीशियेंसी" उसमें भी उन्होंने यही कहा कि शहर वाले यह भूल जाते हैं कि गांव भी हैं। यही हम यहां भी करीब-करीब पाते हैं। संत विनोबा भावे ग्रामों की समस्याओं पर खास तौर पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके तीन शब्द, मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय ने और सभी ने सुने होंगे, "ग्राम उद्योग, ग्राम दान और ग्राम राज्य"। क्या वह हो रहा है ? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं ? और एक बात और। एक बात

कही जा सकती है, अवसर कही जाती है, अरे, हम किसी प्रोफ़ेसर की बात को क्यों मानें और गांधी जी तो मर गए। इसलिए हमें तो या किसी मिनिस्टर की बात बतलाइये या सरकारी रिपोर्टों की बात बतलाइए। इसलिए मैं सरकारी रिपोर्ट की बात बतलाता हूं इस सिलसिले में। जो रूरल क्रेडिट सर्वे की रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से एक कमेटी बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट के ५३० वें सफे पर यह दिया है--

"In India process of increasing more equitably distribution of economic goods must on purely rational grounds be conceived in terms of rural India."

यह विनोबा जी की राय नहीं है। यह कमेटी की राय है।

"What India must need today is a comprehensive and determined programe of rural regeneration with ethical impulse and emotional movements of highest tradimions scientifically coneived and organized which above all attempts to rural India in economic values those opportunities of growth and fulfillment which without distinction between man and man but with special compassion for the weak and disadvantaged."

यानी यह जो समानता की बात की जाती है कि बिरला जी में और भूखों मरने वाले यहां के निवासी जो हैं पूर्वी जिलों के उनमें समानता है उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि "Inequality between the unequals is the greatest inequality" तो वह समानता नहीं है। यानी वैसा डिस्टिंक्शन न हो कि यह हिन्दू है, यह मुसलमान है, यह ईसाई है। लेकिन ऐसा तो हो कि यह गरीब है, यह अमीर है। तो हमें गांव वालों का ज्यादा ध्यान रखना है। यह बात हमारे यहां की गई है या नहीं की गई है? मैं मानता हूं आपने जमींदारी एबालीशन किया, बहुत धन्यवाद आपको उसके लिए। मैं यह भी मानता हूं कि आपने भूमि सुधार किये उसके लिए भी बारम्बार धन्यवाद। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि "pressure on land" (भूमि भार) आपके दस साल के कार्य-काल में बढ़ा है या घटा है। अगर वह घटा नहीं है, बढ़ा है तो फिर यह सोचना होगा कि आपने भूमि की समस्या को कहां तक हल किया है? और भूमिहीनों की भूमि-समस्या को आपने कहां तक हल किया? फिर भूमि की बात जाने दीजिए। जमींदारों से आपने किसानों को मुक्त किया लेकिन महाजनों से? आपने जमींदारों से बचा कर उन्हें महाजनों की मर्सी पर छोड़ दिया। यह रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है। आल इंडिया बेसिस तो यह है ३ परसेंट कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से और दो परसेंट गवर्नमेंट से दोनों से मिल कर ५ परसेंट उनको मिलता है। बाकी ९५ प्रतिशत के लिए किसान जैसा अंग्रेजी राज्य में था उसी तरह से आज महाजनों की मर्सी पर है। उसके पास कोई और चारा नहीं है। और आपके यू० पी० में उसने कुछ और भी कहा है। आपकी सरकार बहादुर का कंट्रीब्यूशन किसानों को कर्जा देने में उस कमेटी की रिपोर्ट में १–८ प्रतिशत भी नहीं है .०९ प्रतिशत है। सिर्फ इतना मैं और इस सिलसिले में जल्दी में बता दूं। यह फिर वही कमेटी कहती है, कोई आन्दोलनकारी आपका विरोधी नहीं कहता है। ३२८ वें सफे पर उस कमेटी ने यह कहा है। उस कमेटी ने यह कहा है "Colorial-cum-Commercial-cum-Urban domination over India's rural economy" यह परसिस्ट करता है। आगे ३७५ सफे पर यह भी कहा गया है कि इसकी वजह से आपके बैंक्स से, क्रेडिट सोसाइटीज से गरीब किसानों को कर्जा नहीं मिल पाता है। यह इस कमेटी की राय है.....

एक सदस्य--कब की है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--बहुत ज्यादा साल नहीं हुए। सिर्फ तीन साल हुए। तीन साल में कोई रेवोल्यूशन कर दिया हो तो बतला दिया जाय।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मेरा दावा है कि किसानों के साथ सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है। मैंने जैसा पहले कहा था अर्बन जमींदारी के मामले में सब समाजवाद गांवों को ही दिया जा रहा है, शहरों को समाजवाद से अछूता रक्खा जा रहा है। गांव की जमीन पर तो सीलिंग की बात कही जाती है, लेकिन अर्बन एरियाज में मकान बनाने की सीलिंग पर बात नहीं कही जाती। टैक्सेशन इन्कायरी कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि ३० टाइम्स से ज्यादा इनकम हो तो उसमें टैक्स लगना चाहिये वह नहीं लगाया गया क्योंकि शहरों का मामला है। लेकिन एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स बड़ी तेजी के साथ बढ़ा दिया गया है।

इस कमेटी ने यह कहा है कि साढ़े ५ करोड़ मकानों की मरम्मत की गांवों में जरूरत है। इसके लिये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ रुपये रक्खे गये हैं यानी २ रुपये से कम में आप एक-एक मकान की मरम्मत कर देंगे। फिर देहातों में मकानों के बनाने की समस्या आपने अपने हाथ में नहीं लीं। अस्पताल भी अगर बनता है तो शहरों में। शिक्षा में भी यही हालत है।

मैं अन्त में सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गांवों के साथ सौतेले व्यवहार की समस्या को हल नहीं किया, पक्षपात और अन्याय होता रहा, अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के साथ या छोटे वर्गों के साथ तो मैं ऐसा ही समझता हूं, मेरे खयाल में सन्त विनोबा भी ऐसा ही समझते हैं और मैं समझता हूं शायद नेहरू जी भी यही मानते होंगे कि इसका परिणाम इस सरकार के लिये भी हितकर नहीं होगा।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस बजट के सम्बन्ध में चर्चा करूं मैं यह उचित समझता हूं कि इस अवसर पर मैं अपने माननीय वित्त मंत्री को बधाई दूं। इस बजट से अवश्य ही सरकार की नीति का दिग्दर्शन होता है और वह नीति साफ है कि हमारी सरकार एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिये अग्रसर हो रही है। इस बजट में जो हमारी पंचवर्षीय योजना बनी है और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हमको करने हैं, उन्हीं का संकेत मिलता है और उसके एक भाग को लेकर, उसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया है। और इस बजट में उसी के लिये प्राविधान किया गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में करीब-करीब समस्त दलों की राय हो चुकी है, यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो सभी पार्टियों ने इसकी सराहना की है और इसकी प्रशंसा करते हुये यह भी कहा है कि अवश्य ही इसकी सफलता पर हमारे देश का उज्जवल भविष्य अवलम्बित है। जब हम पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुये कह सकते हैं कि इस बजट के अन्दर पंचवर्षीय योजना ही का सारा प्राविधान और मंसूबा निहित है, तो फिर इसके बारे में जब समस्त दलों की यह राय हो चुकी है तो अधिक क्या कहा जा सकता है? हां, यह जरूर है कि जो कल से इसके ऊपर विवाद चल रहा है उसमें कुछ शिकायतों और कुछ कठिनाइयों की चर्चा की गयी है। किस हद तक सही है या गलत है, इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, वह कुछ कहे गये। लेकिन यह चीज सामने नहीं आई कि आखिर इसका मूल कारण क्या है। मैं बिल्कुल उससे इन्कार भी नहीं करता कि यह सही नहीं है उस हद तक भले ही सही न हों, लेकिन आखिर इसके कारण क्या हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कल मैं माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बहुत ध्यान से सुनता रहा और सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि माननीय नेता विरोधी दल ने उन तमाम बातों की, उन तामाम कठिनाइयों और भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुये पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि आखिर इसका मूल कारण क्या है? अगर इस तरफ वह ध्यान रखते और इस पर कुछ संकेत करते तो अवश्य ही मुझे खुशी होती।

इसका मूल कारण जहां तक मैं समझ सका हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि हम आज निर्माण के युग में चल रहे हैं और जब ऐसे स्टेज पर हैं जहां स्वाभाविक हैं —उन कठिनाइयों का होना और उन खुराफातों का होना जिनकी चर्चा कल विरोधी दल के नेता जी ने की। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि किसी व्यक्ति को रोजगार करना है। रोजगार जब वह आरम्भ करता है तो उस को आखिर कुछ पूंजी लगानी पड़ती है, वह पूंजी ही नहीं लगाता बल्कि उसके लिए जितनी भी कठिनाइयां हैं सब झेलता है। जब उसका रोजगार एस्टैब्लिश हो जाता है और जब उसकी लगायी हुई पूंजी उसको वापस आ जाती है और उसको मुनाफा मिलता है, तब उसके पास खुशहाली आती है और उसका कुनबा खुशहाल होता है। यही दशा हमारे देश की है।

मैंने, जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज किया, कि हम आज निर्माण के युग में चल रहे हैं। आज तरह-तरह की कठिनाइयां हैं। हो सकता है कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया हो निर्माण के लिये, एक नये समाज की रचना के लिये, जिस नये समाज का इशारा हमारे वित्त मंत्री महोदय ने किया है—वह है सोशलिस्ट समाज। हम नहीं जानते कि वह जो साधन एकत्रित किये गये हैं इस पंचवर्षीय योजना में जिस के आधार पर किस प्रकार वह समाज बनेगा। किन्तु आकार उसका हमारे पास है कि वह सोशलिस्ट समाज होगा। वह किस किस ढंग का होगा, यह हम नहीं जानते, लेकिन वह होगा सोशलिस्ट पैटर्न और ढंग का। उसके लिये ही सारे साधन एकत्रित हैं।

जब हम एक तरफ़ देखते हैं कि हम सोशलिस्ट समाज की रचना करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखते हैं तो उसके खिलाफ इंडिविज्वलिस्टिक टेंडेंसीज जो हमारे मुल्क के अन्दर सदियों से स्थापित हैं, दोनों का एक संघर्ष चल रहा है। आज वह लोग जो व्यक्तिवादी ढांचे में पले हैं और उसको स्थापित रखना चाहते हैं वह संघर्ष कर रहे हैं और उससे तरह-तरह की कठिनाइयां भी उतपन्न हो रही हैं। यही नहीं, मैं आप के सामने श्रीमन्, एक उदाहरण देखता हूं कि एक मकान है, जिसका बरसों से टूटा-फूटा छप्पर चला आता है और उसके नीचे रहने वाले तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं, लेकिन अगर वह छप्पर उतार कर नीचे डाल दिया जाय कि नया छप्पर उस मकान पर चढ़ाया जाय, तो अवश्य ही कुछ कठिनाइयां और तकलीफें जनता की बढ़ जाती हैं, या उसके नीचे रहने वालों की बढ़ जाती है। हम आज उसी स्टेज से गुजर रहे हैं, हमने सारे प्रदेश के छप्परों को उतार कर डाल दिया है और उनको बनाने की फिक्र कर रहे हैं, तो यह जरूर है कि जनता की तकलीफें बढ़ जायंगी। इसको हर व्यक्ति को, अपने प्रदेश के रहने वाले को कष्ट सहन करने के लिये तैयार रहना चाहिये क्या मैं यह सोचूं कि कोई भी शासन हो वह यह कभी नहीं सोचेगा कि हमारी जनता को तकलीफ हो, कोई यह नहीं सोचेगा कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़े, कोई यह नहीं चाहेगा कि हमारे देश में बीमारी बढ़े? मैं समझता हूं कि कोई शासक ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे प्रदेश की जनता को तकलीफ हो। लेकिन जब हमें अपना कदम आगे बढ़ाना है, अपने देश का निर्माण करना है तो यह सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं।

कल माननीय विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया था और उसका मूल कारण यह बतलाया या था कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सैपरेशन नहीं हुआ, इसलिये यह भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि इससे एक डिपार्टमेंट के ऊपर असर आ जाता या किसी अफसर पर आ जाता। लेकिन यह कह देना कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सैपरेशन होने भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हां, भ्रष्टाचार के लिये यों कहा जाय तो ठीक था कि यह आफीशियल्स में ही है तो भले ही एक्जूक्यूटिव और जुडीशियरी के सैपरेशन से भ्रष्टाचार निकल जाता, लेकिन सारे समाज से उस समय तक नहीं निकल सकता जब तक कि समाज में त्याग की भावना न आ जाये या सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना न आ जाये। और यह तभी आयगी जब हमारा समाज अपने लक्ष्य पर पहुंच जायगा और जब हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हो जावेगी और हम अपने समाज को एक रास्ते पर लगा सकेंगे।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

आज जैसा कि मैंने अर्ज किया इंडिवीज्वलिस्टिक टेंडेंसीज और सोशेलिस्टिक टेंडेंसीज में संघर्ष चल रहा है उसी तरीके से इम्पीरियेलिस्टिक टेंडेंसीज और डेमोक्रेसी में संघर्ष चल रहा है। मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि जिन साधनों के बल पर हमारी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, उसको ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल किया जा रहा है जो डेमोक्रेसी को खतरा में पेश कर सकती है क्योंकि देखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी में वेस्ट बहुत होता है। आज हम पंचवर्षीय योजना बनायें और उसमें अपने अच्छे-अच्छे मंसूबे रखें, लेकिन यदि उसके अंदर रैडटैपिज्म हो गया तो हमारे मंसूबे धरे रह सकते हैं। इसलिये मैन और मैटीरियल पर ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिये वरना डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जायगी।

श्रीमन्, मैं आपके सामने ट्यूब वैल कोलोनी का उदाहरण रखना चाहता हूं। वहां मोजेक की फ्लोरिंग हो रही है जबकि ट्यूब वैलो से पानी तक नहीं चल पाया है। जब हम इस कालोनी में खड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा देश झोंपड़ियों में आबाद है। यह एक वेस्टफुलनेस का उदाहरण है जो मैंने पेश किया है।

श्रीमन्, मैं इस मौके पर सरकार का ध्यान बहराइच के एक खित्ते पर दिलाना चाहता हूं जो भिनगा कहलाता है और मकला और राप्ती के उस पार बसा हुआ है। वहां पर लाखों की तादाद में जनता बसी हुई है। वहां पर चावल और लकड़ी की मंडी है, लेकिन आने जाने का कोई साधन नहीं है। इसके लिये कोई प्रावीजन बजट में नहीं किया गया है। पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत यह प्रावीजन था कि वहां पर दरिआयों पर पुल बनेगा, जनाना अस्पताल बनेगा और एक तहसील की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन चीजों को प्राथमिकता नहीं दी गई जिनकी वजह से जनता को तकलीफ है और उन चीजों को प्राथमिकता की गई है जिनसे जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो हमें थोड़ा सा खेद होता है।

हमने इसी बजट में देखा कि सरजू नदी पर एक पुल की डेकिंग का प्राविधान किया गया है और वह डेकिंग इस वास्ते वहां पर की गयी है ताकि शिकारियों को शिकार पर जाने के लिए मोटर से चलन की सुविधा मिल जाये। इधर यह सब हो रहा है जबकि भिनगा लाखों की तादाद में जनता साल के आठ महीने अपने जीवन का जरूरी सामान, तथा अपनी मन्डी का चावल बगैर बाहर नहीं ला सकती है क्योंकि रास्ता बन्द रहता है। यह मिसाल मैंने इस वास्ते प्रस्तुत की कि इस पंचवर्षीय योजना के इस बजट के अन्दर जो मन्सूबे रखे गये हैं इसमें प्राथमिकता के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिये कि कौन सा काम पहले हो और कौन सा काम बाद में हो।

अभी अभी हमारे माननीय पालीवाल जी ने गांव की समस्या और शहर की समस्या की बात कही। उस हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो मैं भी उनसे सहमत हूं कि सरकार का ध्यान गांवों की तरफ जाना चाहिये और जबकि हमारा देश गांवों के अन्दर बसता है, शहरों के अन्दर नहीं। तो कम से कम जो कचहारियों में बिजली लगाना और इस तरह के आइटम्स बजट में रखे गये हैं इनको फिलहाल न रख कर एसी चीजों को लेना चाहिये जिससे गांवों के लोगों को सुविधा मिले और वे यह समझें कि जो पंचवर्षीय योजना बनी है यह उनके लिये ही बनी है। जब हम इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि पंच-वर्षीय योजना के लिये सब से जरूरी चीज यह है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिये। इसके माने यह नहीं है कि गवर्नमेंट उससे अलग हो जाय। उसका वही रोल होना चाहिये जो एक किसान का खेत में बीज डालने का होता है। मैं यह इस वास्ते कह रहा हूं कि जो रोल आज ब्यूरोक्रेसी पंचवर्षीय योजना में खेल रही है उसको देख कर मुझे तो इसमें संदेह है कि जो लक्ष्य हमारा इस पंचवर्षीय योजना का है उसमें हम सफल होंगे या नहीं? जनता का सहयोग मिलने पर यह पंचवर्षीय योजना कामयाब होगी और जो ये इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज चल रही हैं, ये समाप्त

होंगी, तब धीरे-धीरे हमारे समाज से भी करप्शन समाप्त होगा और जिस नीति का दिग्दर्शन अपनी बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने किया है कि हम कल्याणकारी समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं वह पूरा हो सकेगा ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किसी भी संतुलित बजट का मिलना एक स्वप्न मात्र प्रतीत होता है । जो तरीका बजेटिंग, एकाउन्टिंग और फिनैन्सिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है वह एक समाजवादी बजट का तरीका नहीं है । इस बजट में एक सुधार करने की कोशिश की गयी है । अगर मेमोरेंडम को माननीय सदस्य देखेंगे तो उसके प्रिफ़ेस में लिखा है कि उसे कुछ सरल बनाने की चेष्टा की गयी है । लेकिन दुर्भाग्य से वह इतना सरल बनाया गया है कि पिछले वर्षों मेमोरेंडा का आधा कर दिया गया है और पिछले दो वर्षों की जो रेवाइज्ड फीगर्स दी जाती हैं--पिछले वर्ष की और उसके पहले के ऐक्चुअल्स, उनका कहीं पता ही नहीं चलता । और तारीफ अबकी बजट की यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के दस्तख्त भी नदारत हैं । कैपिटल एक्सपेंडीचर अलग पड़ा है, रेविन्यू एक्सपेंडीचर अलग पड़ा है । पिछले वर्षों की बात तो छोड़ दीजिये जो इस वर्ष का एक्सपेंडीचर का एस्टीमेंट दिखलाया गया है उसमें डेट और डेफिसिट एकाउंट्स, कंसालिडेशन आफ फंडस् और पबलिक एकाउंट्स फंडस् का कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं हैं । तो जब इतनी खामियां इस बजट लिटरेचर में हैं तो फाइनेंशल दृष्टिकोण से इसको सही रूप में समझ लेना कि इसके अन्दर घाटे की रकम को कहां छिपाया गया है या नफे की रकम को कहां छिपाया गया है, बड़ा मुश्किल हो जाता है । प्रोफेसर शिब्बू ने बिलकुल ठीक ही कहा है कि अगर एक साल के बजट को हम संतुलित कर देते हैं तो केवल उसी वर्ष का बजट नहीं असंतुलित हो जाता है बल्कि उसका परिणाम यह होता है कि आने वाले अनेक वर्षों के बजट असंतुलित हो जाते हैं ।

अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो ५५–५६ के बजट में जबकि साढ़े ५ करोड़ का घाटा होना चाहिये, डेढ़ करोड़ कर सरप्लस हो गया । यह बजट का इम्बैलेंस है जिसका असर टैक्सेशन पर, रेविन्यू पर, रिसीट्स पर और एक्सपेंडीचर पर पड़ता है । और श्रीमन् देखें कि ऐसे भी ट्रांजेक्शंस मौजूद हैं कि सन् १९५५–५६ के जो एकाउंट्स दिखाये गये हैं उसमें साढ़े ८ करोड़ की रकम रेविन्यू रिजर्व फंड से निकली हुई दिखाई गई है । यह कहां गई, किस धनराशि में दिखाई गई है मैं तो नहीं समझ सका । केवल यह समझ पाया हूं कि अगर यह ८ करोड़ ५० लाख की रकम रेविन्यू रिजर्व फंड से निकाली न गई होती तो यह डेढ़ करोड़ का सरप्लस ५५–५६ में नहीं होता । इसी प्रकार ५६–५७ में कहा गया था कि साढ़े ६ करोड़ रुपये का डेफिसिट है । इसमें तारीफ की बात यह देखिये कि १ करोड़ ३६ लाख रुपये फेमिन रिलीफ फंड से ट्रांसफर किये गये । अगर यह धनराशि फेमिन रिलीफ फंड से ट्रांसफर न की जाती तो ५६–५७ में ८ करोड़ २९ लाख का डेफिसिट होता । सन् १९५७–५८ में अब ११ करोड़ ६७ लाख का डेफिसिट दिखाया है । सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये का टैक्स लगाया गया है । बाकी १० करोड़ कहां से पूरा होगा यह इस बजट से पता नहीं चलता । माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरी-पूरी उम्मीद स्माल सेविंग्स पर बांधी है । एक तरफ बजट में लिखा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया मना करती है कि आप लोन फ्लोट कर नहीं सकते और दूसरी तरफ ७ करोड़ की धनराशि लोन्स के लिये आपने रख दी है । पता नहीं गवर्नमेंट आफ इंडिया का और इस स्टेट की गवर्नमेंट का क्या पालिसी में डिफरेंस है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कहती है कि कर्जा तुम ले नहीं सकते, लेकिन इन्होंने कर्जे के लिये भी रकम रख दी है और स्माल सेविंग्ज से भी रकम रख दी है ।

अब बजटरी सुधार की बातें देखिये । आज से कुछ साल पहले हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल अपने बजट को एप्रिल फूल्स डे से शुरू करते हैं । अब हम अपने फाइनेंशल ईयर को दशहरा या दीवाली या कोई हिन्दू आर्थिक वर्ष जब से शुरू होता है तब से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

शुरू करें। इसका नतीजा यह है कि दो-दो सप्लीमेंटरी बजट्स आते हैं और एप्रोप्रियेशन एकाउंट्स तो बहुत बाद के हमारे सामने आते हैं। ऐप्रोप्रियेशन एकाउंट्स जो हमको लेटेस्ट मिलते हैं वह ५३-५४ के हैं। वह हमको यह बतलाते हैं कि जितना रुपया हमने वोट किया, उसमें से २३ करोड़ ४५ लाख रुपया फाइनली सेविंग्स में गया यानी कुल बजट का १९.६ प्रतिशत। आप ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट की धनराशि को वोट नहीं कर सकते। इसमें तो हद हो गयी कि जितना यहां से मन्जूर किया गया बजट में उसका ९१.४ सेविंग में चला गया और केवल ८.६ खर्च हुआ। तो आप चार्ज्ड का ९१.४ खर्च नहीं कर सके। उसके बाद जब आपने सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांगी तो वह बिलकुल बेकार रही। हर साल की यही हालत है। समय की कमी से मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो फिर आप किस प्रकार से बजट को सन्तुलित करना चाहते हैं यह इसमें स्पष्ट नहीं है।

दूसरी तरफ जो नयी पद्धति हमारे पालीवाल जी ने बम्बई के विषय में बतलायी उसके विषय में मेरा निवेदन यह है कि जब कभी प्लानिंग का युग आता है, डैफिसिट फाइनेंसिग की जाती है। मैं इसको डैफिसिट फाइनेंसिग तो नहीं कहता क्योंकि अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट करेन्सी इशू नहीं कर सकती। सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। हां, उसका असर स्टेट पर पड़ता है। तो हमको क्या तरीका आख्तयार करना चाहिये इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी को यहां पर नये फंड खोलने चाहिये जिसको डैफिसिट इक्वेलाइजेशन फंड कहें। जैसा कि स्वेडन में किया जाता है। उस पद्धति को कमी के कारण शुरू किया जाता है। इसमें यह कर दिया जाय कि जब कभी सरप्लस बजट दिखाई दे तो उसको उस फंड से पूरा कर दिया जाय। ५ साल के लिये उसकी टर्म को रखा जाय कि इतने दिनों में हम इक्वेलाइज कर देंगे। मान लीजिये कि इस साल १० करोड़ का डैफिसिट है तो अगर हम डैफिसिट फाइनेंसिग फंड खोलते हैं तो इस साल २ करोड़ बजट में प्रोवाइड करेंगे। फिर दो करोड़ अगले साल बजट में प्रोवाइड करेंगे। २ करोड़ तीसरे साल करेंगे तो जब वह ५ साल में सरप्लस हो जायगा तो वह उस डैफिसिट को वाइप आउट करने के लिये होगा। स्वेडन एक प्रगतिशील मुल्क है। उसके इस तरीके को हमें मानना चाहिये।

इसके अलावा फिर क्या होता है, यह होता है कि जितना बजट में रुपया प्रोवाइड किया जाता है उतना खर्च नहीं कर पाते। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलेक्ट्रिसिटी विभाग में ४।। करोड़ रुपया पिछले साल खर्च नहीं कर सके, क्योंकि उसकी प्रीलिमिनरीज तैयार नहीं हो पायी थीं। सिंचाई विभाग का रुपया भी लैप्स हो जाता है। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये आपको एक फंड क्रियेट करना चाहिये। जैसे फैमिन रिलीफ फंड है उसी तरह से सोशल रिलीफ फंड बनाना चाहिये। ओल्ड एज पेन्शन फंड जैसे आपने २५ लाख रुपये से क्रियेट किया है उसी प्रकार से आप बहुत से फंड क्रियेट कर सकते हैं। इन फंड्स में जो रकम जमा होगी वह नान लैप्सेबिल होगी और उस धनराशि को सरप्लस कर दें तो वह धनराशि आपके इस्तेमाल में आ सकेगी और वह लैप्स नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ जो आपकी राज्य की निधि है उसके सम्बन्ध में अब मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे राज्य की हालत यह हो गयी है कि रेवेन्यू रिजर्व फंड में जो हमारी संचित निधि है उसमें केवल ४।। करोड़ रुपया रह गया है। यदि हम चाहें भी, तो भी इस रेवेन्यू रिजर्व फंड को पूरा नहीं कर सकते हैं। कुल उसमें ४।। करोड़ रुपया है। फैमिन रिलीफ फंड में ४७ लाख रुपया माइनस चल रहा है। हास्पिटल एकाउन्ट में ४७ लाख रुपया रह गया है। कर्जा हमारा इतना ज्यादा है कि पिछले २ साल में १९६ करोड़ से ३२२ करोड़ हो गया है। उसके ऊपर हमको ३२ करोड़ १४ लाख इन्टरेस्ट देना पड़ता है जो बजट में प्रोवाइड किया गया है। रेविन्यू एकाउन्ट से २ करोड़ और कैपिटल एकाउन्ट से ९ करोड़ इन्टरेस्ट देना पड़ता है उस कर्जे का जो लिया हुआ है। डिप्रिसियेशन फंड से ९८।। लाख रुपया निकाला गया और अब

उसमें २, ३ लाख रुपया रह गया है। बस सर्विसेज से ७४ ।। लाख रुपया निकाला गया है अब उसमें बहुत थोड़ी धनराशि रह गयी है। हमारी कामर्शल अन्डरटेकिन्ग्स में या तो नफा कम होता जा रहा है या नुकसान हो रहा है। गंगा हाइडल के प्रोफार्मा एकाउन्ट देखिये, उसमें नफा कम होता जा रहा है। ट्यूबवैल में १ करोड़ १७ लाख का नेट नुकसान हुआ है, नहरों में मुनाफा ११० लाख से घटकर ४१ लाख रह गया है। ६९ लाख कम हो गया है। कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में मुनाफा २० लाख से घटकर १३ लाख रह गया है। बस सर्विस में, रोडवेज में, नेट मुनाफा ४१ लाख से घटकर १४ लाख रह गया है। कुछ के तो प्रोफार्मा एकाउन्ट हैं ही नहीं, जैसे चुर्क सीमैन्ट फैक्ट्री, लखनऊ में प्रीसीशन इन्स्मैन्ट्स फैक्ट्री है। क्यों नहीं आप इनके प्रोफार्मा एकाउन्ट देते हैं? आप छिपाते क्यों हैं? यह नहीं होना चाहिये कि जब नाम मात्र का मुनाफा होने लगे तब आप दिखलावें।

इकोनामी का जिक्र किया गया। एस्टीमेट्स कमेटी ८ रिपोर्ट सदन में पेश कर चुकी है। क्या कोई भी सिपारिश उसकी सरकार ने मानी? इसमें अपील की गई है कि यह कमेटी सरकार की मदद करे। १ करोड़ की बचत के सुझाव लगभग इस समिति ने दिये हैं। सरकार ने बहादुरी का काम किया कि प्लानिंग कमीशन की सिपारिशों को ठुकरा दिया है कि रेवेन्यू सरचार्ज लगाओ, इत्यादि। मेरा सुझाव है कि एक स्थायी रिसोर्सेज और टैक्स रिसर्च ब्यूरो होना चाहिये जिसमें इकोनामी के सभी सुझावों की जांच होनी चाहिये। फाइनेन्स कमेटी जो इस सदन की स्टैन्डिन्ग कमेटी है उसे ज्यादा अधिकार देने चाहिये ताकि सदन को लगातार साल भर रिसोर्सेज के बारे में सुझाव मिलते रहें। इस वर्ष तो बजट इस कमेटी के सामने आया ही नहीं और यह पहली साल ऐसा हुआ है।

सैकिन्ड फाइव-ईयर प्लान हमारा खटाई में पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि २५५ करोड़ का सैकिन्ड फाइव-ईयर प्लान है। लेकिन यदि आप इस बजट को बारीकी से देखें तो मालूम होगा कि पिछले वर्ष एक्सपैन्डीचर आफ न्यू आइटम्स में २८ करोड़ २५ लाख रुपये की नई आइटम्स रखी गई थीं और इस वर्ष केवल ४ करोड़ ५५ लाख की हैं। कुल मिलाकर सैकिन्ड फाइव-ईयर प्लान का प्रावीजन इन दो सालों में ७ करोड़ के लगभग हुआ है जबकि २५५ करोड़ का एलाटमैन्ट ५ साल का है। तो कहां से यह पूरा होगा? आप मानिये कि आप इसके टारगेट्स को कम कर रहे हैं, नहीं तो इस प्रकार बजट में कमी करके यह प्लान पूरा होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं इतना और कहना चाहूंगा कि इस बजट के वित्तीय सहारा रेगिस्तान में दो एक नखलिस्तान चमक रहे हैं। एक तो ५ रुपये की धनराशि डियरनैस अलाउंस की और दूसरे पैन्शन फंड जिसमें से २५ लाख में से १५ लाख तो कमसे कम रिलैप्स हो ही जायगा चूंकि प्रीलिमिनरीज पूरी होने वाली नहीं हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि डियरनैस अलाउन्स के बारे में स्टेट सरकार में और गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो करैस्पान्डेन्स हुई है.....

श्री आर्थर ग्राइस (नाम निर्देशित)—मिस्टर डिप्टी स्पीकर, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे मौक़ा दिया बोलने के लिये। मुझे अफसोस है कि न मैं इस बजट को भला कह सकता हूं न बुरा कह सकता हूं। यह न बहुत अच्छा भी है और न खराब ही है। यह बहुत खराब नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा चूंकि दूसरे माननीय सदस्य काफ़ी बोल चुके हैं। मैं खाली २, ३ बातों की ओर फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान दिलाऊंगा। अभी नये एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज सेन्ट्रल सरकार से यू० पी० की सरकार के पास आये हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाय। मैं कह सकता हूं कि वे तकरीबन बिल्कुल बेकार हैं। उनके यहां से फजूल आदमी आते हैं। मैं खुद जानता हूं। मैं न लाल टोपी पहनता हूं और न सफेद। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे भी वहां वही ट्रीटमेंट मिलता है जो जनरल पब्लिक को ट्रीटमेंट मिलता है जो कि महा रद्दी ट्रीटमेंट होता है। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर के अलावा दूसरी जगह, जैसे झांसी, आगरा सब जगह से शिकायतें आती हैं कि यहां रिश्वत बहुत चलती है। जब आदमी बेकार हो और उसे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रिश्वत देनी पड़े तो यह बहुत बड़े अफसोस की बात है।

[श्री आर्थर ग्राइस]

अब मैं यह देखता हूं जैसा कि कहा गया है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन मोरेल को उठाने की अभी बहुत कोशिश करनी है। बहुत काफी कहा गया है सेकंड फाइव ईयर प्लान के बारे में। उसे काफी एलेबोरेट करने की गुंजायश है, लेकिन वहां कोई कंसोलिडेशन नहीं दिखलायी देता है। एक मिसाल मैं देना चाहता हूं कि एक आदमी मील भर तक नाली खोदता चला जाय और पीछे घूम कर देखे कि नाली बन्द हो गयी, तो उसका क्या फायदा हुआ? फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का यही नतीजा हुआ है और यहां सेकंड फाइव ईयर प्लान चल रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अब हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

अब मैं एजूकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अन्दर सरकार ने एजूकेशन के सम्बन्ध में बड़ी लापरवाही की है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी जिनके अंडर यह विभाग आ गया है इस तरफ विशेष ध्यान देंगे और इसके स्टैंडर्ड को थोड़ा रेज करेंगे। अब उनको इस डिपार्टमेंट की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट में छोटे छोटे आदमी जो छोटे ख्यालात के हैं, बहुत से भरे हुए हैं। इस सम्बन्ध में सब जगह से कम्पलेंट्स आती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह खास कर ऐंग्लो इंडियन स्कूल्स या जो सरकारी एडेड स्कूल्स हैं उनके टीचर्स की तरफ खयाल रखें। हर वक्त कहा जाता है कि हम सबसिडाइज करते हैं, लेकिन वास्तव में टीचर्स को कुछ मिलता नहीं है। बराबर प्रोपेगेंडा किया जाता है लेकिन प्रोपेगेंडा करने में ऐक्चुअली काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रोपेगेंडा कम करें और लिटरली असिस्टेंस ज्यादा कर दें। देहातों में घूमने से पता लगता है कि वहां कत्ल, डकैती, चोरी बहुत बढ़ गयी है, लेकिन अनाज नहीं बढ़ रहा है। सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान से लोगों को ज्यादा तसल्ली नहीं है, लोग टैक्सेशन से मरे जाते हैं, मिडिल क्लास वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। पेट्रोल पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, पहले दो रुपया पन्द्रह आना गैलन पेट्रोल मिलता था, अब ३ आना और बढ़ गया है, अब वह ३ रुपया २ आना गैलन मिलेगा, यह सब हम मिडिल क्लास वालों पर पड़ेगा, इसमें हम लोग खत्म हो जायंगे।

दूसरे मैं माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यहां जो मेकेनाइज्ड फार्मिंग हो रहा है उसमें हमारी ऐंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उस को ठीक से उस में नहीं लिया जाता और उसके साथ न्याय नहीं होता, हमारी कम्युनिटी के लोग इस लाइन में ज्यादा हैं, मुझे अफसोस है कि उनके विभाग में गिने गिनाये ऐंग्लो इंडियन्स हैं, चाहे वह पता लगा लें कि कितने ऐंग्लो इंडियन्स को जगह दी जाती है, उनको कोई पूछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन को भी ओपिन कम्पीटीशन में फेयर चान्स मिले। लेकिन इक्वल चान्स भी उनको नहीं मिल रहा है।

यहां पर माननीय एजूकेशन मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल भी हमारा ऐंग्लो इण्डियन स्कूल्स ग्राण्ट का कोटा काट दिया गया था और इस साल भी, पिछले साल भी हमने बजट स्पीच में कहा था कि जो हमारी बिल्डिन्ग ग्रान्ट काटी गई वह नहीं दी गई, बाद में मुझे पता लगा था कि विभाग वालों ने कह दिया कि उनकी ओर से कोई मांग ही नहीं थी, कोई डिमान्ड्स नहीं थी। मैं कहता हूं कि इस तरह के आंकड़े और यह बात बिलकुल गलत है। मैंने इसको चेलेन्ज किया था कि मैं साबित कर सकता हूं कि डिमान्ड्स हुई थी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इन बातों पर ध्यान दिया जाय। हमारी ऐंग्लो इंडियन कम्युनिटी एक लायल कम्युनिटी है, वह डिसलायल कम्युनिटी नहीं है। हम झंडा उठा कर नारे नहीं लगाते, हम लोग सरकार के पीछे हैं, सरकार हमारे साथ मेहरबानी करे, हम लोग लायल टू दि गवर्नमेंट इन पावर हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोगों को फेयर डील नहीं मिल रहा है। मैं एजूकेशन विभाग के बारे में और कहता हूं कि वहां कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जब तक डायरेक्ट चिट्ठी न लिखो कोई सुनने को तैयार नहीं है।

कभी एकनालेजमेंट आ जाता है, कभी जवाब भी नहीं आता। मेरा यहां यह छठा साल है, मैंने कभी शिकायत नहीं की और कोशिश की कि मिल कर, बातचीत कर के, काम चला लूं, मैंने न कभी क्वेश्चन या शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिये और न कभी एडजर्नमेंट मोशन ही में लाया, लेकिन अब काम नहीं चलता मालूम होता, मुझे नौकरी छोड़ कर आना पड़ेगा तब मैं यह सब कर सकता हूं और रोज एडजर्नमेंट मोशन दे सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुन ली जाय, मैं कोई अनरीजनेबिल बात नहीं करता। हमारी कम्युनिटी को मैं चाहता हूं कि फेयर चान्स आन इक्वल टर्म्स मिले। हमारे जो स्कूल्स हैं वह लीडिंग स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल के ऊपर सिवा डंडा और कुछ नहीं। नये-नये इंस्पेक्टर आते हैं जिन्हें तजुर्बा नहीं होता। क्यों नहीं ऐंग्लो इंडियन इंस्पेक्टर रख लेते हैं, हमारे स्कूलों के लिए? पांच साल में चार इंस्पेक्टर बदल चुके हैं बिलकुल नये, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। सिवा हमें तकलीफ देना, हमारे स्कूलों को तकलीफ देना और हमारे स्कूलों में जो बड़े-बड़े नेता हैं बच्चे हैं। पर हमारे स्कूलों का ग्रांट कटता है। टीचर्स के प्राविडेंट फंड में तकलीफ हो रही है। मैं क्या कहूं? दूसरे स्कूलों से हमारे यहां फीस कम है, मैं चैलेंज करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो कहना है उसको मिसअंडर स्टैंड न किया जाय। मैं अपने दिल से कह रहा हूं क्योंकि मैं परेशान हूं।

साहब, एक बात और है। शायद किसी को पता नहीं मैं कानपुर की एक मिल में काम करता हूं। लेबर के साथ बहुत काफी सम्बन्ध है। हमारे कानपुर के लेबर में आज बड़ी सनसनी है और वह यह है कि लेबर को पता नहीं है कि जो मिल बन्द होने वाली है वह बन्द होगी या नहीं। अगर वह मिल बन्द हो जायगी तो क्या रिपर्कशन होगा। लेबर रोज पूछता है प्राइस साहब आप तो असेम्बली में जाते हैं, हमारे लिए भी कुछ कहते हैं? हम क्या कहें? उन लोगों को हम कुछ जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि क्या पालिसी चल रही है। रैशनलाइजेशन चाहे लेबर न चाहता हो, लेकिन हम जानते हैं कि बगैर रैशनलाइजेशन हुए काम नहीं चलेगा। आदमियों को काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन मैं लेबर मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं कि जो पालिसी है वह खुल के कह दें कि मिल बन्द होगी। क्यों बन्द होगी या नहीं बन्द होगी। लेबर यूनियन्स हैं सब मौका ढूंढ़ रही हैं अनरेस्ट और झगड़ा फसाद से देश को फायदा नहीं होगा।

मैं एक और प्रार्थना करूंगा कि जो लेबर कालोनी बन रही है, जो बिल्डिंग और सेटिलमेंट बन रहे हैं, उससे लेबर को कोई राहत नहीं है क्योंकि पानी की तकलीफ है और दूसरी चीजों की तकलीफ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां भी घूस काफी चल रहा है चाहे नीचे है या ऊपर हैं। हमारे मिनिस्टर साहब उसमें ध्यान दें और लेबर को जरा देखें जिससे कुछ थोड़ा सा उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खड़े होते ही जो अभिनन्दन मेरा किया गया उसके लिये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किन्तु कम टाइम है। मेरे बोलने में कमी पड़ जायगी, इसलिए इतना ही कह देता हूं कि धन्यवाद देता हूं।

बजट पर बोलने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी और इस विभाग के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह सोच रहा हूं कि पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई दूं या कर्मचारियों को। अच्छे कर्मचारी न होते तो बजट इतना अच्छा न बनता और यदि अच्छे वित्त मंत्री न होते तो अच्छे कर्मचारी नहीं होते। लिहाजा मैं एक साथ दोनों को धन्यवाद देता हूं।

बजट पर बोलने के लिए तो नोट मैंने बहुत किया था लेकिन टाइम कम है लिहाजा खुद ही मैं अपने नोट को काट देता हूं। अपने जिले की बात जब आइटम बाई आइटम (खन्ड-खन्ड) विचार होगा उस समय कहूंगा। आज तो मैं कुछ दोस्तों की बातों का जवाब दूंगा और सबसे पहले माननीय प्राइस साहब का। आदरणीय सदन ने सुना जो कि अभी आपने फरमाया कि हम लोग गवर्नमेंट के लायक हैं और साथ–साथ धमकी भी देते हैं कि गवर्नमेंट यदि नहीं सुनेगी

[श्री सीताराम शुक्ल]

तो मैं विरोधी पार्टी में बैठ जाऊंगा। मेरे दोस्त यह भूल गये कि धमकी से बुरे आदमी दब जाया करते हैं न कि भले आदमी। आपकी बातें ठीक होंगी तो अवश्य मान ली जायंगी। यदि गलत होगी तो नहीं मानी जायगी। हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की धमकी को देखा है और सिर नहीं झुकाया....

श्री उपाध्यक्ष--किसी माननीय मेम्बर को सीधे जवाब देना उचित नहीं है। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी।

श्री सीताराम शुक्ल--हुजूरवाला, मैं धमकी से जवाब नहीं देता, मैं मश्विरा दे रहा हूं, जिसका शायद मुझे हक है। मुझे बजट के बारे में यह अर्ज करना है कि कल सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य के व्याख्यान को ध्यान से सुना और अपोजीशन के नेता माननीय पालीवाल जी तथा कई सज्जनों के व्याख्यान हुए, उनको भी सुना। हर एक की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है क्योंकि समय की कमी है इसलिए कल जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ने व्याख्यान दिया है उसी का जवाब देना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय गृह मन्त्री जी नहीं मौजूद हैं। अगर वह होते तो अच्छा होता। मेरे दोस्त जो कल तक हमारे साथ ब्रिटिश सरकार से लड़े थे, सत्याग्रह किया था, जेल गये थे, स्वराज्य की लड़ाई में आज अपनी ही सरकार के जमाने में जेल में बन्द हैं। मैंने बस्ती डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना किया, कम्युनिस्ट कैदी मिले। आप लोगों को सुन कर खुशी होगी कि उन्होंने बताया कि बलिया जेल से बस्ती जेल में हमें आराम है। लेकिन अपने ही आदमी अपनी सरकार के जमाने में बन्द हों इसके लिये हमें अफसोस है। मैं अर्ज करता हूं कि मैं डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी की राजनीति से इत्तफाक नहीं करता हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो भाई गिरफ्तार हैं वह 'सी' क्लास में रखे जायं, जो अंग्रेजी राज्य में 'बी' क्लास में रखे जाते थे, यह ठीक नहीं है। अगर कोई राजनीतिक कार्य से गिरफ्तार होता है तो मामूली कैदी में और उसमें जरूर कुछ फर्क होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं देख रहा हूं सदन में अशान्ति हो रही है। माननीय सीताराम शुक्ल जी की बातों का लुत्फ लीजिये और वह तभी हो सकता है जब आप शान्ति से उनकी बातों को सुनेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दर्जा तो कोई नहीं पास हैं मगर विद्वान हैं, बैंक में रुपया तो जमा नहीं है मगर उनमें चरित्र और कैरेक्टर है, लिहाजा लक्ष्मी उनके कदमों में रहती है। लिहाजा उनकी रहन सहन--अच्छी रहती है। ऐसे आदमी जब गिरफ्तार किये जांय तो उनको 'बी' क्लास मिलना चाहिये।

दूसरी जो मांग जेल के कम्युनिष्ट भाइयों ने की थी कि उन्हें बाहर सोने का मौका मिलना चाहिये, मैं समझता हूं यह मांग उनकी जायज है। हां, जिस व्यक्ति की खास शिकायत हो उसे मत सोने दिया जाय।

इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करूंगा कि जनाबवाला जब वह सत्याग्रह करते थे कि पत्थर की मूर्तियां हटवा दो, उनकी दो मांगें थीं--एक मांग यह थी कि विदेशियों की मूर्त्तियां हटा दी जायं और दूसरी मांग यह थी कि सारा काम हिन्दी में हो, तो मैं कहता हूं कि मूर्त्तियों के हटाने के लिये सत्याग्रह करने पर तो आप ने उनको जेलखाने में बन्द कर दिया और अब आप स्वयं उनको हटवा रहे हैं। क्या मामला है? आप ने तब गलती की या अब गलती कर रहे हैं? या यह बात थी कि कहीं उनके कहने से आप हटवा देते तो इसका श्रेय उनको मिल जाता? ज्यादा अच्छा तो यह था कि अगर उनकी बात जायज थी, तो जिस वक्त उनकी चिट्ठी आयी, उसी वक्त आप उनको जवाब लिख देते कि धन्यवाद, शुक्रिया और आर्डर दे देते कि हटा दी जायं। लेकिन अगर आप ने समझा कि वह बात गलत है तो फिर सत्याग्रह के बाद झुकना मुनासिब नहीं है, अब क्यों हटा रहे हैं? मैं अभी गया था अपने क्षेत्र में तो इलेक्शन के जमाने में चिपकाये हुये अपने विरोधियों के पोस्टरों को देख कर खुशी मालूम होती

थी। हालांकि चुनाव के समय जब जाता था तो उसे देखकर तकलीफ होती थी कि हमारे विरोधी वृन्द ने तो सब इन्तजाम कर रखा है, कहीं ऊंट और कहीं तराजू टांग रखा है, कहीं दीवार पर, कहीं पेड़ पर बहुत कुछ लिख रखा है किन्तु मेरी तरफ से कोई इन्तजाम नहीं है। उनके प्रचार का काम ठीक है लेकिन मेरा नहीं है। परन्तु अब जब कि चुनाव जीतकर गया तो उन्हीं चीजों को देख कर खुशी हुई कि उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया परन्तु जनता ने नहीं सुना। तात्पर्य कि जब हम गुलाम थे तब तो अंग्रेजों के स्टेचू अर्थात् पत्थर की मूर्तियों को देख कर तकलीफ होती थी किन्तु अब जब कि हम स्वतंत्र हैं तब तो उन्हें देख कर हंसी आती है कि हमने इन्हें निकाल दिया। मैं यह कहता हूं कि जहां मूर्तियां हैं उनकी उसके पास ही हमारे माननीय प्रधान मंत्री, माननीय मुख्य मन्त्री आदि की मूर्तियां लगा दी जातीं अथवा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक शहीद हो गए उनकी तस्वीर उनकी जगह लगवा दी जाती। राजनीति में होशियारी चाहिये चतुर वह है जो कि अपने मित्रों की संख्या बढ़ा ले न कि वह जो कि घटा ले। मैं आप से कहता हूं कि पाकिस्तान अपने दोस्त बनाता जाता है और हम अपने दोस्तों को खोते जाते हैं, यह कहां की अकलमन्दी है। हमारे ताल्लुकात अंग्रेजी सरकार से बहुत अच्छे हैं उस पर तस्वीर हटा कर ठेस लगाना ठीक नहीं। होशियारी के साथ इसकी जगह दूसरी तस्वीरें लगाने से दोनों की शान रह सकती है।

दूसरी बात है हिन्दी की .....

एक सदस्य––समय बहुत कम है।

श्री सीताराम शुक्ल––आप के उपदेश के लिये धन्यवाद। लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि आप के इंटरप्ट और हस्तक्षेप करने से मेरे व्याख्यान में बाधा नहीं पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय शुक्ल जी, हर एक की बात का आप जवाब न दें। सिर्फ मुझे सम्बोधित करें, इससे आप की तकलीफ दूर हो जायगी।

श्री सीताराम शुक्ल––आपने मेरा काम हल्का कर दिया। शुक्रिया।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस गवर्नमेंट के मुख्य मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी हों, जिसके शिक्षा मन्त्री माननीय कमलापति त्रिपाठी जी हों उस राज्य में हिन्दी कराने के लिये सत्याग्रह करना पड़े यह आश्चर्य की बात है। सन् ३६ के करीब जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तभी से हिन्दी में सब काम करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। लोगों को मालूम था कि हिन्दी में कार्यवाही होगी। १९४९ में इसी सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि इस राज्य की समस्त कार्यवाही हिन्दी में होगी। इसके बाद सन् ५४ में उस समय के मुख्य मंत्री माननीय पन्त जी ने कहा था कि सन् ५४ तक हिन्दी हो जायगी। लेकिन अभी तक हिन्दी का न होना बड़े अफसोस की बात है। इससे हमारे विरोधी फायदा उठायें और हम इसको न कर सकें, यह हमारे लिये बड़े अफसोस की बात है, लज्जा की बात है। मैं अर्ज करता हूं कि आप आर्डर देते हैं और आप के आदमी हुकुम की पाबन्दी नहीं करते और फिर गिरफ्त में नहीं आते? चिट्ठी पकड़ी जा सकती है। घूस नहीं पकड़ा जा सकता, सिफारिश नहीं पकड़ी जा सकती लेकिन चिट्ठी तो पकड़ी जा सकती है। डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी में खत भेज देते हैं तो आप जवाब क्यों नहीं तलब करते कि क्यों अंग्रेजी में भेजा। रजिस्टर छपा हुआ है हिन्दी में लेकिन साहब बहादुर लिखते हैं अंग्रेजी में। किन्तु यदि उनसे अपनी आज्ञा का पालन कराना है तो पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, आप स्वयं नोट लिखकर लाये हैं अंग्रेजी में और व्याख्यान देंगे हिन्दी में। यह नहीं हो सकता कि आप तो अंग्रेजी में लिखें और साहब बहादुर हिन्दी में काम करें। क्या ताज्जुब है कि इतने दिन के बाद भी हम एक छोटी बात नहीं करा सके।

अन्त में एक बात अर्ज करके मैं आप से विदा लूंगा वह यह कि विरोधी दल के लोग आपस में तो लड़ते हैं। माननीय पालीवाल जी से पूछिये कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी

[श्री सीताराम शुक्ल]

कैसे आदमी हैं ? त्रिलोकी सिंह जी से पूछिये कि माननीय दूबे जी कैसे आदमी हैं तो एक दूसरे की शिकायत करेंगे ? आपस में तो वे लड़ते हैं लेकिन गवर्नमेंट से लड़ने में सब एक हो जाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या हमारे कर्मचारी एक राय नहीं हो सकते। अगर कोई पोलिटिकल कैदी जेल में बन्द होता है तो उसे सुधारा जा सकता है। धमकी से नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से।

"जुबां को बन्द करो या हमें असीर करो
मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते।"

थाने में बन्द करने से राय नहीं बदली जा सकती। वहां अच्छी किताबें पहुंचाइये, अच्छी सोसाइटी दिलाइये, अच्छा बर्ताव करिये। अच्छे होशियार आदमियों से मुलाकात करके, उनसे बात करके उनका दिल चेंज किया, बदला जा सकता है। अगर कोरिया की लड़ाई में गिरफ्तार किये हुए दक्षिण कोरिया ने उन सिपाहियों को जो बन्दूक लेकर मारने गये थे अपना दोस्त बना लिया तो आप उन दोस्तों को जो पहले आपके साथ थे और आज गुमराह हो गये हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं तो क्या उनको कांग्रेसी नहीं बना सकते ? लेकिन जरूरत है इखलाक की, मोहब्बत की। हमारी हुकूमत को चाहिये कि न सिर्फ उन भाइयों को बल्कि यहां बैठे हुये विरोधी वृन्द को भी अपने में मिला लें। यह असम्भव नहीं है सिर्फ प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट का दूसरा दिन है। इन दो दिनों के अन्दर सदन में माननीय वित्त मंत्री को काफी बधाई दी गई है। मैं आज के दिन माननीय वित्त मंत्री को बधाई न देकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि आज के दिन हम सोशलिस्टों को भी इस बजट पर बोलने का कुछ मौका मिला।

श्री उपाध्यक्ष--यह बात आप गलत कह रहे हैं। कल एक सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा--मैं तो श्रीमन् को बधाई देता हूं। श्रीमन्, बजट में कहा गया है कि प्रगति देश की कुछ बढ़ी है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि यहां से सीतापुर जो सड़क जाती है, रेल भी जाती है, सड़क पर बैलगाड़ी चलती है और बैलगाड़ी का हर पहिया मंजिल की ओर जाता है और एक दिन हो सकता है कि बैलगाड़ी का पहिया सीतापुर पहुंच जाय। मगर श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा क्या यह बैलगाड़ी की चाल प्रगतिशील समझी जायगी और क्या इससे हमको संतोष करना है ? आज हम देख रहे हैं कि सन् ५७-५८ का बजट आया है। इस बजट के ऊपर सत्याग्रह का मखौल उड़ाया जा रहा है, बजट की स्पीचों के अन्दर। समाजवाद क्या है ? कहा जाता है कि हम तो समाजवाद लाना चाहते हैं। मगर उसका नकशा, रूप-रेखा अभी तक बना नहीं पाये हैं। श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि समाजवाद अगर लाना चाहते हो और यदि वास्तव में आपकी नीति समाजवाद लाने की है तो इसमें आप अपमान न समझें, मेरी नीयत खराब नहीं है, हम आपको नेक सलाह देना चाहते हैं, श्रीमन्, आपके जरिये से सरकार को कि समाजवाद थोड़े दिन हम से सीख लें। हम सिखाना चाहते हैं आपको और यह आप से बताना चाहेंगे कि देश के अन्दर जब तक आप हमारे मूल मंत्रों को नहीं अपनायेंगे तब तक देश के अन्दर, सूबे के अन्दर समाजवाद नहीं आ सकता है। हमारा मूल मंत्र है यह गरीब चपरासी, ये गरीब जिनकी तनख्वाह सौ रुपये से कम की है। इनके लिए एक सिद्धान्त अपना लो--सौ से कम, न हजार से ज्यादा। जब तक इसको आप नहीं अपनाते हैं, याद रखिये, निश्चय मानिये कि देश और सूबे के अन्दर समाजवाद नहीं आ सकता है।

श्रीमन्, अब मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि सब से पहले मेरी भी आज इच्छा होती है कि मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई दूं। अब यह सोचता हूं कि किस बात की बधाई दूं? इसलिए बधाई दूं कि आज भी सीमेंट की बोरियां २० रुपये में खुले आम बिक रही हैं? इस बात की बधाई दूं कि टिन और लोहा गरीब आदमी को मयस्सर नहीं होता है? इस बात की बधाई दूं कि आज गल्ले की दुकानें जो खुली हुई हैं उनमें गल्ला उन्हीं को मिलता है जिनकी पहुंच है? और क्या श्रीमन्, वित्त मंत्री को इस बात की बधाई दूं कि आज ३,५०० सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता जेलों के अन्दर बन्द हैं। किस बात की बधाई दूं? मैं चाहता था कि मैं बधाई देता इस प्रजातांत्रिक सरकार को, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि किस चीज की बधाई दूं?

श्रीमन्, बजट के ऊपर माननीय नेताओं, माननीय विरोधी दल के नेता, माननीय पालीवाल जी ने तथा और नेताओं ने बहुत काफी प्रकाश डाला। मैं आपके द्वारा इस सदन में केवल जेल के बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। जेल विशेषतया मैं इसलिए ले रहा हूं कि अभी थोड़े दिन हुए जेल का अनुभव हुआ और यह निश्चय है कि सन् ६२ तक हम लोगों को जेल में अधिकांश रहना पड़ेगा, इसलिए जेल के बजट के सम्बन्ध में ज्यादा कहना चाहता हूं। सन् ६२ के बाद क्या समय आयेगा, क्या होगा, यह कुर्सियां तो शायद पहले बदल जायं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जेल की व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। इस सत्याग्रह में जो सत्याग्रहियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जाता है कि कुछ आदमी जेलों के अन्दर हैं और जेल जाने का लोगों को शौक होगा। हो सकता है कि आप किसी भी भाषा में और किन्हीं शब्दों में जो चाहे कह सकते हैं मगर जेल में जाकर देखें कि आज सत्याग्रहियों के साथ वहां पर क्या बर्ताव होता है। मैं ३०, ३२, ४० और ४२ के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज १९५७ की जेल से १९४२ की जेल सहल थी। १९५७ की जेल में दाल में कीड़े निकले, चावल में कीड़े निकले और आटे में मिट्टी मिलाना आदि इतनी साधारण बातें हैं कि आप से क्या कहूं?

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आज लखीमपुर जेल के अन्दर सीतापुर और शाहजहांपुर के ५० सत्याग्रही हैं। आज १५ दिन हुये वहां दाल में चूहा निकला। आप कह सकते हैं कि दाल में और क्या हाथी निकलेगा। जैसा कि जेलर और जेल के अधिकारियों के जवाब मिलते हैं। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वही चूहे वाली दाल सत्याग्रहियों को खिलाई गई। ५० में से ३७ सत्याग्रही फ्लू से बीमार हैं और उनको १०५, १०६ और १०८ डिग्री बुखार चढ़ा। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमारे ३७ सत्याग्रही लखीमपुर जेल में १०५ और १०६ डिग्री बुखार में पड़े रहे, लेकिन सिविल सर्जन या डाक्टर एक बार से अधिक उनको देखने नहीं गया।

आज आप हमारे सत्याग्रहियों का मजाक उड़ा सकते हैं मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुलाकात में जितनी असुविधा हम लोगों को दी जा सकती है, दी जा रही है। सत्याग्रहियों की मातायें, स्त्रियां, भाई और बहिनें जेल में मुलाकात के लिये जाते हैं तो उनको तंग किया जाता है। सबेरे सात बजे से बिठाकर शाम के चार बजे उनसे मुलाकात कराई जाती है। आज यह अन्याय किसलिये हो रहा है? यह गर्मी का महीना है और मैं निहायत अदब के साथ अपने कांग्रेसी साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस गर्मी में कितने घड़े पानी इस्तेमाल करते हैं। आज जेल के अन्दर सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को एक घड़ा पानी एक दिन के लिये दिया जा रहा है, जिसमें वह पिय, चाहे गिरायें, चाहे उनका किसी भी प्रकार इस्तेमाल करें। केवल एक घड़ा पानी दिया जाता है। श्रीमन्, मैं आप को विश्वास दिला कर कहना चाहता हूं कि उसमें चार लोटे से ज्यादा पानी नहीं आता है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से यह पूछूंगा कि आज सत्याग्रहियों को जो ये कष्ट जेलों के अन्दर दिये जा रहे हैं क्या यह इसलिये है कि हम अपने सत्याग्रह को वापस ले लें, क्या यह इसलिये है कि हम जेलों से माफी मांग कर चले आयें? इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या अगर इससे दस गुना और कष्ट आप हमको दें

[डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा]

तो भी हमारा सत्याग्रह चलेगा। चाहे आप पानी न दें, चाहे आप जेल को करबला बना दें तो भी हम माफ़ी मांग कर नहीं आयेंगे। और इतना निवेदन विशेष रूप स है कि आज तक आप ने हमारे सत्याग्रह की सफलता देखी हो या न देखी हो, आप समझें हों या न समझे हों, लेकिन उस की सफलता की एक बहुत जीती जागती मिसाल आप के सामने मुझसे पूर्व वक्ता ने जो एक कांग्रेसी माननीय सदस्य थे पेश कर दी है। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या मैं इस सदन के अन्दर दे सकता हूं।

मैं श्रीमन्, आप के द्वारा वित्त मंत्री जी के सम्मुख यह सुझाव रखना चाहूंगा कि बजट में जो यह डेफिसिट दिखाया गया है इसको हमारे माननीय नेता विरोधी दल, माननीय पालीवाल जी और माननीय और नेता खत्म कर सकते हैं अगर यह बजट उनक सामने रखा जाय। कहा जाता है कि बजट में डेफ़िसिट दिखाना एक अच्छी परम्परा है। मैं एक बात बताता हूं। मैं स्वयं कोई अर्थ शास्त्र का पंडित नहीं और शायद मैं अर्थ शास्त्र की ए, बी, सी, डी भी नहीं जानता हूं मगर माननीय मुख्य मंत्री जी एक बार सीतापुर गये थे और वहां उन्होंने विद्यार्थियों की सभा में एक भाषण में यह कहा था कि सन् १९१५ में मद्रास में अर्थ शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पूज्य महात्मा गांधी जी भी बुलाये गये। उस एकोनामिस्ट्स के सम्मेलन में पूज्य बापू जी ने कहा कि भाइयो, मैं अर्थ शास्त्र नहीं जानता, मैं इक्तिसादी उसूल नहीं जानता मगर मैं जीवन में एक चीज़ जानता हूं और वह यह है कि "हां" के माने "हां" और "नहीं" के माने "नहीं" होना चाहिये। जिसके "हां" के माने "हां" और "नहीं" के माने "नहीं" नहीं है वह मनुष्य नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री के ये शब्द जो उन्होंने भाषण में कहे थे आज माननीय वित्त मंत्री तक आप के द्वारा पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में अगर इस बजट को समाजवादी बजट बनाना है तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बजट के पास होने के पहले आप विरोधी नेताओं की सलाह ले कर के वे जो इसमें परिवर्तन करना चाहें उसे कर दें। मैंने एक सुझाव आपके सामने रखा।

मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि जेलों की व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है। इसमें कमला प्रसाद राय ऐसे आदमी मारे गये और उनके लिये कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। झूठ है, गलत है, लगो है। वे पुलिस की मार से मर गये और उनकी लाश को भी वहां से गायब कर दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री सिर्फ दो दिन के लिये जेल चले जायं क्योंकि दुरुस्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये दोनों ही मंत्री सिर्फ २ दिन के लिये जेल में कैदी की हैसियत से चले जायं।

(एक आवाज—क्या इस्तीफा दे कर ?) जी नहीं, इस्तीफा देकर नहीं। सिर्फ वहां कैदी की हैसियत से जा कर जेल की व्यवस्था देख लें और जो उचित हो वह करें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट पर माननीय वित्त मंत्री को बधाई देने के लिये उपस्थित हुआ हूं। यह बधाई केवल व्यावहारिक नहीं है, परन्तु मैं तो जब इस बजट स्पीच को सुन रहा था और सुन कर उठा तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि इससे अच्छा बजट बनाया ही नहीं जा सकता था या इसने इस प्रदेश की तमाम कमियों को पूरा कर दिया या इसके द्वारा प्रदेश की गरीबी जाती रही, परन्तु मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ किया जा सकता था वह इसमें किया गया है।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा था कि इसमें बजट की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि नीति में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हम तो संविधान के द्वारा अपनी सरकार की एक नीति मंजूर कर चुके हैं, इसलिये अब उस नीति में और इस बजट की नीति बनाने में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि यह एक योजना के अन्तर्गत चल रही है। मैंने इसको इस प्रकार से देखा है कि योजना कमीशन ने समाजवादी ढांचे को कायम करने के

लिये जो आवश्यक शर्तें रखी हैं वह इस बजट में पूरी होती हैं या नहीं। उन शर्तों को इस सरकार के द्वारा आगे ले जाया जाता है या नहीं। पहली है पैदावार का बढ़ाना, दूसरी है बेरोजगारी का कम करना और तीसरी है सम्पत्ति और साधन वितरण द्वारा समानता का लाना। मैं तो बजट को इन तीनों ही कसौटियों पर तौलता हूं। यह बजट यदि उन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो यह वास्तव में प्रगति शील बजट है और माननीय वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं।

जहां तक पैदावार के बढ़ाने का सम्बन्ध है मेरे पास एक पुस्तिका सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है। यह है ऐग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स आफ रिआर्गनाइज्ड स्टेट्स। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिये दिया है कि १९४९–५० में हमारे यहां अनाज की कुल पैदावार ८४ लाख ९३ हजार टन थी और ५३–५४ में वह ९९ लाख ३४ हजार टन हो गई। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में लगभग १४ लाख से ऊपर टन अनाज की पैदावार का बढ़ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा चीनी और गुड़ जो और जरूरी चीजें हैं उनके आंकड़े देकर मैं समय नहीं लेना चाहता। प्रदेशीय सरकार द्वारा वितरित और प्रकाशित पुस्तिका "उत्तर प्रदेश आंकड़ों के द्वारा" की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें ये सब आंकड़े मिलते हैं।

इससे आगे जहां तक पैदावार को आगे बढ़ाने का सम्बन्ध है इस योजना की समाप्ति तक साढ़े २२ लाख टन अनाज के बढ़ाने का जिक्र बजट भाषण में है। जिन-जिन साधनों द्वारा पैदावार को बढ़ाया जा सकता है सिंचाई, बीज, तकावी आदि सभी को आगे बढ़ाया गया है और भूमि के उर्वरक के अनुसंधान के लिये कि कैसे जमीन पैदा नहीं करती उसके लिये एक नया प्राविजन इस बजट में रखा गया है, उसके लिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं। इसके बाद बेरोजगारी आती है। यहां पर बेरोजगारी का काफी चर्चा हुआ। यह स्पष्ट है कि बेरोजगारी इस पंचवर्षीय योजना में दूर नहीं होती परन्तु एक बात मैं अवश्य समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमको आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करनी थीं और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप यदि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार मिल कर बेरोजगारी के भार को कम न कर पाई तो फिर यह सरकार रह नहीं सकती है। केन्द्रीय सरकार की जो योजना है और प्रदेशीय सरकार की योजना उस योजना से सम्बद्ध है तो फिर अवश्य बेरोजगारी में कमी हो जायगी कि देश में मौजूदा ६३ लाख रोजगार की जरूरत थी (९० लाख रहने वाले) पांच वर्ष में कुल मिला कर १५३ लाख रोजगार (जाब्स) की आवश्यकता थी। जोकि देश में ११० लाख (जाब्स) बेरोजगारों को इन योजनाओं के अन्दर दिये जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यह भी मान लूं कि इन योजनाओं में १०० लाख जाब्स ही दिये जा सकते हैं तो भी ५३ लाख ही रह जाते हैं जो बेरोजगार रहेंगे मैं समझता हूं अगर इतना भी हो जाता है तो उनको सन्तोष होना चाहिये जो यह कहते हैं कि बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इस ३६ करोड़ पापलेशन के देश में अगर ६३ लाख रोजगार चाहिये और इकनामिक्स में उसकी संख्या ५३ लाख रह जाती है तो इस प्रकार प्रतिशत कम हो जाता है और बेरोजगारी का भार कम होता है।

दूसरी बात उस योजना में यह दी हुई है कि कुल स्टेट की आय २५ फीसदी और प्रत्येक व्यक्ति की आय १८ फीसदी बढ़ जायगी। अगर १८ फीसदी प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो हमारे यहां सम्मिलित कुटुम्बों में यदि ४ को रोजगार है और एक बेरोजगार है तो ४ की आय १८ रु० के हिसाब से ७२ रु० बढ़ जाती है और इस प्रकार वह भार कम होता है। और योजना में यह कहीं कहा नहीं गया कि बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो जायगी।

तीसरी चीज सम्पत्ति और साधनों के वितरण द्वारा समानता लाने की है। यह बहुत कुछ करों पर भी निर्भर है। अभी सेल्स टैक्स के विषय में कुछ लोगों ने कहा। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि यह रिग्रेसिव है। कुछ टैक्स प्रगतिशील होते हैं कुछ रिग्रेसिव होते हैं और वास्तव में सेल्स टैक्स रिग्रेसिव है। परन्तु कोई टैक्स कम या अधिक रिग्रेसिव बनाया जाता है। यदि ऐसी वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है जो सर्व साधारण के इस्तेमाल के लिये होती हैं तो वह रिग्रेसिव होता है। लेकिन जो ऐसी लग्जरी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो अमीर लोगों के इस्तेमाल में

[श्री जगदीश प्रसाद]

आती है तो वह टैक्स प्रोग्रेसिव होता है जिस प्रकार से मोटर है, मोटर साइकिल हैं और टायलेट की चीजें हैं। अगर इन पर टैक्स लगाया जाता है तो वह किसी प्रकार से रिग्रेसिव नहीं कहा जा सकता है। अभी एक सज्जन ने कुछ आंकड़े दिये और टैक्स की नीति के बारे में यह कहा कि डाक्टर मणि ने एक थीसिस लिखी और वह प्लानिंग कमीशन द्वारा मान ली गयी। उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे प्रदेश में किसानों पर १०.३ टैक्स लगता है और शहर के लोगों पर ५.३ टैक्स लगता है यह उन्होंने बताया लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर आप देखें कि मेरे मित्र यह भूल गये कि यह आंकड़े सन् ४८-४९ के उस समय से गंगा में बहुत पानी बह गया है। तो किसानों पर अब टैक्स का भार कम हो गया है। जमींदारी एबालिशन में किसानों पर भार कम हुआ है क्योंकि सरकार ने मध्यवर्ती को हटा दिया है। एक परिणाम यह हुआ कि बहुत से किसानों का भूमिधरी के कारण लगान आधा हो गया है। उसी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी बताया है कि ५०० रुपये की जिनकी आमदनी थी उनसे कम लिया जाता है टैक्स उनसे और भी कम लिया जाता है जिनकी आमदनी २ हजार रुपया सालाना है चूंकि उनकी संख्या बहुत कम है इसका कारण यह है कि अधिक आय वाले किसानों की संख्या भी इतनी कम थी कि उनसे कम लिया जाता था। एक और रिपोर्ट का हवाला दिया गया। प्लानिंग कमीशन ने रिसर्च कमेटी बिठाई और उसने लखनऊ का सर्वे किया और उसने यह बताया कि लखनऊ में ५२ फीसदी लोग बिलों पावर्टी लेविल रहते हैं। यह इसी साल ५७ की रिपोर्ट है। आज हम यह नहीं कहते हैं कि भूख नहीं रही या किसी प्रकार की कमी नहीं रही। इसके लिये तो पहले १० साल का मुकाबला करना होगा और उस समय के आंकड़ों के मुकाबले से मालूम होगा कि कोई तरक्की की है या नहीं। एक वर्ष के आंकड़ों से प्रगति नहीं बताई जा सकती। यह समता कुछ समाज सेवाओं से लाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने इसमें काफी अच्छी बातें रखी हैं। इनमें ७० वर्ष के बुड्ढों की पेंशन है, इससे अनेक जो सोचते थे कि बुढ़ापे में क्या होगा, आराम मिलेगा। उसे हम ६५ और ६० भी कर सकते हैं, इसके लिये २५ लाख रुपया है उसको अपने साधनों के अनुसार एक करोड़ और आगे कर सकते हैं इसके लिये हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात शिक्षा के निःशुल्क करने की है। मैं मानता हूं कि यह दसवें कक्षा तक होनी चाहिये और आप सब यही चाहते हैं और ६ठें तक कम है। लेकिन जैसे जैसे साधन होते जावेंगे वह होता जायगा। जच्चाओं को दूध देने की और चिकित्सालय की बात है और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की मंहगाई की बात है। माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि यह शर्म की बात है कि ५ रुपया बढ़ाये गये परन्तु उन्होंने यह नहीं सोचा कि रुपया आवेगा कहां से यदि हम अधिक देते हैं। एक ओर तो टैक्स लगाने की वह नुक्ताचीनी करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि खर्चा बढ़ाओ।

कई माननीय सदस्यों ने मंत्रियों के वेतन और गाड़ियों आदि का जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि जितना कम हम कर सकें वह करना चाहिये। परन्तु हमें इस प्रश्न को एक दूसरे नजरिये से भी देखना चाहिये। हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी और हाफ़िज़ जी इस सदन में सब से पुराने मंत्री हैं। क्या वह आज इतने वर्ष के बाद इस हालत में हैं कि २० या २५ या ५० हजार रुपया लगाकर एक मकान भी अपने लिये बना लें? हमारे सोचने का तरीक़ा यह होना चाहिये कि वह तबक़ा जिसको पाकर १० या १५ वर्ष में वेतन पाने वाला पूंजीपति हो जाय उसे कम देना चाहिये। यह भी सोचने की बात है कि यह भी हो सकता है कि ये लोग मंत्री न रहें तब उन्हें कुछ करना होगा? इस कारण इस वेतन को ऐसा नहीं कह सकते कि जिससे पूंजी इकट्ठी है। मैं भी इसे मानता हूं कि छोटी कार और छोटी कोठी में काम चल सकता है। लेकिन ये इतनी बड़ी चीजें नहीं हैं। यह भी हो सकता है कि जिस हाल में हम बैठे हैं उसे भी ये टीन से पाट दें और १५ वर्ष बाद सोचें पक्का ही बनाते तो अच्छा रहता। मैं यह नहीं कहता कि बचत नहीं हो सकती। मैं भी प्राक्कलन समिति का ५ वर्ष सदस्य रहा हूं और मैंने और समिति ने बहुत से सुझाव बचत के दिये हैं जिनसे बचत हो सकती

है यदि सरकार उनको मान ले और कार्यान्वित करे। परन्तु हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने चीप पाप्यूलैरिटी लेने की कोशिश की है। जिन बातों की आलोचना सड़क पर होती है वही की है, यह सदन है। आज एक एम० बी० बी० एस० ५ वर्ष लखनऊ के मेडिकल कालेज से पढ़ कर निकलता है और यहां प्रैक्टिस करता है। वह समझता है कि १ या २ हजार रुपया माहवार कमाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी या हाफिज जी यह नहीं सोच सकते। इसी प्रकार से एक वकील वकालत पास करने के बाद यह सोच सकता है कि कई हजार रुपया माहवार कमाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, परन्तु हमारे यह पुराने मंत्री ऐसा नहीं विचार सकते।

कुछ थोड़े से सुझाव मैं देना चाहता हूं। बजट का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने इसके बारे में कहा गवर्नमेंट की कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनको वह चाहे तो थोड़े दिनों के लिये रोक सकती है। मैं दो तीन योजनाओं का जिक्र करूंगा। एक तो ग्रामीण पानी योजना है जिसको दो तीन वर्ष तक के लिये रोका जा सकता है। मैं दो तीन वर्ष से देख रहा हूं कि हर साल इसके लिये रुपया रखा जाता है। मैंने खुद गांवों में जाकर घूम घूम कर देखा तो मालूम हुआ कि जिस गांव में इस तरह के पानी का इन्तजाम है वहां लगभग १० हजार रुपया लगता है। मैंने देखा कि ऐसे बहुत से खम्भे व नल उसके बेकार पड़े हैं। जब इस योजना को सब से पहले बजट भाषण में सुना तो मैं खुश हुआ, मेरे भाई अमरीका से लौटे थे तो कहते थे कि वहां पांच चीजें हर व्यक्ति को देना सरकार का कर्तव्य है उसमें पानी भी था, मैंने सोचा कि यहां भी वह समय आ गया परन्तु फिर मैं सोचने पर इसके खिलाफ हुआ। मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जा कर इस स्कीम की मुखालिफत की। इस प्रकार नगरपालिकाओं में पानी की योजना है। मैं देख रहा हूं कि आप मजबूर कर रहे हैं कि म्युनिसिपेलिटीज टैक्स लगावें जब कि वे टैक्स नहीं लगा सकती हैं। ऐसी योजनाओं को कुछ समय के लिये स्थगित करके उनको बाद में लिया जा सकता है। दो तीन योजनाओं का मैं जिक्र कर दूं। अभी मैंने पढ़ा कि एक लाख रुपये से विधान भवन का एक्सटेंशन किया जा रहा है। वास्तव में तीस लाख रुपये की स्कीम है लेकिन अभी एक लाख रुपया ही रखा गया है। उसको अभी थोड़े दिनों के लिये स्थगित किया जा सकता है। जहां तक हम लोगों के बैठने का सम्बन्ध है सीट को और छोटा किया जा सकता है या और कोई उपाय किया जा सकता है और इसी में बैठ कर काम चल सकता है। हम तो आप के कोठी छोटी करने की सोचते हैं और आप हमारा हाल बढ़ाने को यह कमी का समय है।

इसी तरह से एक दूसरी योजना पीलीभीत में रिहैबिलिटेशन के सम्बन्ध में है। ६७५ आदमियों के बसाने के लिये सरकारी योजना है जिसके लिये पचासी लाख पचास हजार रुपया रखा गया है। बारह हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च पड़ता है। मैंने स्वयं अपने अनुभव से देखा है कि कालोनाइजेशन स्कीम के अन्दर बहुत से लोगों को बसने के लिये जमीन दी गयी, लेकिन बहुत से नवयुवक उसे छोड़-छोड़ कर भाग गये और इतने रुपये बेकार हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्राक्कलन समिति का भी जिक्र किया, जिसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। जैसा मैंने बतलाया कि मैं स्वयं ५ वर्ष तक प्राक्कलन समिति का सदस्य रहा और इतने वर्षों तक बराबर कार्य करते-करते मैं तथा अन्य साथी नये व पुराने सब इसी नतीजे पर पहुंचे कि चार पांच वर्ष तक प्राक्कलन समिति द्वारा जो कार्य किया गया उसकी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मुझे खुशी है और मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा ही आभारी हूं कि उन्होंने कहा है कि प्राक्कलन समिति की सहायता की जायगी।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट १९५७–५८ के लिये हमारे सामने पेश किया गया है उसे पढ़ने पर और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिये गये भाषण के सुनने से सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि जो आज समाज जो की समस्याओं

[आचार्य दीपंकर]

को नजरअन्दाज करना और उनका हल मनमाने तरीके से पेश करते रहना असम्भव है। बस यही एक बात उस भाषण से जाहिर होती है। जनता की भावनाओं के विरोध में अब सरकार का प्रतिरोध कम है। गरीब जनता पर टैक्सों की भरमार करने से बचना या हिचकिचाना लेकिन साथ ही कर का बोझ इस तरह से लादना कि गरीबों पर ही असर पड़े और उनके लिये कम से कम सहूलियत देना। इसके अलावा छोटे राज कर्मचारियों के लिये आज से नहीं बल्कि वर्षों से उठती आ रही इस मांग को कि छोटे कर्मचारियों को कुछ राहत दी जानी चाहिये लेकिन सरकार का उनकी ओर बेरुखापन कायम रहना और कोई ठोस कदम न उठाते हुए भी पांच रुपये बढ़ाने की बात करना कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे सरकार की मनोभावनायें प्रकट होती हैं। इसी तरह से मंत्रियों के वेतन में कमी उनके खर्च में कमी विभागीय भ्रष्टाचार है। उसका निवारण आदि ये सवाल ऐसे हैं कि जिन के बारे में कभी संजीदगी के साथ सोचा भी नहीं गया था। लेकिन फिर भी जो मसला बार-बार उभर कर हमारे सामने आता रहा है उसको नजरअन्दाज करना असम्भव है, और इस निगाह से मैं इस बजट को देखता हूं तो अनुभव करता हूं कि अबकी बार ये समस्याएं कम से कम स्वीकार तो कर ली गई हैं--और इस दृष्टि से मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मनोगत भावनाओं से समाज की समस्यायें हल नहीं होती। सवाल यह है कि समाज के अन्दर जो शक्तियां काम कर रही हैं उनको किस तरह से जोड़ने और सुलझाने की कोशिश की गई है और जो समस्यायें बार-बार सामने आती हैं उनका क्या हल निकाला गया है ?

बजट में कहा गया है कि हम एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना या निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन समाजवाद की बात को केवल बार-बार दोहराते रहने से समाजवाद स्थापित नहीं होता। आपको देखना होगा कि समाज के विभिन्न वर्गों या हिस्से के प्रति आपकी क्या नीति है और उन के लिये आप किस तरह से अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहते हैं। कुछ ठोस कदमों से समाजवाद का निर्माण हो सकता है, बार-बार समाजवाद की माला फेरने से या उसके नाम को दोहरा देने से नहीं।

समाजवाद की स्थापना कैसे की जाय इसमें मतभेद हो सकता है लेकिन जहां तक उसके उद्देश्य और मूलभूत आधार का प्रश्न है उसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। इसका आशय यह है कि पैदावार के साधनों, हमारी सम्पत्ति पर, समाज का नियंत्रण होना चाहिये। हां, यह नियंत्रण किस प्रकार से हो, इसमें मतभेद हो सकता है। आज हमारे देश में पूंजी वाद के विध्वंस पर समाज वाद का निर्माण नहीं हो सकता। लम्बे अर्से तक यहां समाजवाद और पूंजीवाद सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के आधार पर साथ रहेंगे और धीरे-धीरे समाजवाद पूंजीवाद को स्थानान्तरित कर देगा। जब तक तमाम साधन जो आज चन्द लोगों के हाथ में है समाज के सार्वजनिक क्षेत्र में या मेहनत करने वाली जनता के अधिकार में तेजी के साथ या आहिस्ता आहिस्ता नहीं आते तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। लेकिन इस चीज की ओर इस बजट में भी तो कोई संकेत या प्रयास दीखना चाहिये। बल्कि विपरीत इसके आज से ६ साल पहले जिन हाथों में समाज की सम्पत्ति थी आज भी वह उन्हीं के हाथ में है और आइन्दा भी, कम से कम सन् ५७–५८ में, उसका कोई भी अंश सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। इसलिए इस बजट में समाजवाद की घोषणा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात केवल भावना की घोषणा भर ही है। समाज की उन शक्तियों और तत्वों का जो दबे-कुचले हैं उनको उभारा दे कर समाजवाद की बात सोची जा सकती है। समाज में विषमता क्यों पैदा हुई है और यह आगे पैदा न हो इस प्रकार का कोई प्रयास इस बजट में नहीं है। यह तो केवल मुनीम जी का हिसाब का लेखा जोखा है और आमदनी और खर्च का आपस में केवल जोड़ तोड़ है। यदि हम आज समाज का संतुलन इधर से उधर करना चाहते हैं तो इसमें कोई पोलिटिकल कन्टेन्ट, कोई एकनामिक कन्टेंट या कोई सोशल कन्टेंट तो होना ही चाहिये। इसमें इस तरह की कोई मंशा जाहिर नहीं होती। मेरी राय इस बजट के सम्बन्ध में है।

समाज की वे शक्तियां जिनके ऊपर एक तरह से हमारा प्रदेश टिका हुआ है उनके बारे में बजट की क्या राय है, उसका सिद्धान्त और उसकी नीति क्या है यह प्रश्न सबसे अधिक विचारणीय है। हमार प्रदेश के गरीब किसान जिनके पास अधिकतर अनएकनामिक होलडिंग्स हैं उनको सरकार लगान के बोझ से मुक्त नहीं करती, जिनको सरकार सवा ६ एकड़ का किसान मानती है उनको नहीं तो कम से कम दो ढाई एकड़ वाले किसान को तो वह इस बोझ से छुट कारा दे ही देना चाहिये। परन्तु इस ओर सरकार ध्यान देने को भी तैयार नहीं है। इसी तरह भूमि व्यवस्था के प्रश्न को देखा जाय तो हमें एक बार पढ़ने का अवसर मिला कि केन्द्रीय सरकार पूरे देश के स्तर पर भूमि व्यवस्था के बारे में एक कानून बनाना चाहती है और इसे मैं ठीक भी मानता हूं लेकिन साथ ही मैं समझता हूं कि इतने बड़े प्रदेश के लिए यह शायद सम्भव नहीं है। परन्तु देश के लिए कोई चीज संभव हो या न हो, हमारे प्रदेश में अभी तक तीन प्रकार की भूमि व्यवस्थाएं चल रही है और यह एक बड़ा भारी लांछन और अपमान है। जब तक इस विषमता को दूर नहीं किया जाता और एक प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू नहीं होती तब तक किसानों के मसले को हम हल नहीं कर सकते। इसी तरह, जब तक उत्तर प्रदेश में आर्थिक परिवर्तन नहीं होता, जब तक कृषि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता तब तक कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं आ सकता है। और कृषि व्यवस्था में तब तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्त न नहीं होगा जब तक सहकारी खेती को न स्थापित किया जाय। सहकारी खेती के ऊपर माननीय माल मंत्री का रुख क्या है, माननीय कृषि मंत्री क्या सोचते हैं और पूरे मंत्री मंडल का रुख क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि उनका रुख बहुत ही विद्वेषपूर्ण है। वह एक तरह से उसे नजरअन्दाज करने, और प्रोत्साहित न करने का रुख है।

इसी वजह से उत्तर प्रदेश में यदि कही-कहीं सहकारी खेती हुई भी तो वह अनुकूल वातावरण न पाने के कारण सफल नहीं हुई। सहकारी खेती के विरोध में वातावरण इस लिए है कि कि सरकार उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहती।

हम १८५७ के आन्दोलन को भी स्वाधीनता आन्दोलन मानते हैं। लेकिन जिन किसानों ने उस आन्दोलन में भाग लिया था उनके प्रति सरकार का आज तक का रूख देशभक्ति और सहानुभूति का नहीं है।

इसी तरीके से चकबन्दी की स्कीम शुरू हुई। उसके बारे में पिछली मर्तबा असेम्बली में काफी बातें हुईं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी चकबन्दी के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण रखा था वह सदन को अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस चकबन्दी के बारे में माननीय त्रिलोकी सिंह के कल के वक्तव्य से मैं बिलकुल सहमत हूं कि माल विभाग और खास तौर से चकबन्दी और दूसरे दो एक विभाग जैसे सिंचाई का विभाग है, भ्रष्टाचार फैलाने और रिश्वत लेने के सबसे बड़े केन्द्र और स्थान हैं। यदि चकबन्दी और सिंचाई विभाग अथवा अन्य किसी विभाग में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में यदि कुछ कहा जाता है तो उससे सम्बद्ध मंत्री यह समझते हैं कि आरोप उन्हीं पर किया जाता है, और उसको व्यक्तिगत आरोप समझ कर विभाग में फैले, भ्रष्टाचार मिटाने का गम्भीरता, पूर्ण प्रयास नहीं होता।

देहात में हरिजन और अन्य गरीब जनता इस दुर्भाग्य पूर्ण चकबन्दी की कामयाबी के बाद मैं नहीं समझता कि आज से चन्द वर्षों बाद आबादी के लिये कहां से भूमि पा सकेगी। इसलिये कि अगर वह आबादी के लिये एक बिस्वा जमीन लेता है तो आज भी उसे सौ-सौ रुपये मुआवजे के देने पड़ते हैं।

यही स्थिति सिंचाई विभाग की है। बहुत बड़ी रकम सिंचाई विभाग पर खर्च करने के लिये रखी गयी है। इस बजट को आप देखें। परन्तु उससे उत्पादन क्या हुआ? हम यही समझते हैं कि खाद, सिंचाई आदि के प्रबन्ध से पैदावार अच्छी हो सकती है। हमारे प्रदेश में गहरी खेती कामयाब होनी चाहिये। गहरी खेती के विकास के बिना उत्तर प्रदेश

[आचार्य दीपंकर]

का विकास नहीं हो सकता। जितना खर्चा इस आबपाशी विभाग पर हुआ है, उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में गहरी खेती का विकास नहीं हुआ है। पिछले जो आंकड़े अन्न की पैदावार की हैं उनको उठाकर देख लीजिए। जो औसत सिंचाई के खर्चे का और जो खाद और बीज का खर्चा है वही औसत हमारे सूबे के अन्नोत्पादन का नहीं है? १९५४ में दस हजार ४ सौ ९३ हजार मन अन्न का उत्पादन हुआ। उसके बाद १९५५ में, ११ हजार १ सौ ७८ हजार मन हुआ और १९५६ में जा कर ९ हजार ७ सौ २ हजार मन होयरहग ।।

इसमें यह जो उतार चढ़ाव है वह साबित करता है कि अन्न की पैदावार में कोई सिलसिला नहीं है। आबपाशी विभाग में पहले एक चीफ़ इंजीनियर था, लेकिन अब ५ चीफ़ इंजीनियर हैं और उनका अपना-अपना कुनबा है और जिस तरह से वे फंक्शन करते हैं उसको प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा। कहना तो मुझे बहुत से विभागों के बारे में था लेकिन आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। समाज कल्याण के सम्बन्ध में। हमारे समाज का जो सब से दूषित अंग है उसके प्रति सरकार का क्या रुख बजट से मालूम देता है। वह अंग है वेश्याएं। जब कि हम स्त्रियों के प्रति बहुत सहानुभूति की बातें करते हैं क्या बजट से ऐसा मालूम होता है कि उसके प्रति कोई ठोस सहानुभूति है? अगर हमें सचमुच समाज को ऊपर उठाना है, समाजवाद की स्थापना करनी है और साथ ही हम इस कोढ़ को दूर नहीं करते हैं तो समाज सुधार की बात करना पाखंड है।

इस तरह से बहुत से महकमें खुले। सहकारी समितियों को ही लीजिये। ये समितियां उलझनों और कागजों के पुलन्दों का अखाड़ा बन गई हैं। और दो, चार सहकारी समितियां बनाने के बाद मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुआ है कि जो दावे सहकारिता के सम्बन्ध में यहां किये जाते हैं वे सब बेकार हैं। ६-६ महीनों में सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हो पाती हैं और उनको एक पैसे की इमदाद नहीं मिल पाती। और अगर मिलती भी है तो तभी मिलती है जब किसी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर का वरदान उसे हासिल हो।

अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में तरक्की का जहां तक सवाल है, अवश्य वहां तरक्की होनी चाहिये इससे किसी को कोई द्वेश नहीं है। हर प्रकार की उन्नति होनी चहिये। लेकिन पश्चिमी जिलों में पहले बरेली और आगरे में दो पागलखाने थे और पिछले ९ साल के अर्से में एक आध और मिल जाय इसके अलावा और कोई उम्मीद करना बेकार है। मेरठ में एक यूनिवर्सिटी की काफ़ी अर्से से मांग है लेकिन उसकी टाल होती चली आ रही है।..

श्री उपाध्यक्ष—अब आप का समय समाप्त हुआ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
२३ जुलाई, १९५७।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४४ पर)

बाढ़ पीड़ित जिलों में नाव बनाने के लिये दी गई सरकारी सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नावों की संख्या	प्रति नाव ४८० रु० की दर से गांव सभाओं को सरकार द्वारा देय सहायता (यह नाव के मूल्य का ६० प्रतिशत है)		
			रु०	आ०	पा०
१	मेरठ ..	४ ..	..	१,९२०	० ०
२	बुलन्दशहर ..	१६ ..	..	७,६८०	० ०
३	अलीगढ़ ..	४ ..	..	१,९२०	० ०
४	आगरा ..	८ ..	..	३,८४०	० ०
५	एटा ..	८ ..	..	३,८४०	० ०
६	बरेली ..	४ ..	..	१,९२०	० ०
७	बदायूं ..	१० ..	..	४,८००	० ०
८	बिजनौर ..	१ ..	..	४८०	० ०
९	शाहजहांपुर ..	८ ..	..	३,८४०	० ०
१०	फर्रुखाबाद ..	१० ..	..	४,८००	० ०
११	इटावा ..	२ ..	..	९६०	० ०
१२	कानपुर ..	१ ..	..	४८०	० ०
१३	हमीरपुर ..	१ ..	..	४८०	० ०
१४	जालौन ..	२ ..	..	९६०	० ०
१५	वाराणसी ..	१० ..	..	४,८००	० ०
१६	मिर्जापुर ..	७ ..	..	३,३६०	० ०
१७	जौनपुर ..	७ ..	..	३,३६०	० ०
१८	गाजीपुर ..	७ ..	..	३,३६०	० ०
१९	बलिया ..	५ ..	..	२,४००	० ०
२०	गोरखपुर ..	६ ..	..	२,८८०	० ०
२१	बस्ती ..	५ ..	..	२,४००	० ०
२२	आजमगढ़ ..	११ ..	..	५,२८०	० ०
२३	देवरिया ..	२० ..	..	९,६००	० ०
२४	लखनऊ ..	२ ..	..	९६०	० ०
२५	उन्नाव ..	३ ..	..	१,४४०	० ०
२६	रायबरेली ..	२ ..	..	९६०	० ०
२७	सीतापुर ..	३ ..	..	१,४४०	० ०
२८	हरदोई ..	८ ..	..	३,८४०	० ०
२९	खीरी ..	५ ..	..	२,४००	० ०
३०	फैजाबाद ..	५ ..	..	२,४००	० ०
३१	गोंडा ..	५ ..	..	२,४००	० ०
३२	बाराबंकी ..	५ ..	..	२,४००	० ०
		१९५ ..	..	९३,६००	० ०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

सार्वजनिक निर्माण विभाग

विविध

---

२३ जनवरी, १९५७ ई०

सं० ५४५-सी २३ पी० डब्ल्यू० ए० (११ सी)–डब्ल्यू०–५७, इंडियन टौल्स ऐक्ट, १८५१ (ऐक्ट सं० ८, १८५१) की धारा २ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा सरकारी विज्ञप्ति संख्या ५४९५ (३)-सी/२३ पी० डब्ल्यू० ए०--२१७ सी–५३, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५६ के क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा यह घोषित करने का आदेश देते हैं कि जिला पीलीभीत में पीलीभीत-टनकपुर-पिथौरागढ़ सड़क पर जगबूरा नदी का पुल का पथकर उक्त विज्ञप्तियों में दिये गये नियमों तथा शर्तों के अधीन लगाया जायेगा ।

आज्ञा से,
एच० ए० सिद्दीकी,
सचिव,

संख्या: ५४९५-सी २३ पी० डब्ल्यू० ए०--२१७ सी–५३
दिनांक लखनऊ, ३० अक्टूबर, १९५६

विज्ञप्ति

इन्डियन टौल्स ऐक्ट (१८६४ का ऐक्ट संख्या १५) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर, राज्यपाल महोदय इन्डियन टौल्स ऐक्ट, १८५१ (१८५१ का ऐक्ट संख्या ८) के उपबन्धों को समस्त उत्तर प्रदेश में लागू करते हैं ।

हबीब अहमद सिद्दीकी,
सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

संख्या ११२३-सी०/२३ पी० डब्ल्यू० ए० (११ सी)--डब्ल्यू०-५७
दिनांक लखनऊ, २० फरवरी, १९५७ ई०

शुद्धि-पत्र

पीलीभीत-टनकपुर-पिथौरागढ़ सड़क पर जगबुरा नदी के पुल पर पथकर लगाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४५-सी०/२३ पी० डब्ल्यू० ए० (११ सी)–डब्ल्यू०-५७, दिनांक २३ जनवरी, १९५७ ई० के भाग १–क में पृष्ठ १२५ पर प्रकाशित हुई है, में "जिला पीलीभीत" के स्थान पर "जिला नैनीताल" पढ़िये ।

ह० दामोदर दास अग्रवाल,
अनुसचिव ।

ह० हबीब अहमद सिद्दीकी,
सचिव ।

सार्वजनिक निर्माण बिभाग (क)

संख्या ५४९५/३ (सी) २३ पी० डब्ल्यू० ए०--२१७ सी०-५३
लखनऊ, दिनांक १ नवम्बर, १९५६ ई०

विज्ञप्ति

इंडियन टौल्स ऐक्ट, १८५१ (१८५१ का ऐक्ट संख्या ७) जिसके उपबन्ध विज्ञप्ति संख्या ५४९५-सी/२३ पी० डब्ल्यू० ए०--२१७ सी-५३, दिनांक ३० अक्तूबर, १९५६, द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश में लागू किये गये हैं, की धारा २ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रबन्ध तथा नियंत्रण में रखी गई ऐसी सड़कों के स्थायी पुलों का, जो इस विज्ञप्ति के पैरा २ के अधीन एतद् तपश्चात विज्ञापित किये जाय, प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा इस विज्ञप्ति के निर्गमित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार पथकर देय होगा :

(१) २१ जुलाई, १९५६ को या उसके पूर्व निर्मित तथा गमनागमन के लिये खोले गये सभी स्थायी पुल पथकर से मुक्त होंगे;

(२) ऐसे सभी स्थायी पुल, जिनका स्पेन २०० फिट या उससे कम हो, या जिसकी लागत २.५० लाख से अधिक न हो, पथकर से मुक्त होंगे;

(३) किसी विशेष पुल पर पथ कर केवल उसके निर्माण की पूरी लागत वसूल होने तक या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से २० वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, लगाया जायगा :

(४) जब कई नये पुल एक ही सड़क पर एक दूसरे से ३० मील की दूरी पर पड़ते हो, तो पथकर उनमें से केवल एक ही पर लगाया जायगा। मनुष्यों, गाड़ियों तथा बोझा ढोने वाले पशुओं पर आगामी दिवस की मध्य रात्रि तक लौटने पर वापसी में कोई पथकर नहीं लिया जायगा यदि जाते समय उनसे पथकर वसूल किया जा चुका हो।

२--जिन पुलों पर पथकर लगाया जायगा उन्हें समय समय पर विज्ञप्त किया जायेगा।

ह० हबीब अहमद सिद्दीकी,
सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

पथकर की दरों की अनुसूची

क्रम-संख्या	मद	५ लाख रुपये से अधिक लागत के पुलों पर			५ लाख रुपये या उससे कम लागत के पुलों पर		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	प्रत्येक पैदल यात्री ..	०	१	०	०	१	०
२	क्रेटो की धारिता के अनुसार उनमें रखे गये पशुओं के लिये प्रति १० घनफीट पर ..	०	१	०	०	१	०
३	पिजड़ों में रखी गई चिड़ियां (प्रति मन) ..	०	०	९	०	०	९

क्रम-संख्या	मद	५ लाख रुपये से अधिक लागत के पुलों पर			५ लाख रुपये या उससे कम लागत के पुलों पर		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
४	हाथ में ले जाई जाने वाली चिड़ियां	०	०	९	०	०	९
५	प्रत्येक भेड़, बकरी या सुअर ..	०	१	०	०	१	०
६	प्रत्येक गदहा, यदि उस पर सामान लदा न हो या उसे ले जाया जा रहा है ..	०	१	०	०	१	०
७	प्रत्येक बन्दर या भालू ..	०	१	०	०	१	०
८	प्रत्येक टट्टू या खच्चर, यदि उस पर सामान लदा न हो या उसे ले जाया जा रहा हो ..	०	१	०	०	१	०
९	प्रत्येक भैंस या बैल यदि उस पर सामान लदा न हो ..	०	१	६	०	१	०
१०	सामान जो किसी गाड़ी में न हो अथवा जिसके लिये अनुसूची में कोई अन्य व्यवस्था न की गई हो, बिना दबी हुई रुई के अतिरिक्त प्रतिमन	०	१	०	०	१	०
११	प्रत्येक भैंस या बैल यदि उस पर सामान लदा हो ..	०	३	०	०	१	६
१२	प्रत्येक टट्टू या खच्चर यदि उस पर सामान लदा हो या सवारी हो	०	१	६	०	१	६
१३	प्रत्येक गदहा यदि उस पर सामान लदा हो या सवारी हो ..	०	१	६	०	१	६
१४	वाहक सहित प्रत्येक कांवर या बहंगी यदि उस पर सामान लदा हो	०	१	६	०	१	६
१५	सामान जो किसी गाड़ी में न हो अथवा जिसके लिये अनुसूची में कोई अन्य व्यवस्था न की गई हो, बिना दबी हुई रुई प्रति मन ..	०	१	६	०	०	९
१६	स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी चाहे उसमें सामान लदा हो या यात्री ले जाये जा रहे हों या सामान लदा न हो ..	०	४	६	०	३	०
१७	प्रत्येक ऊंट या घोड़ा यदि उस पर सामान न लदा हो या उसे ले जाया जा रहा हो ..	०	४	६	०	३	०

विधान सभा

क्रम-संख्या	मद	५ लाख रुपये से अधिक लागत के पुलों पर			५ लाख रुपये या उससे कम लागत के पुलों पर		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१८	सवार को सम्मिलित करके प्रत्येक साधारण बाइसिकिल ..	०	३	०	०	३	०
१९	सवार को सम्मिलित करके प्रत्येक ट्राइसिकिल ..	०	३	०	०	३	०
२०	प्रत्येक खाली गाड़ी जो किसी पशु द्वारा खींचकर न ले जाई जा रही हो	०	४	६	०	३	०
२१	बिना स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी जो एक दो या तीन बैलों, भैंसों, टट्टुओं, गदहों या खच्चरों द्वारा खींची जाती हो—						
	(१) यदि सामान से लदी हो	०	७	६	०	४	०
	(२) यदि सामान से लदी न हो या केवल यात्रियों को ले जा रही हो ..	०	४	६	०	३	०
२२	प्रत्येक इक्का बैली या रहड़ ..	०	७	६	०	४	६
२३	प्रत्येक तांगा जो केवल एक घोड़ा, टट्टू, खच्चर या बैल द्वारा खींचा जाय ..	०	७	६	०	४	६
२४	प्रत्येक गाड़ी जो ६ या ७ बैलों, भैंसों, घोड़ों, टट्टुओं, गदहों या खच्चरों द्वारा खींची जाय—						
	(१) यदि सामान लदा न हो	०	१५	०	०	७	६
	(२) यदि सामान से लदी हो	१	८	०	०	१५	०
२५	प्रत्येक गाड़ी जो ४ या ५ बैलों, भैंसों घोड़ों, टट्टुओं, गदहों या खच्चरों द्वारा खींची जाय—						
	(१) यदि सामान से लदी न हो	०	७	६	०	४	६
	(२) यदि सामान से लदी हो	०	१५	०	०	७	६
२६	मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली सामान से लदी हुई प्रत्येक गाड़ी	०	७	६	०	४	६
२७	प्रत्येक ऊंट या घोड़ा यदि उस पर सामान लदा हो या सवारी हो	०	७	६	०	४	६
२८	प्रत्येक गियर या हौदा ..	०	७	६	०	४	६

सत्यमेव जयते

क्रम संख्या	मद	५ लाख रुपये से अधिक लागत के पुलों पर			५ लाख रुपये या उससे कम लागत के पुलों पर		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
२९	प्रत्येक पालकी, डोली पलना या तनजान--						
	(१) दो वाहकों सहित ..	०	७	०	०	४	६
	(२) चार वाहकों सहित ..	०	१५	०	०	७	६
	(३) छः वाहकों सहित ..	०	१५	०	०	१५	०
	(४) आठ वाहकों सहित ..	१	८	०	०	१५	०
३०	प्रत्येक सोलो मोटर बाइसिकिल (सवार सहित) ..	०	१५	०	०	७	६
३१	प्रत्येक गाड़ी जो स्प्रिंग वाली न हो और ८ बैलों, भैंसों, टट्टुओं, गदहों या खच्चरों द्वारा खींची जाती हो--						
	(१) यदि सामान से लदी न हो	०	१५	०	०	७	६
	(२) यदि सामान से लदी हो	२	४	०	१	८	०
३२	किसी मोटर कार से सम्बद्ध प्रत्येक ट्रेलर या ट्रक--						
	(१) यदि सामान से लदा न हो	०	१५	०	०	१५	०
	(२) यदि सामान से लदा हो	१	८	०	१	८	०
३३	प्रत्येक दो पहिये वाली गाड़ी, रथ और तांगा जो दो घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों या बैलों द्वारा खींची जाय ..	१	८	०	०	१५	०
३४	साइड कार या ट्रेलर सहित प्रत्येक मोटर बाइसिकिल (सवार को सम्मिलित करके) ..	१	८	०	०	१५	०
३५	प्रत्येक मोटर ट्राइसिकिल (सवार सहित)	१	८	०	०	१५	०
३६	प्रत्येक मोटरकार, ४ पहिये की गाड़ी या रथ	२	४	०	१	८	०
३७	प्रत्येक हाथी	२	४	०	१	८	०
३८	१२ यात्रियों तक का या १ टन तक सामान ढो सकने वाली मोटर-लारियां या ट्रकें--						
	(१) यदि सामान लदा न हो	५	४	०	३	१२	०
	(२) यदि सामान लदा हो	६	०	०	४	८	०

अविभाजित सभा

क्रम-संख्या	मद	५ लाख रुपये से अधिक लागत के पुलों पर			५ लाख रुपये या उससे कम लागत के पुलों पर		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
३९	प्रत्येक कमर्शियल ट्रेलर—						
	(१) यदि सामान लदा न हो	२	४	०	२	४	०
	(२) यदि सामान लदा हो	३	०	०	३	०	०
४०	प्रत्येक वैगन या कारवां जो मोटर कार से खींचा जाय (यदि कोई यात्री हो तो उनसे पथकर पृथक रूप से लिया जायगा) ..	२	४	०	२	४	०
४१	१२ यात्रियों से अधिक या १ टन से अधिक सामान ढो सकने वाली मोटर लारियां या ट्रकें—						
	(१) यदि सामान लदा न हो	६	१२	०	४	८	०
	(२) यदि सामान लदा हो तो प्रति मोटर लारी या ट्रक	७	८	०	५	४	०
४२	पिक अप या स्टेशन वैगन ..	३	८	०	२	८	०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

विज्ञप्ति

संख्या ८२८९-सी/२३ पी० डब्ल्यू० ए०--२१७-सी-५३

दिनांक २७ दिसम्बर, १९५६ ई०

विज्ञप्ति संख्या ५४९५(३)सी/२३ पी० डब्ल्यू० ए०--२१७ सी--५३, दिनांक १ नवम्बर, १९५६ का आंशिक संशोधन करके तथा इंडियन टोल्स ऐक्ट, १८५१(१८५१ के ऐक्ट संख्या ८) की धारा २ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि उक्त विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित (पथकर) दरों की अनुसूची के स्थान पर संलग्न अनुसूची प्रयुक्त की जाय :

पथकर दरों की अनुसूची

क्रम संख्या	मद	२५ लाख और उससे अधिक की लागत वाले पुल						८ लाख तथा २५ लाख रुपये के बीच की लागत वाले पुल						२.५० लाख रुपये से अधिक की लागत वाले किन्तु ८ लाख रुपये से कम की लागत वाले पुल प्रतिबन्ध यह है कि उनकी चौड़ाई २०० फीट से अधिक हो						अभ्युक्ति
		बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्धरात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			
१	२	३			४			५			६			७			८			९
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
१	प्रत्येक पैदल यात्री	०	१	०	०	०	३	०	०	९	०	०	३	०	०	६	०	०	३	
२	क्रेटो की धारिता के अनुसार उनमें रक्खे गये पशुओं के लिए प्रति मन १० घन फीट पर	०	१	०	०	०	३	०	०	९	०	०	३	०	०	६	०	०	३	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३	हाथ में रखी गई अथवा पिंजड़े में रक्खी गई चिड़िया	०	०	९	०	०	३	०	०	६	०	०	३	०	०	३	०	०	३
४	प्रत्येक भेड़, बकरी, सुअर, बन्दर अथवा भालू	०	१	०	०	०	३	०	०	९	०	०	३	०	०	६	०	०	३
५	प्रत्येक गदहा, खच्चर अथवा घोड़ा :																		
	(१) यदि उस पर सामान लदा न हो या उसे ले जाया जा रहा हो ..	०	१	०	०	०	६	०	०	९	०	०	३	०	०	६	०	०	३
	(२) यदि उस पर सामान लदा हो या सवारी हो	०	१	६	०	१	६	०	१	०	०	१	०	०	०	९	०	०	९
६	प्रत्येक भैंस अथवा बैल :																		
	(१) यदि उस पर सामान लदा न हो..	०	१	६	०	०	९	०	१	०	०	०	६	०	०	९	०	०	६
	(२) यदि उस पर सामान लदा हो ..	०	३	०	०	३	०	०	२	३	०	२	३	०	१	६	०	१	६
७	वाहक सहित प्रत्येक कांवर या बहंगी ..	०	१	६	०	०	६	०	१	०	०	०	३	०	०	९	०	०	३
८	वाहक सहित प्रत्येक साधारण बाइसिकिल ..	०	२	०	०	०	६	०	१	६	०	०	६	०	१	०	०	०	३
९	किसी पशु से न खींचा जाने वाला प्रत्येक खाली ठेला	०	३	०	•	०	९	०	२	३	०	०	६	०	१	६	०	०	३
१०	स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी चाहे उसमें सामान लदा हो या यात्री ले जाये जा रहे हों अथवा सामान लदा न हो	०	४	०	०	१	०	०	३	०	०	०	९	०	२	०	०	०	६
११	प्रत्येक सामान से लदा ठेला जिसे आदमी खींच रहे हों	०	५	०	०	१	३	०	३	९	०	१	०	०	२	६	०	०	९
१२	प्रत्येक ऊंट :																		
	(१) यदि उस पर सामान लदा हो या उसे ले जाया जा रहा हो ..	०	४	०	०	२	०	०	३	०	०	१	६	०	२	०	०	१	०
	(२) यदि उस पर सामान लदा हो या उस पर सवारी हो ..	०	८	०	०	८	०	०	६	•	०	६	०	०	४	०	०	४	•
१३	प्रत्येक बेली, रहड़ अथवा रथ जिसमें वाहक सहित पांच से अधिक यात्री न बैठे हुये हों ..	०	८	०	०	२	०	०	६	०	०	१	६	०	४	०	०	१	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मद	२५ लाख और उससे अधिक की लागत वाले पुल						८ लाख तथा २५ लाख रुपये के बीच की लागत वाले पुल						२.५० लाख रुपये से अधिक की लागत वाले किन्तु ८ लाख रुपये से कम की लागत वाले पुल, प्रतिबन्ध यह है कि उनकी चौड़ाई २०० फीट से अधिक हो						अभ्युक्ति
		बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			
१	२	३			४			५			६			७			८			९
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
१४	प्रत्येक साइकिल रिक्शा जिसमें वाहक सहित ३ यात्रियों से अधिक न बैठे हुये हों अथवा जिसमें कोई यात्री न हो	०	४	०	०	१	०	०	३	०	०	०	९	०	२	०	०	०	६	
१५	बिना स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी जिसे १, २ अथवा ३ बैल, भैंसे, गदहे अथवा खच्चर खींच रहे हों :																			
	(१) यदि उस पर सामान लदा हो ..	०	८	०	०	८	०	०	६	०	०	६	०	०	४	०	०	४	०	
	(२) यदि सामान से लदी न हो अथवा केवल यात्रियों को ले जा रही हो जिसमें वाहक सहित ५ से अधिक यात्री न हों	०	४	०	०	२	०	०	३	०	०	१	६	०	३	०	०	१	०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१६ बिना स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी जिसे ४ अथवा ५ बैल, भैंसे, गदहे अथवा खच्चर खींच रहे हों :																		
(१) यदि उस पर सामान लदा हो ..	१	०	०	१	०	०	०	१२	०	०	१२	०	०	८	०	०	८	०
(२) यदि उस पर सामान लदा न हो अथवा केवल यात्रियों को ले जा रही हो, जिसमें वाहक सहित ५ से अधिक यात्री न हों	०	८	०	०	४	०	०	६	०	०	३	०	०	४	०	०	२	०
१७ बिना स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी जिसे ६ अथवा ७ बैल, भैंसे, गदहे अथवा खच्चर खींच रहे हों :																		
(१) यदि उस पर सामान लदा हो ..	१	८	०	१	८	०	१	२	०	१	२	०	०	१२	०	०	१२	०
(२) यदि उस पर सामान लदा न हो अथवा केवल यात्रियों को ले जा रही हो, जिसमें वाहक सहित ५ से अधिक यात्री न हों ..	१	०	०	०	६	०	०	१२	०	०	४	६	०	८	०	०	३	०
१८ बिना स्प्रिंग वाली प्रत्येक गाड़ी जिसे ८ बैल, भैंसे, गदहे अथवा खच्चर खींच रहे हों :																		
(१) यदि उस पर सामान लदा हो ..	२	४	०	२	४	०	१	११	०	१	११	०	१	२	०	१	२	०
(२) यदि उस पर सामान लदा न हो अथवा केवल यात्रियों को ले जार ही हो, जिसमें वाहक सहित ५ से अधिक यात्री न हों	१	०	०	०	९	०	०	१२	०	०	७	०	०	८	०	०	४	६
१९ प्रत्येक इक्का अथवा तांगा जिसे एक घोड़ा, खच्चर अथवा बैल खींच रहा हो और जिसमें वाहक सहित ५ से अधिक यात्री न हों ..	०	८	०	०	२	०	०	६	०	०	१	६	०	४	०	०	१	०
२० प्रत्येक गाड़ी जिसे २ घोड़े, खच्चर अथवा बैल खींच रहे हों और जिसमें वाहक सहित ५ से अधिक यात्री न हों	१	०	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०	०	८	०	०	२	०

प्रेस विज्ञप्ति विधान सभा

क्रम-संख्या	मद	२५ लाख और उससे अधिक की लागत वाले पुल			८ लाख तथा २५ लाख रुपये के बीच की लागत वाले पुल			२.५० लाख रुपये से अधिक की लागत वाले किन्तु ८ लाख रुपये से कम की लागत वाले पुल, प्रतिबन्ध यह है कि उनकी चौड़ाई २०० फीट से अधिक हो			अभ्युक्ति								
		बहिर्यात्रा	वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर		बहिर्यात्रा	वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर		बहिर्यात्रा	वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर										
१	२	३			४			५			६			७			८			९
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
२१	प्रत्येक ऊंट गाड़ी अथवा ४ पहिये वाली बैल गाड़ी--																			
	(१) यदि उस पर सामान लदा हो ..	१	०	०	१	०	०	०	१२	०	०	१२	०	०	८	०	०	८	०	
	(२) यदि उस पर सामान लदा न हो (यदि कोई यात्री होंगे तो उनसे अलग यात्रियों के रूप में कर लिया जायगा)	०	८	०	०	४	०	०	६	०	०	३	०	०	४	०	०	२	०	
२२	प्रत्येक पालकी, डोली, पालना या तानजान--																			
	(१) दो वाहकों सहित ..	०	८	०	०	२	०	०	६	०	०	१	६	०	४	०	०	१	०	
	(२) चार से छः वाहकों सहित ..	१	०	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०	०	८	०	०	२	०	
	(३) आठ वाहकों सहित ..	१	८	०	०	६	०	१	२	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२३	वाहक सहित प्रत्येक सोलो मोटर बाइसिकिल. .	१	०	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०	०	८	०	०	२	०
२४	वाहक सम्बन्धी प्रत्येक मोटर बाइसिकिल जिससे सम्बद्ध साइड कार अथवा ट्रेलर हो . .	१	८	०	०	६	०	१	२	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०
२५	वाहक सहित प्रत्येक मोटर ट्राइसिकिल . .	१	८	०	०	६	०	१	२	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०
२६	मोटरकार से सम्बद्ध प्रत्येक ट्रेलर——																		
	(१) यदि उस पर सामान लदा हो . .	१	८	०	१	८	०	१	२	०	१	२	०	०	१२	०	०	१२	०
	(२) यदि उस पर सामान लदा न हो	१	०	०	०	४	०	०	१२	०	०	३	०	०	८	०	०	२	०
२७	प्रत्येक हल्की मोटर गाड़ी जैसे कि जीप, कार, पिक अप, लैंड रोवर, स्टेशन बेगन, ट्रैक्टर आदि जिसमें वाहक सहित ६ यात्री से अधिक न हों (अतिरिक्त यात्री यदि कोई होंगे तो उनसे अलग यात्रियों के रूप में कर लिया जायगा)	२	४	०	०	९	०	१	११	०	०	७	०	१	२	०	०	४	०
२८	प्रत्येक हाथी	२	४	०	०	९	०	१	११	०	०	७	०	१	२	०	०	४	०
२९	ट्रेक्टर जो ट्रेलर लिये जा रहे हों अथवा मोटर ट्रकें जिनमें १ टन तक भार ले जाने की क्षमता हो—																		
	(१) यदि उनमें सामान लदा हो और उसमें वाहक सहित छः से अधिक व्यक्ति न हों	६	०	०	६	०	०	४	८	०	४	८	०	३	०	०	३	०	०
	(२) यदि उसमें सामान न लदा हो किन्तु वाहक सहित छः से अधिक व्यक्ति न हों (छः से अधिक व्यक्तियों से अलग यात्रियों के रूप में कर लिया जायगा)	५	४	०	१	८	०	४	०	०	१	२	०	२	१०	०	०	१२	०
३०	ट्रेक्टर जो ट्रेलर लिये जा रहे हों अथवा मोटर ट्रकें जिनमें १ टन से अधिक भार ले जाने की क्षमता हो——																		
	(१) यदि वह सामान से लदी हो और उनमें वाहक सहित छः से अधिक व्यक्ति न हों . .	७	८	०	७	८	०	५	१०	०	५	१०	०	३	१२	०	३	१२	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मद	२५ लाख और उससे अधिक की लागत वाले पुल						८ लाख तथा २५ लाख रुपये के बीच की लागत वाले पुल						२.५० लाख रुपये से अधिक की लागत वाले किन्तु ८ लाख रुपये से कम की लागत वाले पुल, प्रतिबन्ध यह है कि उनकी चौड़ाई २०० फीट से अधिक हो						अभ्युक्ति
		बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			बहिर्यात्रा			वापसी यात्रा यदि दूसरे दिन की अर्द्ध रात्रि तक पूरी की गई हो मूल टिकट दिखाये जाने पर			
१	२	३			४			५			६			७			८			९
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
	(२) यदि वे सामान से लदी न हों परन्तु उनमें वाहक सहित छः से अधिक यात्री न हों (छः से अधिक व्यक्तियों से अलग यात्री के रूप में कर लिया जायगा)	६	१२	०	१	१४	०	५	०	०	१	६	०	३	६	०	१	०	०	
३१	ट्रक से सम्बद्ध प्रत्येक ट्रेलर—																			
	(१) यदि उस पर सामान लदा हो ..	३	०	०	३	०	०	२	४	०	२	४	०	१	८	०	१	८	०	
	(२) यदि उस पर सामान लदा न हो..	२	४	०	०	१२	०	१	११	०	०	९	०	१	२	०	०	६	०	
३२	मोटरकार द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक कारवां तथा वैगन (यदि कोई यात्री होंगे तो उनसे अलग कर लिया जायगा) ..	२	४	०	०	९	०	१	११	०	०	७	०	१	२	०	०	४	०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३३ मोटर बसें जिनमें निम्नलिखित संख्या में यात्रियों को ले जाने की क्षमता हो—																				
(१) १२ यात्रियों तक	..	५	४	०	५	४	०	४	०	०	४	०	०	२	१०	०	२	१०	०
(२) १२ से अधिक यात्री	..	७	८	०	७	८	०	५	१०	०	५	१०	०	३	१२	०	३	१२	०
३४ ऐसी मोटर गाड़ियां जिनका अनुसूची में उल्लेख नहीं है, जैसे अर्थ मूविंग मशीनरी आदि	अन्यथा	१०	०	०	१०	०	०	७	८	०	७	८	०	५	०	०	५	०	०

ह० हबीब अहमद सिद्दीकी,
सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४८ पर)

सूची

क्रम-सं०	जिला		नगरपालिका
१	शाहजहांपुर	..	शाहजहांपुर
२	आजमगढ़	..	आजमगढ़
३	आजमगढ़	..	मऊनाथ भंजन
४	जौनपुर	..	जौनपुर
५	बाराबंकी	..	बाराबंकी
६	रायबरेली	..	रायबरेली
७	मिर्जापुर	..	मिर्जापुर
८	मिर्जापुर	..	चुनार
९	बनारस	..	बनारस
१०	सहारनपुर	..	देवबंद
११	गोरखपुर	..	गोरखपुर
१२	झांसी	..	झांसी
१३	झांसी	..	ललितपुर
१४	मथुरा	..	मथुरा
१५	मथुरा	..	वृन्दावन
१६	बिजनौर	..	धामपुर
१७	बिजनौर	..	नजीबाबाद
१८	बिजनौर	..	बिजनौर
१९	बिजनौर	..	चांदपुर
२०	बिजनौर	..	नगीना
२१	बस्ती	..	बस्ती
२२	मुजफ्फरनगर	..	कैराना
२३	मुजफ्फरनगर	..	शामली
२४	आगरा	..	फतेहपुर सीकरी
२५	फतेहपुर	..	फतेहपुर
२६	रामपुर	..	रामपुर
२७	देवरिया	..	देवरिया
२८	देवरिया	..	पडरौना
२९	देवरिया	..	गौराबरहज
३०	गोंडा	..	गोंडा
३१	गोंडा	..	बलरामपुर
३२	आगरा	..	फिरोजाबाद
३३	एटा	..	सोरों
३४	एटा	..	जलेसर
३५	एटा	..	एटा
३६	अलीगढ़	..	अलीगढ़ (कोइल)
३७	अलीगढ़		अतरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिला	नगरपालिका
३८	मुरादाबाद	.. सम्भल
३९	मुरादाबाद	.. अमरोहा
४०	मुरादाबाद	.. हसनपुर
४१	हरदोई	.. सन्डीला
४२	हरदोई	.. हरदोई
४३	हरदोई	.. शाहाबाद
४४	फैजाबाद	.. फैजाबाद
४५	हरदोई	.. बिलग्राम
४६	हरदोई	.. पिहानी
४७	बरेली	.. आंवला
४८	बरेली	.. बरेली
४९	बनारस	.. भदोही
५०	बनारस	.. रामनगर
५१	पीलीभीत	.. पीलीभीत
५२	हरदोई	.. सान्डी नोटिफाइड एरिया

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर।)

सन् १९५२ से १९५६ तक जिला बोर्ड मथुरा को दिये गये धन सम्बन्धी विवरण

वर्ष		धनराशि	मद	अवशिष्ट धन
		रुपया		रुपया
१९५२-५३	..	१४,०००	५० सिविल वर्क्स	कुछ नहीं
१९५३-५४	..	१५,२००	,,	,,
१९५४-५५	..	१५,२००	,,	,,
१९५५-५६	..	१५,२००	,,	,,
१९५५-५६	..	३०,०००	,,	४,५०६
१९५५-५६	..	३६,१२५	,,	२०,५२८
१९५२-५३	..	४,०००	३७ एजूकेशन	कुछ नहीं
१९५३-५४	..	२,०००	,,	,,
१९५४-५५	..	७,०००	,,	,,
१९५४-५५	..	२,०००	,,	,,
१९५५-५६	..	२,०००	,,	,,
१९५५-५६	..	३,३५०	,,	१,०००

विधान सभा मथुरा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

अनुदान का विवरण	वित्तीय वर्ष	अनुदान	व्यय	शेष
		रुपया	रुपया	
१—बालकों की अनिवार्य शिक्षा के लिये अनुदान	१९५२-५३	९५,३४१	९५,३४१	शेष
	१९५३-५४	८९,९६७	८९,९६७	,,
	१९५४-५५	९६,०४०	९६,०४०	,,
	१९५५-५६	८९,३७८	८९,३७८	,,
२—बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिये अनुदान	१९५२-५३	३४,२७९	३४,२७९	,,
	१९५३-५४	६६,३९४	६६,२९४	,,
	१९५४-५५	४७,४४२	४७,४४२	,,
	१९५५-५६	५६,२३३	५६,२३३	,,
३—बेसिक तथा बालकों के लिये छात्रवृत्तियों का अनुदान अनावर्ती अनुदान	१९५२-५३	३,८६१*	३,८६१*	,,
	१९५३-५४	५,५३५*	४,३२३*	१२१२
	१९५४-५५	२,०९३*	२,०९३*	,,
	१९५५-५६	१,६१६*	१,६१६*	,,
४—सड़कों के निर्माण के लिये अनुदान	१९५२-५३	१,६१६	१,६१६	,,
	१९५३-५४	७५,०००	७५,०००	,,
	१९५४-५५	८२,८००	८२,८००	,,
	१९५५-५६	९५,४००	,,	९५,४००

*इन आंकड़ों का सलामन किया जा रहा है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६० पर)

सूची

नाम तहसील		मार्च	अप्रैल
		बोरी	बोरी
सदर	..	१,४०३	२,८५३
फूलपुर	..	१९५	१,२२३
लालगंज	..	१०७	८२४
मुहम्मदाबाद	..	१,०९१	२,०५४
घोसी	..	५६६	१,३२९
सगड़ी	..	१५०	१,०००
योग	..	३,५१२	९,२८३

नोट--तहसील सदर में आजमगढ़ शहर तथा तहसील मुहम्मदाबाद में मऊ टाउन भी सम्मिलित हैं ।

संसद सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

शर्तें जिनके साथ वर्ष १९५५-५६ में सड़क अनुदान दिया गया था।

१—अनुदानों का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिनके लिये वे दिये गये हों।

२—बोर्ड कार्य का सम्पादन स्वयं अपने ही साधन (agency) द्वारा करेंगे।

३—कार्य का पर्यवेक्षण (supervision) सामान्यतः आपके द्वारा होगा (केवल काबाल नगरों को छोड़कर)

४—काबाल नगरों के म्युनिसिपल बोर्डों के प्रशासक आप को कोई निर्देश (reference) किये बिना स्वयं अनुदान का उपयोग करेंगे।

५—कार्य के लिये ठेके आप की स्वीकृति से केवल उन्हीं ठेकेदारों को दिये जायेंगे जो बोर्ड की स्वीकृत सूची में हों। (केवल काबाल नगरों के म्युनिसिपिल बोर्डों को छोड़कर)।

६—ठेकेदारों के चालू (running) बिलों का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग से परामर्श करने के बाद किया जायगा।

७—अन्तिम भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग से परामर्श करने और इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद कि, कार्य सन्तोषजनक रूप से समाप्त हो गया है, आप की स्वीकृति से किया जायगा (केवल काबाल नगरों के म्युनिसिपल बोर्डों को छोड़कर)।

८—सम्बन्धित बोर्डों को चालू वर्ष के बजट में सड़कों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिये, नियुक्त धनराशि और विशेष कर के पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सहायक अनुदान के बराबर की गई धनराशि की व्यवस्था उसी रूप में रहेगी और उस के किसी भाग का उपयोग किसी दूसरे शीर्षक के अधीन न किया जायगा।

९—प्रत्येक बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सम्बन्धी कार्यों के व्यय के निमित्त स्वयं अपनी निधि से कम से कम उस अनुदान की धनराशि के, जो उसे प्राप्त हो, बराबर अंशदान देगा।

१०—जब तक कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाय, जिसमें बिलों का अन्तिम भुगतान भी सम्मिलित है, तब तक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के पश्चात् यथाशीघ्र त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियत की हुई तालिका के अनुसार सरकार के पास नगरपालिका (क) विभाग में यथोचित माध्यम (proper channel) से भेजी जायगी।

११—ज्यों ही कार्य समाप्त हो जाय और उस सहायक अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाय, और, हर हालत में, अधिक से अधिक ३१ मार्च, १९५६ तक सम्पूर्ण अनुदान के यथोचित उपयोग के बारे में सूचना एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश तथा इक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जाय तथा साथ ही उस की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ सरकार के पास नगरपालिका (क) विभाग से भी भेजी जाय : और

१२—अनुदानों का पूर्ण उपयोग वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के भीतर कर लिया जायगा। बोर्ड को सावधान कर दिया जाय कि इस शर्त का पालन न किया जाना एक गम्भीर बात मानी जायगी और इस सम्बन्ध में की गयी चूक का, किसी अन्य कार्यवाही पर जिसे परिस्थितियों को देखते हुये सरकार उपयुक्त समझें, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, चूक करने वाले बोर्ड के लिये परिणाम यह हो सकता है कि उसे आगे से तब तक कोई भी सड़क अनुदान पाने का अधिकार न रह जाय जब तक कि इस में स्वीकृत अनुदान तथा पिछले अप्रयुक्त अनुदानों का, यदि कोई हों, यथोचित रूप से उपयोग न कर लिया जाय।

वर्ष १९५६-५७ में उपर्युक्त समस्त शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सिवाय निम्नांकित के :—

उपर्युक्त शर्त ९ में निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ :

प्रत्येक बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सम्बन्धी कार्यों पर व्यय के निमित्त स्वयं अपनी निधि से उक्त अनुदानों को जो इस से स्वीकृत हुये हैं, कम से कम आधी धनराशि के बराबर अंशदान देगा और वह अनुदान के शेष भाग के बराबर अंशदान १९५७–५८ में देगा किन्तु यदि किसी कारण बोर्ड इस कार्य के लिये अपने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कोई धनराशि नियत न कर सके तो वह १९५७-५८ के बजट में अंशदान की पूर्ण धनराशि की व्यवस्था करेगा।

शर्त न० १० से निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ :

जब तक कि कार्यपूर्ण रूप से समाप्त न हो जाय, जिस में बिलों का अन्तिम भुगतान भी सम्मिलित है तब तक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के पश्चात् यथाशीघ्र अगली तिमाही महीने के १५ दिनांक तक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियत प्रपत्र में सरकार के पास नगरपालिका (क) विभाग में यथोचित माध्यम से भेजी जायगी।

शर्त न० ११ में निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ :

ज्योंही कार्य समाप्त हो जाय और सहायक अनुदान का पूर्णरूप से उपयोग कर लिया जाय, और हर हालत में, अधिक से अधिक ३१ मार्च, १९५८ तक सम्पूर्ण अनुदान के यथोचित उपयोग के बारे में सूचना एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश तथा इक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद को भेजी जाय और साथ ही उस की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ सरकार के पास नगरपालिका (क) विभाग से भी भेजी जाय; और

शर्त न० १२ में निम्नांकित रूप से परिवर्तन हुआ :

अनुदानों का पूर्ण उपयोग ३१ मार्च, १९५८ तक के भीतर कर लिया जायगा, बोर्ड को सावधान कर दिया जाय कि इस शर्त का पालन न किया जाना एक गम्भीर बात मानी जायगी और इस सम्बन्ध में की गयी चूक का, किसी अन्य कार्यवाही पर जिसे परिस्थितियों को देखते हुये सरकार उपयुक्त समझे, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, चूक करने वाले बोर्ड के लिये परिणाम यह हो सकता है कि उसे आगे से तब तक कोई भी सड़क अनुदान पाने का अधिकार न रह जाय जब तक कि इस में स्वीकृत अनुदानों तथा पिछले अप्रयुक्त अनुदानों का यदि कोई हों यथोचित रूप में उपयोग न कर लिया जाय।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७० पर)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

उ० प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१।

विधेयक

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के निमित्त, भारत का संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) अध्यादेश, १९५७ प्रचारित किया था,

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटिफाइड एरिया में अथवा कैन्टूमेन्ट्स ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन किसी कैन्टूमेन्ट में अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया में सम्मिलित थे, इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।
ऐक्ट २, १९५४।
यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद २ का संशोधन।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) अनुसूची ५ के परिच्छेद (Para) २ में—

(१) उप-परिच्छेद (Sub-Para) (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे", रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं, तथा

(२) उप-परिच्छेद (३) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के दिनांक पर" के स्थान पर शब्द "धारा २४६ के अधीन" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ के उप-परिच्छेद (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक पर जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क में वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा सदैव से ही रक्खा हुआ समझा जाय, अर्थात्--

"(क) अंक और शब्द '२० गुना' के स्थान पर अंक और शब्द '१५ गुना' रख दिये गये थे, तथा"

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ४-ख का रखा जाना।

५--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ४-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"४-ख--(१) १३६३ फसली के खसरा या खतौनी में तथा जब उस वर्ष ऐसा कोई अभिलेख तैयार न किया गया हो, तो सबसे अन्त में निर्मित खसरा या खतौनी में, निष्क्रांत भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित कोई भी व्यक्ति कस्टोडियन को ३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, ऐसी भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान के बीस गुने के बराबर (Twenty times the rent computed at hereditary rates) धनराशि देगा।

(२) उप-परिच्छेद (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बद्ध इवैकुई (evacuee) के लेखे में जमा कर दी जायगी।

(३) यदि उप-परिच्छेद (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति है--

(क) उसे तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर देता है तो वह उस भूमि का भूमिधर हो जायगा और उक्त भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान की आधी धनराशि के बराबर मालगुजारी का देनदार होगा, अथवा

(ख) तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर उसे अदा करने में असफल रहता है तो निष्क्रांत भूमि (evacuee land) में उसके समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व, यदि कोई हों, अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और वह कस्टोडियन द्वारा ऐसी रीति से मानों वह कस्टोडियन का पट्टेदार हो बेदखल किया जा सकेगा तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के बेदखली से सम्बद्ध समस्त उपबन्ध उस पर तदनुसार लागू होंगे:

ऐक्ट ३१, १९५०।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ के पश्चात् कोई भी बेदखली का नोटिस जारी नहीं किया जायगा।

स्पष्टीकरण--इस परिच्छेद में "निष्क्रांत भूमि" (evacuee land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो निष्क्रांत सम्पत्ति (evacuee property) हो किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि नहीं है--

(१) कस्टोडियन के प्रदिष्ट गृहीता (allottee) या पट्टेदार के अध्यासन में भूमि, अथवा

(२) डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति (displaced person) को उसके दावे के उपलक्ष्य में उसे प्रदिष्ट भूमि ; अथवा

(३) ऐसी भूमि जिसमें अनुसूची ५ द्वारा परिष्कृत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ तथा २० के अधीन भूमिधरी के अधिकार अर्जित किये जा सकते हों।

६--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ७ के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ८ के रूप में बढ़ा दिया जाय--

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ८ का रखा जाना।

८--धारा १५३ में किसी बात के होते हुये भी, कस्टोडियन अथवा केन्द्रीय सरकार, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० अथवा डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन अपने में निहित भूमि में सीरदार के स्वत्व को, विक्रय द्वारा अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित कर सकते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार का कोई भी हस्तान्तरण तब तक नहीं किया जायगा जब तक तक कि कोई व्यक्ति परिच्छेद २,४, ४-क अथवा ४-ख के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी रहे।"

७--उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसन एक विधायन (enactment) रहा हो।

उ० प्र० अध्यादेश २, १९५७ का निरसन। यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४।

उद्देश्य और कारण

निष्क्रांत भूमि से सम्बद्ध १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की अनसूची ५ पिछली बार भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (अधिनियम संख्या १८, १९५६) द्वारा अधिवासियों को धारा २० (क) के अधीन कतिपय धनराशियां जमा करने के पश्चात् भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के निमित्त समर्थ बनाने के प्रयोजन से संशोधित की गयी थी। निष्क्रांत सम्पत्तियों के अन्तिम निस्तारण को सुकर बनाने के निमित्त अब कस्टोडियन तथा भारत सरकार को उनमें निहित सीरदारी स्वत्वों के हस्तान्तरण का अधिकार देने की, तथा उसी प्रकार कतिपय अध्यासियों को वरिष्ठ अधिकार प्राप्ति (to acquire superior rights) का अवसर देने की व्यवस्था करना है।

२--उपर्युक्त उद्देश्यों की व्यवस्था करने एवम् कतिपय संदेहों का निवारण करने के निमित्त एक लघु विधेयक विधान-मंडल के विगत सत्र में पुरःस्थापित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ था। समय की कमी के कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका था। संशोधन महत्वपूर्ण प्रकार के थे तथा उनके प्रवर्तन में बिलम्ब होने से निष्क्रांत भूमि के अध्यासियों (occupirs) की एक श्रेणी के स्वत्वों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। अतः भारत के राष्ट्रपति के अनुदेशों के अधीन पूर्वोक्त विधेयक के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) अध्यादेश, १९५७ (उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९५७) द्वारा प्रवर्तित किये गये थे।

३--अतएव उक्त अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

बी० एस० यू० पी०-ए० पी०-८१ एल० ए०--१९५७-७९६।